कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 66 अंक : 1 पृष्ठ : 56 नवंबर 2019 मूल्य : ₹ 22

ग्रामीण शिक्षा

प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत दिवस 2019 की शुरुआत की

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 2 अक्टूबर, 2019 को अहमदाबाद में स्वच्छ भारत दिवस 2019 के उद्घाटन के अवसर पर।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2019 को अहमदाबाद में स्वच्छ भारत दिवस 2019 की शुरुआत की। उन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की याद में डाक टिकट और चांदी का सिक्का जारी किया। उन्होंने विजेताओं को स्वच्छ भारत पुरस्कार भी वितरित किए। इससे पहले, उन्होंने साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने मगन निवास (चरखा गैलरी) का दौरा किया और वहां बच्चों से मुलाकात की।

'स्वच्छ भारत दिवस' कार्यक्रम में उपस्थित सरपंचों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रही है। कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र द्वारा गांधीजी पर डाक टिकट जारी करने से यह कार्यक्रम और भी यादगार बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने जीवनकाल में उन्हें कई बार साबरमती आश्रम आने का अवसर मिला और हमेशा की तरह आज भी यहां से उन्हें नई ऊर्जा मिली है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज, गांव खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर रहे हैं। उन्होंने प्रत्येक देशवासी, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों, सरपंचों और 'स्वच्छता' के लिए काम करने वाले सभी लोगों को इसके लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि उम्र, समाज और आर्थिक स्थिति के बावजूद, सभी ने स्वच्छता, गरिमा और सम्मान की इस प्रतिज्ञा में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया हमारी इस सफलता से अचंभित है और उसके लिए हमें पुरस्कृत कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने 60 महीने में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कराकर 60 करोड़ से ज्यादा आबादी को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी और स्वैच्छिकता स्वच्छ भारत अभियान की पहचान और इसकी सफलता का कारण रही है। उन्होंने इस मिशन को खुले दिल से समर्थन देने के लिए पूरे देश को धन्यवाद दिया। जन भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन और 2022 तक एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के खात्में जैसी महत्वपूर्ण सरकारी पहलों की सफलता के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार महात्मा गांधी के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में उन्होंने आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने, सुगम जीवन उपलब्ध कराने और विकास को अंतिम छोर तक ले जाने की सरकार की पहलों का जिक्र किया। उन्होंने जनता से राष्ट्र की भलाई के लिए संकल्प लेने और इसे सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ लोगों का संकल्प व्यापक बदलाव ला सकता है। ❑

स्रोत : पीआईबी

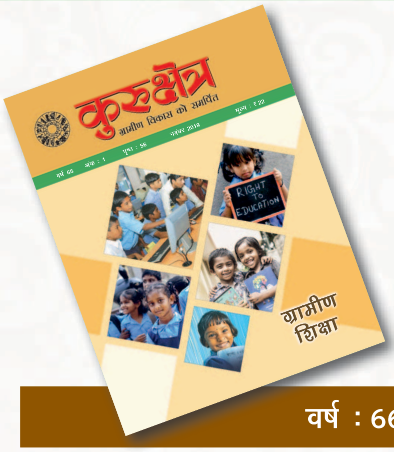

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

इस अंक में

वर्ष : 66★ मासिक अंक : 1★ पृष्ठ : 56 ★ कार्तिक–अग्रहायण 1941★ नवंबर 2019

ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा: नीति और नियोजन	नानू भसीन, अरविन्द कुमार जैन	5
ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने की रणनीति	सारा आयपे	11
अच्छे शिक्षकों के बिना शिक्षा की गुणवत्ता संभव नहीं	डॉ. अनुप्रिया चड्ढा	15
ग्रामीण भारत में बेहतर स्कूली शिक्षा उपलब्धियां और चुनौतियां	प्रो. सतीश कुमार यादव	18
बड़े बदलाव का सूत्रधार शिक्षा का अधिकार	शैलेन्द्र शर्मा, दक्षिणी भट्टाचार्य	23
समावेशी विकास के लिए गुणात्मक विद्यालयी शिक्षा जरूरी	चंद्रभूषण शर्मा	30
डिजिटल साक्षरता की दिशा में मज़बूत कदम	बालेन्दु शर्मा दाधीच	34
ग्रामीण शिक्षा में कौशल विकास	डॉ. नीलेश तिवारी, डॉ. तूलिका शर्मा	38
ग्रामीण शिक्षा के लिए चाहिए सामाजिक क्रांति	प्रमोद जोशी	45
ग्रामीण स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार जरूरी	नितिन प्रधान	48
शिक्षा प्रबंधन में समुदाय की सहभागिता	कमल नाथ झा	50

प्रधान संपादक: राजेंद्र भट्ट

वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : विनोद कुमार मीना

आवरण : राजेन्द्र कुमार

संपादकीय सहयोग : शुभ्रा सिंह

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय

कमरा नं. 655, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 0 03

दूरभाष : 011–24365925

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

ई–मेल : kuru.hindi@gmail.com

व्यापार प्रबंधक

दूरभाष : 011–24367453

ई–मेल : pdjucir@gmail.com

कुरुक्षेत्र मंगवाने की दरें

एक प्रति: ₹ 22, विशेषांक : ₹ 30, वार्षिक : ₹ 230, द्विवार्षिक : ₹ 430, त्रिवार्षिक : ₹ 610

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

पत्रिका न मिलने की शिकायत के लिए pdjucir@gmail.com पर ई–मेल करें, कुरुक्षेत्र की सदस्यता लेने या पुराने अंक मंगाने के लिए भी इसी ई–मेल पर लिखें या संपर्क करें– दूरभाष : 011–24367453 अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें–

संपादक (प्रसार एवं विज्ञापन)
प्रसार एवं विज्ञापन अनुभाग
प्रकाशन विभाग,
कमरा सं. 56, भूतल, सूचना भवन,
सीजीओ परिसर, लोधी रोड,
नयी दिल्ली–110003

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद

नयी दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011–24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011–23890205
नवी मुंबई	701, सी–विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022–27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033–22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044–24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471–2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040–27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080–25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612–2683407
लखनऊ	हॉल सं–1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र–ए, अलीगंज	226024	0522–2325455
अहमदाबाद	C/O (द्वारा) पीआईबी, अखंडानंद होल, द्वितीय तल, मदर टेरेसा रोड, सीएनआई चर्च के पास, भद्र	380001	079–26588669

संपादकीय

किसी भी देश और समाज की उन्नति तथा विकास उस देश के नागरिकों की शिक्षा पर निर्भर है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को केवल शाब्दिक ज्ञान देना नहीं होता बल्कि उसका मार्गदर्शन और चरित्र निर्माण के साथ–साथ उसे आर्थिक रूप से सक्षम बनाना भी होता है। शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक मूल्यों के विकास में मदद करती है। शिक्षित नागरिक ही देश और समाज की बेहतरी और विकास के बारे में सोच सकता है। और एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था के निर्माण और विकास में मदद कर सकता है।

सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी शिक्षा की। यूं तो भारत में साक्षरता एवं विशेषकर वयस्क साक्षरता आज़ादी के बाद से ही एक राष्ट्रीय प्राथमिकता रही है। देश से निरक्षरता दूर करने हेतु भारत सरकार ने 1998 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू किया। 1991 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू करके प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की एक बड़ी पहल की गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जोकि अप्रैल 2010 से लागू हुआ, देश में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है और सभी प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक न्यूनतम शर्तों के पालन की भी बात करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में हाल ही में संशोधन कर शिक्षकों के प्रशिक्षण से लेकर स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

समुदाय की व्यवस्थित गतिशीलता और विकेंद्रीकृत निर्णय लेने की एक प्रभावी प्रणाली का निर्माण किसी भी शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक पूर्व शर्त हैं। इसमें सभी हितधारकों– केंद्र सरकार, राज्यों, स्थानीय सरकारी निकायों, शिक्षकों, माता–पिता, गैर–सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और स्वयं बच्चों का सहयोग शामिल है। कार्यक्रम को आत्म–टिकाऊ बनाने के लिए सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण की भी आवश्यकता है। स्कूली शिक्षा के शुरुआती चरणों में बच्चों को मूल्य–आधारित शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। साथ ही, मूल्य शिक्षा कार्यात्मक उपयोगिता पर आधारित होनी चाहिए और श्रम की गरिमा को उजागर करना चाहिए।

देश में शिक्षा प्रणाली के ढांचे को बदलने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए हैं। शिक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए 'राइज़'–अवसंरचना एवं शैक्षणिक प्रणालियों के पुनरुद्धार कार्यक्रम के साथ–साथ उच्चतर शिक्षा में सुधार के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने 'स्वयं', 'दीक्षा' और 'शगुन' जैसे विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्म विकसित किए हैं। डिजिटल पहलों से ग्रामीण क्षेत्रों में कायापलट हो सकती हैं क्योंकि इनसे देश में शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। देश के दूरदराज इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को तेजी से, उद्देश्यपूर्ण और गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने और अध्यापकों को अध्यापन के साथ–साथ प्रशिक्षण प्रदान करने में डिजिटल पहलों की विशेष भूमिका हो सकती है।

सर्वांगीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हाल ही में समग्र शिक्षा नामक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। इसमें केंद्र द्वारा पहले से चल रही तीन योजनाओं– सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा योजना का विलय किया गया है। समग्र शिक्षा योजना को स्कूल–पूर्व कक्षाओं से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा के विकास के लिए समन्वित योजना के तौर पर शुरू किया गया है। समग्र शिक्षा योजना में ग्रामीण क्षेत्रों समेत सभी इलाकों में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में राज्यों को सहयोग दिया जाता है। साथ ही, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर भी फोकस किया जा रहा है।

कंफ्यूशियस ने कहा था, ''मैं सुनता हूं और भूल जाता हूं। मैं देखता हूं और याद रखता हूं। मैं करता हूं और समझ जाता हूं।'' कहने का तात्पर्य यह है कि प्रयोग द्वारा सीखना सबसे अच्छा तरीका होता है। छात्रों में अनुसंधान–आधारित शिक्षा के लिए रुचि विकसित करने हेतु प्रयोग महत्वपूर्ण है। साथ ही, हमें रोजगार–आधारित, अनुसंधानमुखी तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर फोकस करने की आवश्यकता है। आज नवाचार शिक्षा का एक अहम तत्व बन गया है। उम्मीद है कि 'अटल टिंकरिंग लैब' और हाल ही में घोषित 'ध्रुव' कार्यक्रम इस दिशा में अहम भूमिका निभाएंगे।

शिक्षक परिवर्तन के वास्तविक कारक हैं और उन पर राष्ट्र विकास की बड़ी जिम्मेदारी है। चरित्र निर्माण की आधारशिला स्कूलों में ही रखी जाती है। और शिक्षक यह कार्य विद्यार्थियों में ईमानदारी और अनुशासन का महत्व बताकर बखूबी कर सकते हैं। ऐसे में शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है।

आज जब विश्व 'सूचना' के युग से 'ज्ञान' के युग में बढ़ रहा है, 'वैश्विक नागरिक' या 'वैश्विक ग्राम' के लिहाज से सोचना समय की मांग है लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि केवल ज्ञान से ही मानव सभ्यता की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी। ज्ञान के साथ–साथ विवेक आवश्यक है। वैश्विक स्पर्धा के इस युग में हमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तथा मानव करुणा और डिजिटल विद्या और चरित्र निर्माण के बीच संतुलन बनाना होगा।

संक्षेप में, अच्छे शिक्षक ही ज्ञान और विवेक से सम्पन्न नई पीढ़ी तैयार करने का काम कर सकते हैं ताकि नई पीढ़ी सभी समकालीन चुनौतियों का सफल समाधान कर सके। आत्मनिर्भरता, चरित्र निर्माण एवं मानवीय मूल्य शिक्षा का उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए।

ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा: नीति और नियोजन

–नानू भसीन, अरविन्द कुमार जैन

डिजिटल पहलों से ग्रामीण क्षेत्रों में कायापलट हो सकती है क्योंकि इनसे देश में शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। देश के दूरदराज इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को तेजी से, उद्देश्यपूर्ण और गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने और अध्यापकों को अध्यापन के साथ–साथ प्रशिक्षण प्रदान करने में डिजिटल पहलों की विशेष भूमिका है।

देश में तेज रफ्तार से हो रहे शहरीकरण के बावजूद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दशकों पहले का कथन आज भी सत्य प्रतीत होता है कि 'भारत गांवों में बसता है'। आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त स्रोतों से संकलित विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2017 में भारत की कुल आबादी में ग्रामीण जनसंख्या का हिस्सा 66.46 प्रतिशत बताया गया था। और इस साल जब हम गांधी जी की 150वीं जयंती मना रहे हैं तो हमें एक बार फिर याद दिलाया जा रहा है कि देश की प्रगति और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

अगर साक्षरता की बात करें तो शिक्षा का स्तर न केवल समाज के विकास के स्तर को प्रदर्शित करता है, बल्कि इससे समाज के विकास और आधुनिकीकरण को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देना विकास में समग्र संतुलन सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयासों का मुख्य लक्ष्य बन जाता है।

भारत में शिक्षा की स्थिति (ग्रामीण बनाम शहरी)

2011 की जनगणना के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की दर 68 प्रतिशत के आसपास थी जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 84 प्रतिशत थी। इतना ही नहीं, केवल 59 प्रतिशत ग्रामीण महिलाओं के साक्षर होने का अनुमान लगाया गया था जबकि 2011 में शहरी इलाकों में 80 प्रतिशत महिलाएं साक्षर थीं।

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जनवरी से जून 2014 तक कराए गए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 71वें दौर में 'सामाजिक उपभोग : शिक्षा' संबंधी सर्वेक्षण के कुछ दिलचस्प निष्कर्ष सामने आए हैं। इससे ग्रामीण और शहरी भारत में शिक्षा के क्षेत्र में ज़मीनी–स्तर की कुछ वास्तविकताओं में विरोधाभास

उजागर हुआ हैं जोकि नीति निर्माताओं के लिए बड़े महत्व का है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 71वें दौर (जनवरी–जून 2014) के निष्कर्ष

इस सर्वेक्षण से पता चला कि ग्रामीण भारत में विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की साक्षरता–दर शहरी भारत के मुकाबले बहुत कम थी। समूचे भारत के लिए समग्र साक्षरता दर (5 वर्ष और इससे अधिक उम्र वालों की) 76 प्रतिशत थी जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 71 प्रतिशत थी। इसके मुकाबले शहरी इलाकों में यह 86 प्रतिशत थी। सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण और शहरी, दोनों ही इलाकों में 90 प्रतिशत परिवारों ने अपने घर से एक किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल होने की बात कही। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी इलाकों के मुकाबले कम संख्या में लोगों ने एक किलोमीटर से कम के दायरे में अपर प्राइमरी स्कूल होने की जानकारी दी। सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2007–08 से 2014 के दौरान पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता–दर का अंतर लगभग समान स्तर पर बना रहा। दूसरी ओर, शहरी इलाकों में यह अंतर कम हो रहा है। शहरी इलाकों में महिला साक्षरता का ग्रामीण इलाकों की तुलना में बड़ी तेजी से प्रसार हो रहा है। शहरी इलाकों में स्नातक और उससे आगे की उच्च शिक्षा पूरी करने वाले लोगों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा पाई गई। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त पाठ्य पुस्तकें और दोपहर का भोजन प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत शहरी इलाकों के मुकाबले काफी अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में 5–29 साल के लोगों के स्कूलों में कभी दाखिला न लेने का प्रमुख कारण यह था कि ऐसे लोगों की (33 प्रतिशत महिलाएं और 27 प्रतिशत पुरुष) शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन शहरी क्षेत्रों में 5–29 साल आयु वर्ग की 33 प्रतिशत महिलाएं और 30 प्रतिशत पुरुष आर्थिक अड़चनों की वजह से स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाए।

कम्प्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच (एनएसएस 71वां दौर)

इस सर्वेक्षण से पता चला कि करीब 6 प्रतिशत ग्रामीण और 29 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास कम्प्यूटर थे। इन ग्रामीण परिवारों में से 16 प्रतिशत परिवार ऐसे थे जिनमें 14 वर्ष या इससे अधिक उम्र के कम से कम एक सदस्य के पास इंटरनेट कनेक्शन था, जबकि शहरी इलाकों में ऐसे परिवारों की संख्या 49 प्रतिशत थी। 14–29 साल तक के लोगों में से ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 18 प्रतिशत और शहरी में 49 प्रतिशत लोग कम्प्यूटर चलाना जानते थे।

यूनीफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फार्मेशन फॉर स्कूल एजुकेशन (यू–डीआईएसई 2016–17)

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 71वें दौर की कुछ विशेषताएं उत्साहजनक भले ही न हों, मगर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पिछली स्कूली शिक्षा पर जिलों की एकीकृत सूचना यानी यू–डीआईएसई 2016–17 रिपोर्ट में ग्रामीण स्कूलों के बुनियादी ढांचे और विभिन्न योजनाओं व उपायों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में बच्चों के दाखिले बढ़ाने पर बहुत जोर दिया गया है। यू–डीआईएसई 2016–17 के अनुसार भारत में स्कूलों की कुल संख्या 15.3 लाख थी जिनमें से 12.97 लाख स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में थे। स्कूलों में कुल दाखिलों की संख्या 25.13 करोड़ थी जिनमें से 18.2 करोड़ दाखिले ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में हुए। ये आंकड़े देश में पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के हैं। इस तरह भारत में स्कूलों की कुल संख्या में से 84.46 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जिनमें देश के कुल विद्यार्थियों का 71.2 प्रतिशत ग्रामीण विद्यार्थियों के नाम दर्ज हैं। इसके अलावा 73.04 प्रतिशत अध्यापक भी ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में पढ़ाते हैं।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण विश्व में अपनी तरह के सबसे बड़े सर्वेक्षणों में से एक है। इसमें देश के 38 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 701 जिलों में 1,10,000 स्कूलों के 22 लाख विद्यार्थियों के सीखने के नतीजों के आधार पर प्राप्त की गई दक्षता के मूल्यांकन का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017 ने ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों के सीखने से संबंधित तुलनात्मक नतीजों के बड़े दिलचस्प पहलुओं को उजागर किया है।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में ग्रामीण और शहरी इलाकों के संदर्भ में कक्षा और विषयवार राष्ट्रीय उपलब्धि

एनएएस 2017 में ग्रामीण और शहरी इलाकों में विद्यार्थियों के सीखने के तुलनात्मक नतीजों से संबंधित एक हैरान करने वाली बात यह है कि सीखने के नतीजे दोनों ही तरह के स्कूलों में लगभग एक समान हैं। असल में गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में तो शहरी विद्यार्थियों की तुलना में ग्रामीण विद्यार्थियों का प्रदर्शन बेहतर है। इससे यह धारणा गलत साबित हो जाती है कि ग्रामीण विद्यार्थी शहरी विद्यार्थियों के मुकाबले सीखने में सुस्त होते हैं।

विभिन्न अध्ययनों में जिन बातों पर सार्वजनिक और निजी संस्थाओं ने चिंता जताई है वह न सिर्फ उपलब्धता (स्कूल/कालेज

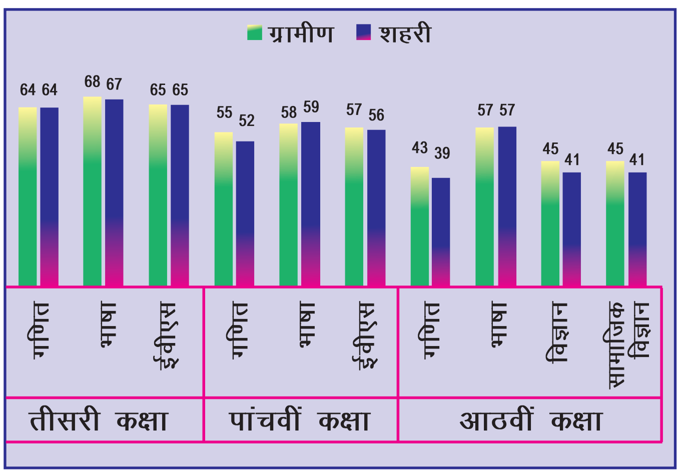

जैसे बुनियादी ढांचे आदि) से संबंधित हैं बल्कि उन तक विद्यार्थियों की पहुंच (दूरी), गुणवत्ता (सीखने के नतीजे), बालिकाओं की शिक्षा, शिक्षण की गुणवत्ता, कौशल शिक्षा को लेकर है।

इसी से संकेत ग्रहण कर भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने साक्षरता के क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी के अंतर को दूर करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं क्योंकि इस तरह की असमानता से अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर असर पड़ने के साथ ही समूचे देश पर असर पड़ता है। भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय अपने दो विभागों के जरिए कार्य करता है : 1) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, और 2) उच्च शिक्षा विभाग। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के कारण केंद्र और राज्य दोनों को शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए मिलकर काम करना होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार की पहल

जवाहर नवोदय विद्यालयों का विस्तार, समग्र शिक्षा का संपूर्ण भारत में विस्तार और उनके बजट आवंटन में भारी बढ़ोतरी; कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का विस्तार, दोपहर भोजन योजना के भोजन की गुणवत्ता में सुधार, उन्नत भारत अभियान, स्वच्छता अभियान, मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज (मूक्स), एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय योजना का विस्तार, डिजिटल पहल तथा राज्यों द्वारा शिक्षा से संबंधित कई अन्य प्रयासों को बढ़ावा जैसे कई महत्वपूर्ण कदमों के जरिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास का प्रयत्न किया है। इनमें से कई कार्यक्रम/योजनाएं/परियोजनाएं खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे के विस्तार, ग्रामीण स्कूलों के अध्यापकों की गुणवत्ता में सुधार जैसे कार्यक्रमों को समग्र शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्यक्रम से जोरदार बढ़ावा मिलने की संभावना है।

जवाहर नवोदय विद्यालय

यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खासतौर पर बनाया गया कार्यक्रम है जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय तमिलनाडु को छोड़ कर देश के सभी राज्यों में जवाहर नवोदय विद्यालय संचालित कर रहा है। इसमें छठी से बारहवीं कक्षा तक के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मुफ्त दी जाती है जो आवासीय विद्यालय प्रणाली में दी जाने वाली शिक्षा के स्तर की होती है। इस समय देश में कुल 661 नवोदय विद्यालय सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 75 प्रतिशत सीटें विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

इस योजना की यशगाथा इस तथ्य से साबित हो जाती है कि 2018–19 के परीक्षा परिणामों में जवाहर नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों का बारहवीं कक्षा का समग्र पास प्रतिशत 96.62 रहा जो बारहवीं कक्षा के राष्ट्रीय पास प्रतिशत (83.4) से बहुत अधिक है। जवाहर नवोदय विद्यालयों से पढ़ाई करने वाले बहुत से विद्यार्थी अपनी प्रतिभा के बल पर आज तमाम प्रतिष्ठित क्षेत्रों, जैसे आईएएस, मेडिकल और इंजीनियरिंग आदि में कार्य कर रहे हैं। पिछले साल जवाहर नवोदय विद्यालयों के करीब 4,451 विद्यार्थियों ने जेईई मेन्स में, 966 ने जेईई एडवांस्ड में और 12,654 ने एनईईटी परीक्षा सफलतापूर्वक पास की।

अटल टिंकरिंग लैब कार्यक्रम

अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) कार्यक्रम का संचालन नीति आयोग के तहत अटल नवाचार मिशन (एआईएम) द्वारा किया जाता है। इस कार्यक्रम का मकसद देशभर के छात्र–छात्राओं में जिज्ञासा और तकनीकी मानसिकता पैदा करना है, ताकि देशभर के स्कूलों में शोध और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। इस पहल का उद्देश्य भारत में 10 लाख बच्चों को 'नवअन्वेषक' बनाना है। हालिया आंकड़ों के मुताबिक, अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए 8,878 स्कूलों को चुना गया है। इनमें से 3,020 स्कूलों ने शर्तों के पालन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर ली है और इनके लिए फंड भी दिए जा चुके हैं। लैब की स्थापना के लिए चुने गए स्कूल शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों से है। कुल 117 जवाहर नवोदय विद्यालयों को भी अटल टिंकरिंग लैब के लिए चुना गया है।

समग्र शिक्षा

यह सर्वांगीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें केंद्र द्वारा पहले से प्रायोजित तीन योजनाओं–सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा योजना का विलय किया गया है और स्कूल–पूर्व कक्षाओं से लेकर 12वीं कक्षा तक की शिक्षा के विकास के लिए हाल ही में समन्वित योजना के तौर पर शुरू किया गया है। योजना के अंतर्गत बजट आवंटन में भारी बढ़ोतरी की गई है और इसे 2019–20 में 36,322 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह राशि 2018–19 के बजट की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है।

समग्र शिक्षा के कई फायदे हैं और उम्मीद है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों को जबर्दस्त फायदा होगा। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने, स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं तथा शौचालयों के निर्माण और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलने की योजना बनाने में स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट्स, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित ज़िलों और विकास आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। समग्र शिक्षा योजना में ग्रामीण क्षेत्रों समेत सभी इलाकों में स्कूलों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में राज्यों को सहयोग प्रदान किया जाता है।

समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालय अनुदान के विशेष प्रावधान से ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को फायदा होगा क्योंकि इनमें से ज्यादातर के पास इस तरह की पढ़ने की सुविधा की कमी है और इस अनुदान से वे अपने बच्चों के लिए यह सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे।

इसी तरह समग्र शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर

ध्यान केंद्रित किया जाता है और इसके लिए अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण, पुस्तकालय, खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुदान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, सूचना और संचार टेक्नोलॉजी और डिजिटल पहल, पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों के लिए सुधारात्मक पढ़ाई और 'पढ़े भारत–बढ़े भारत' जैसे कार्यक्रमों में मदद दी जाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई की गुणवत्ता पर जबर्दस्त असर पड़ सकता है क्योंकि उन्हीं को इनका मुख्य रूप से लाभ मिलेगा।

पुनर्गठित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना

समग्र शिक्षा के अंतर्गत पुनर्गठित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना के अंतर्गत अब शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ऐसे हर ब्लॉक में, जहां किसी भी योजना के तहत कोई आवासीय विद्यालय नहीं है, बालिकाओं के लिए कम से कम एक आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षित बालिकाओं के लिए 3,700 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय होस्टलों का विस्तार कर उनमें 12वीं तक की कक्षाओं की बालिकाओं के रहने की व्यवस्था की जाएगी। इससे आमतौर पर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य वंचित वर्गों की 6 लाख से अधिक बालिकाओं को फायदा होगा।

सारांश में यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही तरह के इलाके हालांकि समग्र शिक्षा योजना के दायरे में शामिल हैं, लेकिन सरकार का ज़ोर ग्रामीण इलाकों पर होगा और इसके हर पहलू जैसे बुनियादी ढांचे, सीखने के नतीजों, प्रशिक्षित अध्यापकों, पुस्तकालय अनुदान, खेलकूद अनुदान और व्यावसायिक शिक्षा अनुदान जैसे उपायों से करीब 12.97 लाख ग्रामीण स्कूलों के पहले से मौजूद नेटवर्क को इसका फायदा मिलेगा और ग्रामीण शिक्षा प्रणाली के तहत और स्कूल खोलने की संभावना बढ़ जाएगी।

दोपहर का भोजन योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक अन्य योजना मध्याह्न भोजन योजना है। हालांकि यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों ही तरह के इलाकों के लिए है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 71वें दौर के सर्वेक्षण पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में काफी बड़ी तादाद में बच्चे दोपहर के भोजन की योजना का फायदा उठाते हैं। इस तरह के बच्चों की संख्या 70 प्रतिशत तक है। इस योजना का एक लक्ष्य समाज के वंचित वर्गों, जैसे निर्धन, दलित, जनजातीय बच्चों, खेतिहर मजदूरों समेत मजदूरों के बच्चों और बालिकाओं को दोपहर के भोजन के जरिए स्कूल आने के लिए आकृष्ट करना है। वर्ष 2018–19 में देश भर में 11.35 लाख स्कूलों के 9.12 करोड़ बच्चों को स्कूलों में पौष्टिक और गर्मागर्म पका हुआ दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया गया। यह बात अब हर कोई मानने लगा है कि स्कूलों में बच्चों के दाखिले में बढ़ोतरी होने का एक प्रमुख कारण मध्याह्न भोजन योजना है।

पुनर्गठित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) योजना

जनजातीय कार्य मंत्रालय की एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) नाम की इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को, खासतौर पर दूरदराज इलाकों के विद्यार्थियों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक–स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुफ्त प्रदान करना है। एकलव्य स्कूलों का माडल अपनाकर देश की जनजातीय जनसंख्या के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।

वर्ष 2022 तक ऐसे प्रत्येक ब्लॉक में, जहां अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है, और जहां कम से कम 20,000 जनजातीय आबादी है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोल दिया जाएगा। 564 उप–जिलों में से इस समय 102 उप–जिलों में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं।

स्वच्छ विद्यालय पहल

15 अगस्त, 2014 को भारत को साफ–सुथरा बनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान के जवाब में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रत्येक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के अलग–अलग शौचालयों के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए स्वच्छ विद्यालय पहल का शुभारंभ किया। यह अभियान एक साल के भीतर यानी 2015 में पूरा हुआ। इससे देशभर में 11.21 लाख सरकारी स्कूलों के 13,77 लाख बच्चों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाने में भी आंशिक रूप से खासतौर पर सहायता मिली है।

डिजिटल पहल

डिजिटल पहलों से ग्रामीण क्षेत्रों में कायापलट हो सकती है क्योंकि इनसे देश में शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। देश के दूरदराज इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को तेजी से, उद्देश्यपूर्ण और गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने और अध्यापकों को अध्यापन के साथ–साथ प्रशिक्षण प्रदान करने में डिजिटल पहलों की विशेष भूमिका है।

हाल में ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड शुरू किए जाने का उद्देश्य देशभर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में (इस तरह के सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या करीब 1.5 लाख है) डिजिटल बोर्ड की शुरुआत करना है। इसी तरह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले चरण में 300 विश्वविद्यालयों और 10,000 कॉलेजों को डिजिटल बोर्ड के दायरे में लाने की योजना बनाई है जिसके अंतर्गत 2 लाख कक्षाएं शामिल होंगी।

ई–पाठशालाः राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जीवन (एनसीईआरटी) की पुस्तकों के डिजिटल संस्करण अब हर किसी के लिए मुफ्त उपलब्ध हैं। 15 लाख विद्यार्थी अब तक ई–पाठशाला एप डाउनलोड कर चुके हैं। 26 फरवरी, 2019

को ई–पाठशाला पर जाने वालों की संख्या 4 करोड़ को पार कर चुकी थी। गूगल प्ले स्टोर में इस एप की रेटिंग 5 में से 4 और विंडोज स्टोर पर 5 में से 4.5 है।

दीक्षाः अध्यापकों के लिए डिजिटल मंच है जो सभी वर्गों के अध्यापकों को क्षमता निर्माण में मदद करता है। इससे 50 लाख से अधिक अध्यापकों को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

'स्वयं' प्लेटफार्म पर मूक्स यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज –यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाला समन्वित प्लेटफार्म है जिसके अंतर्गत स्कूल (नौवीं से बारहवीं) से लेकर स्नातकोत्तर–स्तर के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। जुलाई 2019 तक 'स्वयं' के जरिए 2,769 मूक्स (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स) शुरू किए गए जिनमें करीब 1.02 करोड़ विद्यार्थियों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का फायदा न केवल विद्यार्थी उठा रहे हैं बल्कि अध्यापक और विद्यार्थियों के अलावा जीवनपर्यंत सीखने की इच्छा रखने वाले अन्य लोग भी इनका फायदा उठा रहे हैं।

शैक्षिक ई–सामग्री को 32 राष्ट्रीय चैनलों यानी स्वयंप्रभा डीटीएच टीवी के जरिए प्रसारित करने के लिए 'स्वयंप्रभा' (किशोर मंच) डीटीएच–टीवी चैनल शुरू किए गए हैं।

भारत की नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएल) सीखने में काम आने वाले तमाम संसाधनों का वर्चुअल ऐसा भंडार तैयार करने की परियोजना है जिसमें एक ही स्थान से सभी चीजों को खोजा जा सकता है। एनडीएल में 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं। 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने एनडीएल के माध्यम से अपना पंजीकरण कराया है जिनमें से 20 लाख एनडीएन संसाधनों का सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल पहलों की बढ़ती लोकप्रियता से पता चलता है कि भारत के विशाल भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली विशाल और विविधतापूर्ण जनसंख्या को शिक्षा प्रदान करने की जटिल समस्या के समाधान में डिजिटल टेक्नोलॉजी ही पथ–प्रदर्शन कर सकती है। इसके माध्यम से शीघ्रता और कारगर तरीके से शैक्षिक निर्देश दिए जा सकते हैं और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हुए दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। डिजिटल उपकरणों से सीखने की प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प हो जाती है, सीखने और शिक्षण की प्रक्रिया को संवादमूलक बनाया जा सकता है और विद्यार्थियों को किसी भी स्थान और समय पर ई–संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इस तरह, डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से देशभर के विद्यार्थी सीखने के उच्चतर और विशेषज्ञता वाले स्तर से परिचित हो सकते हैं। सीखने में काम आने वाली विभिन्न सामग्रियों और उच्चतर–स्तर की पाठ्य–पुस्तकों की समस्या से ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डिजिटल सामग्री का विशेष महत्व है।

आकांक्षी जिलों में आमूल परिवर्तन का कार्यक्रम

अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2018–19 रिपोर्ट के अनुसार 993 विश्वविद्यालय, 39931 कॉलेज और 10725 स्वतंत्र संस्थाएं एआईएसएचई के वेबपोर्टल पर सूचीबद्ध हैं। यह रिपोर्ट आंख खोलने वाली है क्योंकि इसका निष्कर्ष है कि 60.53 प्रतिशत कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इससे पता चलता है कि हालांकि ग्रामीण भारत में पर्याप्त संख्या में कॉलेज हैं लेकिन उनमें गुणवत्ता की कमी है। इसलिए नीति आयोग ने विकास के आकांक्षी कुछ जिलों की पहचान की है और इन जिलों में आमूल परिवर्तन के कार्यक्रम का उद्देश्य देश के 28 राज्यों के 117 आकांक्षी जिलों में उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार लाना है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के पहले चरण में शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 60 जिलों में एक–एक मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता दी गई है। इन आदर्श डिग्री कॉलेजों में पर्याप्त संख्या में कक्षाएं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्राध्यापकों के कमरे, टॉयलेट और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से परिष्कृत सुविधाओं जैसी तमाम बुनियादी व्यवस्था होगी। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के दूसरे चरण में नीति आयोग द्वारा चिन्हित उत्तर–पूर्व के राज्यों और हिमालयी राज्यों के ऐसे आकांक्षी जिलों में जहां उच्च शिक्षा संस्थाएं नहीं हैं या उनकी कमी है, वहां नए मॉडल डिग्री कॉलेज

स्थापित करने के लिए केंद्रीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के परियोजना स्वीकृति बोर्ड ने ऐसे 70 जिलों में से प्रत्येक में एक मॉडल डिग्री कॉलेज के लिए केंद्रीय सहायता की मंजूरी दी है।

'निष्ठा' कार्यक्रम

हाल ही में नेशनल इनीशिएटिव फार स्कूल हैड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट (एनआईएसएचटीएचए) यानी स्कूल प्रमुखों और अध्यापकों के समग्र उन्नयन के लिए राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्कूल–स्तर के 42 लाख अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयकों और क्लस्टर संसाधन केंद्र समन्वयकों की क्षमता सृजित की जा सके। 'निष्ठा' कार्यक्रम का मूल उद्देश्य अध्यापकों को इस तरह से प्रेरित और साधनों से सुसज्जित करना है जिससे वे विद्यार्थियों में वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, मूल्यांकन और निर्णय की क्षमता का विकास कर सकें। अध्यापकों को शिक्षण के विभिन्न पहलुओं के बारे में अपने कौशल को विकसित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें सीखने के नतीजों, सक्षमता–आधारित अधिगम और परीक्षण, छात्र केंद्रित शिक्षाशास्त्र, स्कूल की सुरक्षा और हिफाजत, व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों, समावेशी शिक्षा, शिक्षण–अधिगम में सूचना और संचार टेक्नोलॉजी के उपयोग समेत आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, स्वास्थ्य और आरोग्य, योग, स्कूल शिक्षा में पुस्तकालय, पारिस्थितिकी क्लब, युवा क्लब, किचन गार्डन, स्कूल के नेतृत्व के गुणों, पर्यावरण संबंधी सरोकारों, स्कूल–पूर्व और व्यावसायिक शिक्षा से पहले की शिक्षा और सीखने के खुशनुमा तरीके से स्कूल–आधारित मूल्यांकन के बारे में जानकारी दी जाएगी।

नई शिक्षा नीति के प्रारूप में ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे शिक्षकों की आपूर्ति बढ़ाने की परिकल्पना

सही मायनों में प्रतिभाशाली विद्यार्थी, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के अध्यापन के व्यवसाय में आएं, यह सुनिश्चित करने के लिए नई शिक्षा नीति के प्रारूप में विशेष योग्यता–छात्रवृत्तियां शुरू करने की परिकल्पना की गई है। इसके अंतर्गत चार साल का इंटीग्रेटेड बी.एड. पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर विद्यार्थियों को उनके घर के आसपास के इलाकों में रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देने का भी प्रावधान है। उत्कृष्ट अध्यापकों को ग्रामीण इलाकों में तैनाती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन देने की भी बात कही गई है। ऐसे अध्यापकों को ग्रामीण इलाकों में आवास संबंधी प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं, खासतौर पर ऐसे इलाकों में जो अध्यापकों की भारी कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं।

उन्नत भारत अभियान और स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप

ये क्रांतिकारी कार्यक्रम इस अवधारणा पर आधारित हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से अलग–थलग रहकर विकास करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। शहरी इलाकों के विद्यार्थियों को उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाना होगा।

उन्नत भारत अभियान के तहत प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्था को कम से कम पांच गांवों से जोड़ा जाएगा ताकि उनके विद्यार्थी तथा शैक्षणिक संकाय के सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविकताओं को समझने के कार्य से जुड़ें और गांवों के लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए अभिनव तौर–तरीकों और टेक्नोलॉजी की पहचान करें। उच्च शिक्षा संस्थाओं को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों को सुचारू रूप से लागू करने के लिए प्रणालियां विकसित करने को भी कहा गया है। इस समय 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की 688 संस्थाएं इस योजना में हिस्सा ले रही हैं।

स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप (एसबीएसआई) का उद्देश्य कॉलेजों के नौजवानों को स्वच्छता के कार्य से जोड़ना है। प्रधानमंत्री के 2 अक्तूबर, 2014 के आह्वान के अनुरूप उम्मीदवारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 100 घंटे की स्वच्छता संबंधी गतिविधियां गांवों में तथा उनके आसपास पूरी करेंगे जिनमें श्रमदान, स्वच्छता से संबंधित बुनियादी ढांचे का विकास, व्यवहार परिवर्तन अभियान चलाना और सूचना, शिक्षा व संचार जैसी गतिविधियां शामिल हैं। पिछली रिपोर्टों के अनुसार दो लाख विद्यार्थियों को इंटर्नशिप योजना से जोड़ा गया है और इसके लिए उन्हें उनके ऐच्छिक विषयों के अंतर्गत दो क्रेडिट प्वाइंट दिए जाएंगे।

ऊपर बताए गए प्रयासों के अलावा ग्रामीण शिक्षा में सुधार के लिए राज्यों ने कई प्रत्यक्ष उपाय सफलतापूर्वक शुरू किए हैं। गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश जैसे अनेक राज्यों ने स्कूलों में बालिकाओं के दाखिलों के अनुपात में सुधार के लिए बालिकाओं को मुफ्त साइकिल बांटने जैसे कदम भी उठाए हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने विद्यार्थियों को मुफ्त लैपटॉप उपलब्ध कराने की योजनाएं प्रारंभ की हैं।

निष्कर्ष

भारत में शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन और इसके विस्तार के लिए हाल में किए गए जोरदार प्रयासों के दूरगामी परिणाम सामने आए हैं। इनके अंतर्गत न सिर्फ बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जा रहा है बल्कि गुणवत्ता की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा प्रदान करने की प्रणाली में सुधार के लिए टेक्नोलॉजी संबंधी अनोखे समाधान खोजे जा रहे हैं। विद्यार्थी समुदाय ने सीखने के ई–संसाधनों के प्रति बड़ा उत्साह प्रदर्शित किया है। इससे भविष्य के लिए अनेक नई संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं, क्योंकि जैसे–जैसे इंटरनेट के दायरे का विस्तार हो रहा है, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और सुविधाओं का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाले ग्रामीण और दूरदराज इलाकों के लोग ही होंगे।

(नानू भसीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली में अपर महानिदेशक (मीडिया और संचार) हैं; अरविन्द कुमार जैन उपनिदेशक (मीडिया और संचार) हैं। सांख्यिकीय आंकड़े मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मीडिया और संचार अधिकारी अंचल कटियार ने जुटाए हैं।)

ई–मेल : adgnanubhasin@gmail.com, arvind.jain@nic.in

ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने की रणनीति

–सारा आयपे

एक अभिनव प्रयास के तहत नीति आयोग ने स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (एसईक्यूआई) जारी किया है। इसमें राज्यों को उनकी स्कूल शिक्षा प्रणाली की सफलता के आधार पर पहली बार वर्गीकृत किया गया है। सीखने के नतीजों, शिक्षा तक पहुंच, बुनियादी ढांचे और अभिशासन प्रक्रियाओं समेत महत्वपूर्ण मानदंडों को शामिल करते हुए इस सूचकांक के जरिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की निष्पक्ष तुलना करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सापेक्ष स्थिति दर्शायी जाती है। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक के माध्यम से प्रमाणों के आधार पर नीति निर्माण का प्रयास किया जाता है और इससे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एक–दूसरे के अनुभवों से सीखने का मौका मिलेगा।

राष्ट्र की 'आत्मा' माना जाने वाले ग्रामीण भारत में देश की कुल आबादी का 70 प्रतिशत निवास करता है। असल में पूरे यूरोप की जनसंख्या से अधिक लोग भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। बढ़ते शहरीकरण के बावजूद, अनुमान है कि 2050 तक देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करेगी। जनसंख्या की वजह से यहां उपलब्ध शानदार अवसरों का फायदा उठाकर राष्ट्र का विकास करने में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है।

भारत में शिक्षा क्षेत्र का विहंगम दृश्य

ग्रामीण भारत में स्कूली शिक्षा के क्षेत्र का दायरा काफी व्यापक है जिसके अंतर्गत 18 करोड़ विद्यार्थी आते हैं जो देश में विद्यार्थियों की कुल संख्या का 71 प्रतिशत है। भारत में स्कूलों की कुल संख्या में से 84 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ऐतिहासिक विश्लेषण से पता चलता है कि इस क्षेत्र में सराहनीय प्रगति हुई है जिससे यहां के शैक्षिक परिदृश्य में आमूल परिवर्तन आ गया है। एक ज़माना था जब शिक्षा को विलासिता माना जाता था और कुछ ही लोग शिक्षा प्राप्त कर पाते थे। लेकिन आज देश के दूरदराज इलाकों में भी स्कूली वर्दी पहने बच्चे दिखाई देना बेहद आम बात है। पहली पीढ़ी के शिक्षा हासिल करने वालों की संख्या में शानदार बढ़ोतरी के बाद आज के बच्चे अपने माता–पिता की शैक्षिक उपलब्धियों से भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट से पता चलता है कि 1990 और 2017 के बीच स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में दुगुनी बढ़ोतरी हुई है और यह 3.0 वर्ष से बढ़कर 6.4 हो गए हैं।

भारत सरकार हर किसी को शिक्षा तक पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराने में सफल रही है। सर्व शिक्षा अभियान 2000 में शुरू

तालिका–1 : भारत में शिक्षा के आंकड़ों का सारांश

	ग्रामीण	शहरी
स्कूलों की संख्या (लाख में)	12.97	2.39
नाम दर्ज कराने वाले बच्चों की संख्या (करोड़ में)	18	7.1
शिक्षकों की संख्या (लाख में)	65	24

स्रोत : स्कूल शिक्षा के बारे में एकीकृत जिला सूचना (यूडीआईएसई) 2016–17

किया गया, मध्याह्न भोजन योजना 2001 में लागू हुई और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ। स्कूलों में बच्चों का दाखिला बढ़ाने और समानता पर आधारित शिक्षा के अवसर प्रदान करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। असल में 2007 से ग्रामीण और शहरी दोनों ही तरह के इलाकों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के दाखिले का आंकड़ा 95 प्रतिशत को पार कर चुका है।

स्कूली शिक्षा में ग्रामीण और शहरी की तुलना

शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण संकेतकों का ग्रामीण और शहरी आधार पर गहन विश्लेषण करने से बड़े दिलचस्प नतीजे सामने आते हैं।

स्कूलों के बुनियादी ढांचे की दृष्टि से पेयजल और शौचालयों की उपलब्धता में मामूली अंतर है, लेकिन बिजली की उपलब्धता के लिहाज से शहरी और ग्रामीण का अंतर साफ नज़र आता है। इसमें 33 प्रतिशत के अंतर से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शहरी इलाकों के स्कूलों में बिजली की उपलब्धता की स्थिति अच्छी है। इसी तरह शहरी इलाकों में ऐसे स्कूल हैं जिनमें पुस्तकालय अच्छी हालत में हैं। शहरीकरण में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए इस बात में कोई आश्चर्य नहीं कि शहरी इलाकों में अधिक संख्या में नए स्कूल खुल रहे हैं।

ध्यान देने योग्य एक दिलचस्प बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र बालक–बालिका समानता की दृष्टि से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं जैसाकि स्कूलों में कुल दाखिलों में बालिकाओं के अनुपात के आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के निरीक्षण की स्थिति भी बेहतर पाई गई। शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के निरीक्षण में करीब 15 प्रतिशत से अधिक का अंतर पाया गया। लेकिन आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त संसाधनों वाले स्कूल कम हैं। ग्रामीण स्कूलों में शहरी स्कूलों की तुलना में 100 बच्चों का दाखिला कम होता है। हालांकि दोनों ही तरह के स्कूलों में विद्यार्थी–अध्यापक अनुपात लगभग एक समान है, ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों के मुकाबले एकल अध्यापक वाले स्कूलों की संख्या दुगुने से अधिक है। इसका मतलब हुआ कि एक ही अध्यापक को कई कक्षाओं को पढ़ाना पड़ता है जिसका असर विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है। इसी तरह, ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित प्रधानाध्यापकों या प्रधानाचार्यों वाले स्कूलों की संख्या कम पाई गई जिससे स्कूल के संचालन में नेतृत्व की कमजोरी का पता चलता है।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017 में देशभर में सीखने के नतीजों का क्षमता–आधारित मूल्यांकन कराया गया जिससे अधिकतर कक्षाओं के बच्चों के भाषा और गणित सीखने के नतीजों में समानता का पता चलता है। दसवीं कक्षा के औसत अंकों में मामूली क्षेत्रीय अंतर देखे गए जिसमें शहरी इलाकों का प्रदर्शन अच्छा रहा। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में पांचवीं और आठवीं कक्षा के बच्चों के गणित के औसत अंक शहरी बच्चों की तुलना में मामूली अधिक थे। फिर भी सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि देश में शिक्षा देने के तौर–तरीकों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। चित्र–1 से पता चलता है कि ऊंची कक्षाओं में शैक्षिक नतीजों में गिरावट आई है और कम संख्या में विद्यार्थी अपनी कक्षा के स्तर की वास्तविक क्षमता हासिल कर पा रहे हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक क्षमता के आकलन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण पर आधारित शिक्षा की स्थिति के बारे में वार्षिक रिपोर्ट (एएसईआर) से भी शिक्षा की गुणवत्ता में कमी की इसी स्थिति का पता चलता है। 2018 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुमानों के अनुसार स्कूल जाने वाले केवल आधे बच्चे ही पढ़–लिख पाते हैं और एक तिहाई

चित्र 1 : बच्चों के सीखने के नतीजों को लेकर शहरी और ग्रामीण स्कूलों की तुलना

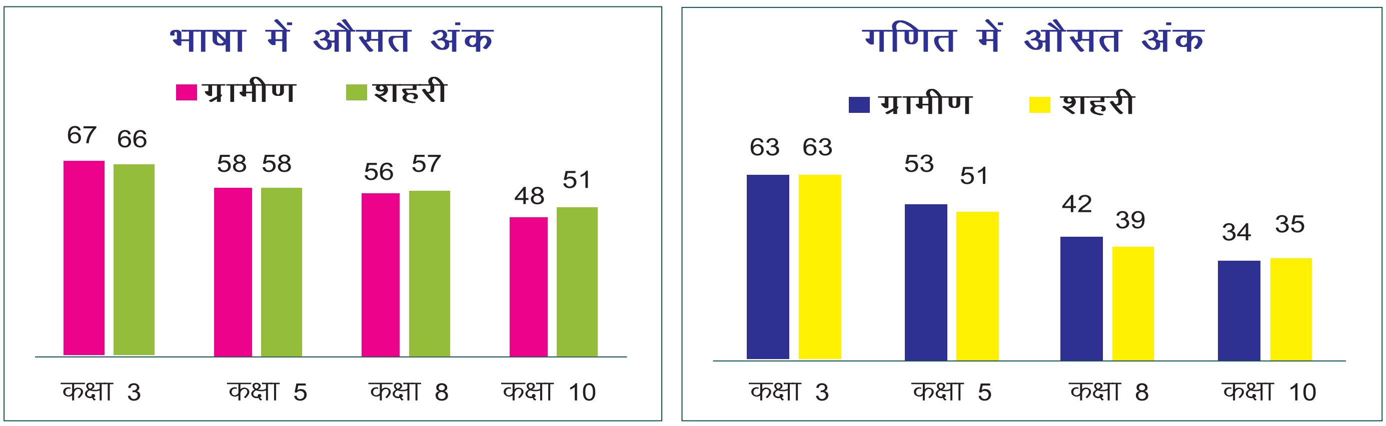

स्रोत : राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण 2017

से कम बुनियादी गणनाएं करने में सक्षम हैं। लेकिन सर्वेक्षण एक आशाजनक संकेत भी देता है। लड़के–लड़कियों के बीच आमतौर पर पाए जाने वाला अंतर काफी कम हुआ है। स्कूलों में दाखिले और स्कूली शिक्षा पूरी न कर पाने वाले विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों की संख्या में जो अंतर पाया जाता था, उसमें अब कमी आ रही है। इतना ही नहीं, सीखने के नतीजों में 2016 के बाद से लगातार सुधार देखा जा रहा है।

समतामूलक शिक्षा को बढ़ावा देने की नीतियां

सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों से चिरस्थायी विकास लक्ष्यों तक हुई प्रगति में फोकस यानी केंद्रबिंदु में बदलाव भी स्पष्ट नजर आता है। यह बदलाव शिक्षा तक पहुंच को सर्वजनीन बनाने के स्थान पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के रूप में परिलक्षित होता है। प्राथमिक स्कूल–स्तर पर शिक्षा को समतामूलक और सबकी पहुंच के दायरे में लाए जाने के क्षेत्र में भारत ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उससे शिक्षा प्रणाली के सामने सबको सीखने का अवसर देने वाली शिक्षा प्रदान करने का अच्छा मंच उपलब्ध हो गया है और सरकार इस दिशा में सही कदम उठा रही है।

तालिका–2 : विवरणात्मक आंकड़े स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण और शहरी आधार पर तुलना

संकेतक	ग्रामीण	शहरी
बुनियादी ढांचे संबंधी संकेतक		
पेयजल सुविधा वाले स्कूलों का प्रतिशत	96.81	98.78
बालिकाओं के लिए शौचालय सुविधा वाले स्कूलों का प्रतिशत	97.30	98.71
बिजली कनेक्शन की सुविधा वाले स्कूलों का प्रतिशत	54.84	87.60
पुस्तकालय सुविधा वाले स्कूलों का प्रतिशत	82.13	87.20
2002 से खुले स्कूलों का प्रतिशत	27.40	30.63
अच्छी हालत वाली कक्षाओं का प्रतिशत	78.35	92.37
स्कूलों की स्थिति		
स्कूलों में औसत दाखिले	108	208
हर स्कूल में अध्यापकों की औसत संख्या	5	10.2
विद्यार्थी–कक्षा अनुपात	24	28
विद्यार्थी–अध्यापक अनुपात	23	22
एक कक्षा में 50 से अधिक बच्चों वाले स्कूलों का प्रतिशत	37.86	21.11
एक अध्यापक वाले स्कूलों की प्रतिशत	7.77	3.84
नियमित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य वाले स्कूलों का प्रतिशत	40.19	49.71
कुल दाखिलों में बालिकाओं का प्रतिशत	48.69	47.04
पिछले शैक्षिक वर्ष में निरीक्षण किए गए स्कूलों का प्रतिशत	46.13	31.68
पढ़ाई के दिनों की औसत संख्या	225	223
शिक्षणेतर गतिविधियों में बिताए दिनों की औसत संख्या	1.27	1.34

स्रोत : स्कूल शिक्षा के बारे में एकीकृत जिला सूचना (यूडीआईएसई) 2016–17

प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में शुरू किए गए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सबसे पिछड़े इलाकों में गिने जाने वाले जिलों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में तेजी से बदलाव लाना है। शिक्षा को सबसे अधिक महत्व देते हुए देशभर के 112 जिलों की लगातार निगरानी की जा रही है और इन्हें महत्वपूर्ण संकेतकों के अनुसार वर्गीकृत कर दिया गया है। नीति आयोग द्वारा निर्देशित और सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस कार्यक्रम के अच्छे नतीजे स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। 71 से अधिक जिलों में तीसरी कक्षा के भाषा के अंकों में कार्यक्रम शुरू किए जाने के सिर्फ छह महीनों में ही सुधार दिखाई देने लगा है। बुनियादी ढांचे संबंधी मानदंडों में असाधारण प्रगति हुई है, खासतौर पर उन 25 जिलों में, जिनकी नीति आयोग निगरानी कर रहा है। एक साल से भी कम समय में प्रारंभ रेखा (जून 2018) और मध्यरेखा (फरवरी–मार्च 2019) के बीच बिजली की सुविधा वाले उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या दस प्रतिशत से अधिक बढ़ी है और लगभग 84 प्रतिशत से 95 प्रतिशत के स्तर पर जा पहुंची है।

नीति आयोग झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में भी मानवीय पूंजी में आमूल परिवर्तन के लिए टिकाऊ कार्रवाई (सस्टनेबल एक्शन फार ट्रांसफार्मिंग ह्यूमन कैपिटल–'साथ') कार्यक्रम का संचालन कर रहा है। भारत की 7 प्रतिशत ग्रामीण आबादी इन तीन राज्यों में बसती है और देश के कुल स्कूलों का 8 प्रतिशत इनमें हैं। आज ये राज्य शैक्षिक और प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक साथ कदम बढ़ा रहे हैं जिसका उद्देश्य स्कूलों को दक्ष बनाना, मानव संसाधन क्षमता बढ़ाना, संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करना, और सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों के सीखने के नतीजों में सुधार लाना है। राज्य सरकारों की साझेदारी से शुरू की गई इन पहलों के अंतर्गत बच्चों के सीखने की क्षमता बढ़ाने के साथ–साथ स्कूलों को सुदृढ़ बनाने, शिक्षकों की भर्ती करने और राज्यों के शिक्षा विभागों का पुनर्गठन करने जैसे कार्य भी किए जा रहे हैं। इनके परिणामस्वरूप संचालन प्रणाली में मजबूती आई है और संसाधनों के उपयोग की दक्षता बढ़ी है। अधिगम संवर्धन में बड़े पैमाने पर वृद्धि करने के कार्यक्रम से 'साथ' कार्यक्रम को लागू कर रहे सभी राज्यों में बच्चों के सीखने के नतीजों में 10–15 प्रतिशत का सुधार हुआ है। इतना ही नहीं, नीति आयोग इस कार्यक्रम के अनुभवों को प्रलेखबद्ध करने की दिशा में प्रयास कर रहा है और अन्य राज्यों के लिए एक ऐसा टूलकिट तैयार कर रहा है जिस पर अमल किया

जा सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के अन्य राज्य भी इसे अपनाएं और पूरे देश में व्यवस्थित रूप से बदलाव लाना आसान हो जाए।

एक अभिनव प्रयास के तहत नीति आयोग ने स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (एसईक्यूआई) जारी किया है। इसमें राज्यों को उनकी स्कूल शिक्षा प्रणाली की सफलता के आधार पर पहली बार वर्गीकृत किया गया है। सीखने के नतीजों, शिक्षा तक पहुंच, बुनियादी ढांचे और अभिशासन प्रक्रियाओं समेत महत्वपूर्ण मानदंडों को शामिल करते हुए इस सूचकांक के जरिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की निष्पक्ष तुलना करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सापेक्ष स्थिति दर्शायी जाती है। स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक के माध्यम से प्रमाणों के आधार पर नीति निर्माण का प्रयास किया जाता है और इससे राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एक–दूसरे के अनुभवों से सीखने का मौका मिलेगा। इसके सूक्ष्म अध्ययन में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के समग्र निष्पादन का मूल्यांकन और समय के साथ हुई प्रगति भी शामिल है। जहां सूचकांक के 30 संकेतकों को शिक्षा की गुणवत्ता के साथ उनके संबंधों के आधार पर महत्व दिया गया है वहीं समतामूलक शिक्षा वाला डोमेन लिंग, क्षेत्र या जाति का भेद किए बिना सभी बच्चों को एक समान शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जरूरी है। कुल 21 प्रतिशत का महत्व रखने वाला समता डोमेन सभी सामाजिक श्रेणियों और क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुंच में अंतर और सीखने के नतीजों का आकलन करता है। 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से 24 का समता संबंधी आंकड़ा 60 प्रतिशत से अधिक है और राजस्थान को समग्र निष्पादन रैंकिंग में सबसे अधिक 79.4 प्रतिशत अंक मिले हैं। उत्तराखंड शहरी और ग्रामीण इलाकों में बच्चों के सीखने के नतीजों में एकरूपता में सबसे आगे है। राज्य में पांचवीं कक्षा के बच्चों में भाषा और गणित के औसत स्कोर में कोई अंतर नहीं पाया गया। असल में कुल मिलाकर 19 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के समता संबंधी स्कोर में आधार वर्ष से लेकर संदर्भ वर्ष तक सुधार भी दिखाई दिया है। इससे सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

भारत में नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने का कार्य पूरा होने को है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप में ऐसी समावेशी और समतामूलक शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की गई है जिसमें सभी बच्चों को सीखने और उन्नति करने का अवसर मिले। इसमें पूरे तालमेल के साथ समन्वित कार्रवाई करके देशभर में शिक्षा में भागीदारी और सीखने के नतीजों में एकरूपता लाने की बात कही गई है। विशेष शैक्षिक क्षेत्रों की स्थापना, शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए लक्षित वित्तपोषण तथा समावेशी शिक्षा के बारे में स्वतंत्र अनुसंधान के लिए जिलावार आर्थिक सहायता के जरिए भारत के लिए आगे का रास्ता इस नीति में बता दिया गया है जो इस दिशा में मौजूदा प्रयासों की बुनियाद पर आधारित होगा।

आज जब भारत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उन्हें याद कर रहा है तो यह हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने का सही वक्त है ताकि शिक्षा के माध्यम से बच्चों और व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा का उत्तमोत्तम विकास किया जा सके। अनुमान है कि भारत में 2050 तक 50 प्रतिशत श्रम–शक्ति ग्रामीण क्षेत्रों से ही प्राप्त होगी। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि स्कूली शिक्षा के जरिए बच्चों के सीखने की मजबूत बुनियाद पड़े।

(आशीष कुमार नीति आयोग में निदेशक हैं और सारा आयपे यंग प्रोफेशनल हैं। इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं।)

ई–मेल : ashish.iofs@gov.on, sarah.iybe@nic.in

अच्छे शिक्षकों के बिना शिक्षा की गुणवत्ता संभव नहीं

–डॉ. अनुप्रिया चड्ढा

''यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूली शिक्षा में सभी स्तरों पर तमाम छात्र–छात्राओं को उत्साही, प्रेरित, उच्च शिक्षित, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित और अन्य बेहतर खूबियों वाले शिक्षक पढ़ाएं।''

मसौदा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2019

भूमिका

शिक्षा का उद्देश्य क्या है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ''क्या यह किताबी ज्ञान है? नहीं। इससे जुड़ा विविध ज्ञान। नहीं, यह भी नहीं। शिक्षा वह चीज है, जिसके माध्यम से चरित्र निर्माण होता है, दिमाग मज़बूत होता है, बुद्धि में बढ़ोतरी होती है और जिसके जरिए कोई अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।'' मैं मौजूदा शिक्षा प्रणाली की समस्या से शुरुआत करूंगी। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह शिक्षा प्रणाली हमारे बच्चों को प्रेरित नहीं करती। लाखों–करोड़ों छात्र–छात्राओं को स्कूल जाने की वजह के बारे में नहीं पता होता। आज छात्र परीक्षा पूरी करने के बाद अपने ज्ञान को बरकरार नहीं रख पाते। ऐसे में युवाओं को अपने दिमाग में घुटन महसूस होती है। वे ऐसे दौर में खुद को कमजोर महसूस करते हैं, जब उन्हें सवाल पूछना चाहिए, ज्ञान हासिल करना चाहिए और ज्ञान की ज्यादा से ज्यादा भूख विकसित करनी चाहिए।

एनईपी (2019) के मसौदे के मुताबिक, ''शिक्षक वाकई में हमारे बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं, लिहाजा वे हमारे राष्ट्र का भविष्य भी तय करते हैं। शिक्षकों के माध्यम से ही हमारे बच्चों को नैतिक मूल्य, ज्ञान, संवेदना, रचनात्मकता, जीवन कौशल और सामाजिक जिम्मेदारियां आदि चीजें मिलती हैं। प्राचीनकाल से ही शिक्षकों की हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शिक्षक हमारी शिक्षा प्रणाली का मुख्य केंद्र हैं और वे एक प्रगतिशील, शिक्षित और समृद्ध समाज बनाने की दिशा में अनिवार्य माध्यम हैं।''बच्चों में ज्ञान विकसित करने, प्रेरणा का दीप जलाने और रचनात्मक सोच तैयार करने में शिक्षक की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।

मौजूदा स्थिति

भारत ने शिक्षा की उपलब्धता और समानता के मामले में अच्छा काम किया है और यहां तकरीबन हर बच्चे को स्कूल पहुंचाया गया है। हालांकि, अभी बच्चों के सीखने के स्तर को काफी बेहतर बनाने की जरूरत है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और एसईआर जैसे सार्वजनिक अध्ययनों में भी इस बात की पुष्टि की गई है। स्कूली बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए बहुस्तरीय रणनीति और विभिन्न स्तरों पर पहल की आवश्यकता होती है। शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़े अहम पहलुओं में ये चीजें शामिल हैं: शिक्षक, कक्षाओं का बेहतर संचालन, बच्चों के सीखने संबंधी प्रदर्शन का मूल्यांकन, स्कूल से जुड़ी आधारभूत संरचना, स्कूल नेतृत्व और सामुदायिक भागीदारी।

देश में प्राथमिक–स्तर पर कुल 43.31 लाख शिक्षक हैं, जबकि माध्यमिक–स्तर पर शिक्षकों की संख्या 6.11 लाख है। आंकड़े बताते हैं कि फिलहाल प्राथमिक–स्तर पर 8.33 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं और माध्यमिक स्तर पर 1.11 लाख शिक्षक बहाल करने की जरूरत है। यह वाकई में चिंता का विषय है और इस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को शिक्षकों के खाली पदों को तत्काल भरने की आवश्यकता है। इसके अलावा, शिक्षकों के लिए एक निश्चित अवधि तक ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग को अनिवार्य बनाया जाए। तमाम स्कूलों और विषयों में शिक्षकों की उपलब्धता का भारी असंतुलन है, जबकि ज्यादातर राज्यों में छात्र–शिक्षक अनुपात तय मानदंडों के मुताबिक है। सबसे 'बेहतर' ज़िलों/स्कूलों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक दिखते हैं और 'मुश्किल (दूरदराज, पिछड़े आदि)' ज़िलों में शिक्षकों की कमी नजर आती है। उच्च प्राथमिक स्कूल–स्तर पर कई विषयों (विशेष तौर पर गणित, विज्ञान और भाषा) में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के पद खाली हैं।

कक्षाओं की प्रक्रिया मोटे तौर पर 'पारंपरिक' ही है और ज्यादातर मामलों में एकतरफा भाषण चलता है। शिक्षक सवाल पूछते हैं और छात्र–छात्राएं तभी बोलते हैं, जब उनसे कुछ पूछा जाता है। ज्यादातर मामलों में छात्र–छात्राएं चुपचाप शिक्षकों की बात सुनते हैं और सीखने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सीमित रहती है। पढ़ाई में ज़ोर रटंत विद्या पर होता है और विश्लेषण व तर्कपूर्ण बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ज्यादातर स्थायी शिक्षक दिव्यांग बच्चों की सामाजिक जरूरतों और व्यक्तिगत–स्तर पर सीखने की प्रक्रिया पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। नौकरी कर रहे ज्यादातर शिक्षकों की जरूरतें एक ही तरह के 'प्रशिक्षण' से पूरी हो जाती हैं। इस प्रशिक्षण में भी एकतरफा संवाद होता है। किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों को पेशेवर के तौर पर शामिल करना और उनके अनुभवों और समझ पर विचार–विमर्श करना जरूरी है। जो प्रशिक्षण सत्र शिक्षकों के अनुभव से जुड़े होते हैं, उनके उपयोगी होने की संभावना ज्यादा रहती है। हालांकि, प्रशिक्षण के असर को लेकर भी काफी कम सूचना उपलब्ध है।

बीआरपी (ब्लॉक रिसोर्स पर्सन) की अकादमिक भूमिका पूरी नहीं हो पाई है। शोध अध्ययनों के मुताबिक, शैक्षणिक सुधार के लिए शिक्षकों का मार्गदर्शन काफी अहम है और इसका प्रशिक्षण से ज्यादा गहरा असर होता है। स्कूलों की मज़बूत अकादमिक जीवनरेखा इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके पास अकादमिक मार्गदर्शक की भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त कौशल और अनुभव नहीं होता। शिक्षकों को उस तरह का अकादमिक और शैक्षणिक सहयोग नहीं मिल पाता, जिसकी उन्हें जरूरत होती है। साथ ही, ब्लॉक संसाधन केंद्र (ब्लॉक रिसोर्स सेंटर) और क्लस्टर संसाधन केंद्र (क्लस्टर रिसोर्स सेंटर) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) जैसे मजबूत अकादमिक संस्थानों के साथ और राज्य शैक्षणिक शोध और प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) की मदद से ही आगे बढ़ सकते हैं।

एक और बात यह कि प्रधानाध्यापक के क्षमता निर्माण पर पर्याप्त ज़ोर नहीं होता। स्कूल–स्तर पर बदलाव में स्कूल का नेतृत्व प्रमुख पहलू है। जहां भी स्कूल के प्रधानाध्यापक सक्रिय और प्रभावशाली हैं, उसका असर साफतौर पर स्कूल के कामकाज पर नज़र आता है। कई शोध अध्ययनों में भी इस बात के संकेत मिले हैं। एक अच्छे प्रधानाध्यापक के कारण स्कूल और समुदाय का बेहतर रिश्ता देखने को मिलता है। स्कूल–स्तर पर शिक्षक की जवाबदेही तय करने से जुड़ी प्रणाली तैयार करने की जरूरत है।

शिक्षकों से जुड़े मुद्दे

मौजूदा स्थिति में शिक्षकों और उनकी शिक्षा से जुड़े कई मुद्दे हैं। इस बारे में नीचे बताया गया है:

ऐसी प्रणाली का अभाव है, जहां साफतौर पर मकसद शिक्षक के रूप में सबसे बेहतरीन छात्र–छात्राओं की भर्ती करना होता है। विशेष तौर पर शिक्षकों की भर्ती की मौजूदा प्रणाली में वैसे किसी इंटरव्यू या कक्षा में डेमो का प्रावधान नहीं है, जिससे उम्मीदवार की दिलचस्पी और प्रेरणा का मूल्यांकन किया जा सके।

शिक्षकों की गुणवत्ता का स्तर काफी कमज़ोर है और इस लिहाज से वाकई में फिलहाल संकट का दौर है। देश में शिक्षकों के लिए तकरीबन 17,000 शिक्षण संस्थान हैं, जिनमें से 92 प्रतिशत संस्थान निजी हैं। कई अध्ययनों में बताया गया है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मौजूद कॉलेजों में ज्यादातर संस्थान अच्छी शिक्षा देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़े कई संस्थानों में सिर्फ इसी कोर्स की पढ़ाई होती है, इसके बावजूद इन संस्थानों में बेहतर प्रशिक्षण देने की क्षमता नहीं है।

अगला प्रमुख मुद्दा शिक्षकों की तैनाती का है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, देश में 10 लाख से भी ज़्यादा खाली पद हैं। इसका बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में खाली पड़ा है। इस वजह से कुछ इलाकों में छात्र–शिक्षक अनुपात 60:1 से भी ज्यादा है। कुछ इलाकों में छात्र–शिक्षक अनुपात की समस्या से भी चिंताजनक मुद्दा स्कूलों में जरूरी विषयों के शिक्षकों का नहीं होना है।

शिक्षकों से जुड़ी एक और चुनौती अचानक से उनका स्थानांतरण होना भी है, जिसका खामियाज़ा शिक्षकों, छात्र–छात्राओं और स्कूलों को भी भुगतना पड़ता है। अचानक से किसी शिक्षक के किसी स्कूल से चले जाने पर छात्र–छात्राओं और उनके सीखने की प्रक्रिया पर बुरा असर हो सकता है। स्थानांतरण के कारण शिक्षक उन स्कूलों और समुदायों से मज़बूत रिश्ता भी नहीं बना पाते, जहां वे काम करते हैं। लिहाज़ा, बेहतर शैक्षणिक नतीजों के लिए शिक्षकों का स्थिर कार्यकाल सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

पर्याप्त आधारभूत संरचना, संसाधन और जरूरी सामग्री की आपूर्ति के अभाव के कारण शिक्षकों की उपलब्धता पर बुरा असर पड़ता है। विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में ऐसी समस्या देखने को मिलती है। कुछ स्कूलों में पीने के साफ पानी, शौचालय और बिजली की कमी बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। इसके अलावा, शिक्षा प्रणाली से जुड़े बेहतर तंत्र के अभाव में शिक्षक अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाते।

शिक्षा का अधिकार कानून के तहत शिक्षकों को गैर–शिक्षण गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद शिक्षकों को अक्सर अपने समय का बड़ा हिस्सा इसी तरह की गतिविधियों पर खर्च करने को मजबूर होना पड़ता है, मसलन मध्याह्न भोजन प्रबंधन, प्रशासनिक कार्य, डाटा प्रबंधन आदि। इस वजह से शिक्षक अपने वास्तविक काम– पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते।

शिक्षा क्षेत्र काफी तेज़ी से बदल रहा है। एक शिक्षक को शिक्षण की बेहतरीन और उपयोगी परंपराओं के बारे में नियमित रूप से जागरूक रहना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि शिक्षकों को नई–नई तकनीक अपनाकर अपने शैक्षणिक कौशल को लगातार बेहतर बनाना होगा। मौजूदा प्रणाली में शैक्षणिक कौशल और क्षमता निर्माण में नियमित–स्तर पर बदलाव को बढ़ावा देने के लिए गुंजाइश नहीं है। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले देश अपने पेशेवर विकास और प्रशिक्षण को प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर रखते हैं और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए नियमित रूप से संस्थान के भीतर ही प्रशिक्षण मुहैया कराते हैं।

स्कूली सिस्टम में वेतन, पदोन्नति जैसी चीजों में आमतौर पर

योग्यता और काबिलियत की भूमिका नहीं होती। शिक्षक पेशे के ऊंचे दर्जे को फिर से बहाल करने के लिए सेवा शर्तों और कैरियर प्रबंधन में नए सिरे से बदलाव की जरूरत है। इससे शिक्षकों की उत्पादकता और दक्षता के लिए गुंजाइश बनेगी।

शिक्षकों की क्षमता सुधारने के लिए सुझाव

शिक्षण पेशे में बुनियादी बदलाव की जरूरत है, ताकि शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया का स्तर बेहतर बनाया जा सके। शिक्षकों की क्षमता और शिक्षण का स्तर सुधारने की सख्त जरूरत है। इससे जुड़े कुछ सुझाव नीचे दिए जा रहे हैं–

ग्रामीण इलाकों और शिक्षण के पेशे में बेहद मेधावी छात्र–छात्राओं की पहुंच हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए देशभर में योग्यता–आधारित छात्रवृत्ति शुरू करने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में खास योग्यता–आधारित छात्रवृत्ति हो, जो उनके स्थानीय क्षेत्र में रोजगार की गारंटी भी दे। छात्रों के 4 साल के इंटीग्रेटेड बी. एड. कोर्स को पूरा करने के लिए यह छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। ग्रामीण इलाकों में शिक्षण का काम करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए। विशेष रूप से दूरदराज के वैसे ग्रामीण इलाकों में यह व्यवस्था की जानी चाहिए, जहां बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं।

शिक्षण में उत्साह और दिलचस्पी का पता लगाने के लिए कक्षाओं में डेमो या इंटरव्यू को स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का जरूरी हिस्सा बनाया जाना चाहिए। सभी स्थायी शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता चार साल का इंटीग्रेटेड बी. एड. कोर्स होना चाहिए। हालांकि, स्थानीय ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों को विभिन्न विषयों मसलन पारंपरिक स्थानीय कलाओं, व्यावसायिक कोर्स की खातिर 'विशेष प्रशिक्षक' के रूप में स्थानीय विशिष्ट लोगों की भर्ती की अनुमति देनी होगी। इससे छात्र–छात्राओं को फायदा होगा और स्थानीय भाषा के संरक्षण और संवर्धन में भी मदद मिलेगी। अगले दो दशक में शिक्षकों और विषयवार शिक्षकों की अनुमानित जरूरत के मूल्यांकन के लिए व्यापक–स्तर पर काम करने की जरूरत है।

अच्छी सेवा शर्तें सुनिश्चित करने के लिए सभी स्कूलों को पर्याप्त और सुरक्षित आधारभूत संरचना से लैस करने की जरूरत है यानी शौचालय, पीने का साफ पानी, साफ–सुथरी जगह, बिजली, कंप्यूटर और इंटरनेट। इससे शिक्षकों को पढ़ाने और छात्र–छात्राओं को सीखने की प्रेरणा मिलेगी।

माता–पिता और अन्य स्थानीय पक्षों के सहयोग से शिक्षक स्कूलों के संचालन और फैसले लेने की प्रक्रिया में ज्यादा सक्रियता के साथ शामिल हो सकेंगे। साथ ही, शिक्षकों को पाठ्यक्रम और शिक्षण के बारीक पहलुओं के चुनाव में ज्यादा स्वायत्तता दिए जाने की जरूरत है, ताकि वे छात्र–छात्राओं को कक्षाओं में प्रभावशाली ढंग से पढ़ा सकें। नए तरीके से पढ़ाने पर शिक्षकों की कद्र होनी चाहिए, जिससे सीखने की प्रक्रिया बेहतर हो सकेगी।

शिक्षकों को नई–नई चीजें सीखने और खुद से सुधार करने के लिए नियमित तौर पर अवसर दिया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हर शिक्षक को ज्यादा से ज्यादा विकास के लिए काम करने की सहूलियत मिले। इसके लिए अलग तरीका अपनाया जाए। सभी शिक्षकों को स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण और कार्यशाला के अवसर के अलावा शिक्षण विकास से जुड़ा ऑनलाइन मॉड्यूल भी उपलब्ध होना चाहिए, ताकि प्रत्येक शिक्षक यह चुनाव कर सके कि उसके अपने विकास के लिए क्या सबसे उपयोगी है।

स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता और शिक्षकों की उपलब्धता सुधारने के लिए अन्य सुझाव

- हर स्कूल में सभी विषयों के शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और दूरदराज के इलाकों में मौजूद स्कूलों पर विशेष जोर हो। राज्यों को सभी ज़िलों और स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती को तर्कसंगत बनाना चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हर प्राथमिक स्कूल में कम से कम दो शिक्षक हों और उच्च प्राथमिक स्कूल में सभी विषयों के शिक्षक हों।
- शिक्षकों के व्यावसयिक विकास के लिए बीआरसी और सीआरसी को मजबूत बनाना। बीआरसी और सीआरसी को पाठ्य–सामग्री और संसाधनों (प्रिंट और डिजिटल) का संग्रह तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि शिक्षकों को पढ़ाने के लिए तैयारी करने और अध्ययन में मदद मिल सके।
- राज्यों को कुछ संस्थानों के साथ मिलकर सख्त चयन प्रक्रिया के जरिए बेहतरीन शिक्षकों का एक मज़बूत समूह तैयार करना चाहिए।
- शिक्षकों और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वालों से जुड़ी सामग्री को स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराया जाए। राज्य–स्तर पर मौजूद सामग्री का डिजिटल संग्रह तैयार हो, जिसे राष्ट्रीय–स्तर पर इकट्ठा किया जा सकता है। वैसे विश्वविद्यालयों/विभागों की पहचान की जाए, जो नई सामग्री तैयार करने, उसके अनुवाद और उसके प्रमाणीकरण की जिम्मेदारी ले सकें।
- एससीईआरटी और डीआईईटी को मज़बूत किया जाए। ये दोनों संस्थान दीर्घकालिक अवधि में स्कूल प्रणाली की जीवनरेखा हैं। इन संस्थानों में मजबूत नेतृत्व तैयार करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वालों का कॉडर बनाना और पूरी फैकल्टी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बेहतर आधारभूत संरचना और सीखने से जुड़े संसाधन उपलब्ध कराना और स्कूली शिक्षा के सभी विभागों के साथ मजबूत जुड़ाव बेहद ज़रूरी है।

शिक्षक अच्छी शिक्षा का आधार हैं। शिक्षा, शिक्षक और छात्र के बीच की प्रक्रिया है। अगर शिक्षा में सुधार करना है तो पढ़ाने के तौर–तरीकों को सुधारना होगा। इस मोर्चे पर बदलाव की किसी भी कोशिशों में शिक्षक की अहमियत को ध्यान में रखना होगा। शिक्षण एक बौद्धिक और नैतिक पेशा है। शिक्षकों को स्वतंत्र, सक्षम और जिम्मेदार प्रोफेशनल के तौर पर देखा जाना चाहिए। पेशेवर पहचान और ज्ञान के लिए उनका सम्मान किया जाता है।

(लेखिका समावेशी शिक्षा से जुड़ी विशेषज्ञ हैं और समर्थनम ट्रस्ट के लिए काम करती हैं।)

ई–मेल : anupriya@samarthanam.org

ग्रामीण भारत में बेहतर स्कूली शिक्षा उपलब्धियां और चुनौतियां

–प्रो. सतीश कुमार यादव

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का प्रभाव दुनिया में सभी क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। शिक्षा जगत इससे अछूता नहीं रह सकता। इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो हम दुनिया में पिछड़ जाएंगे। इसके लिए हमें अपनी व्यवस्था में सुधार कर अध्यापक शिक्षा और शिक्षकों हेतु तैयार करना होगा। इस लेख में शिक्षा प्रणाली में सुधार से संबद्ध विभिन्न आयोगों, समितियों, योजनाओं व कार्यक्रमों की चर्चा की गई है। अगर इनमें दिए गए सुझावों को दृढ़तापूर्वक लागू किया जाए तो अध्यापक शिक्षा की चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा और योग्य, शिक्षक तैयार होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा में सुधार व गुणवत्ता लाएंगे।

भारत की लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। हमारे देश का विकास तभी संभव होगा जब ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। इन क्षेत्रों के विकास के लिए हमें शिक्षा विशेषकर स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। हालांकि आज़ादी के बाद भारत सरकार ने शिक्षा को बढ़ाने के विभिन्न प्रयास किए हैं। आज देश में करीब 15 लाख विद्यालय हैं जिनमें से लगभग 75 प्रतिशत विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इन सभी विद्यालयों में 8,84,254 अध्यापक कार्यरत हैं। जिसमें से 64,65,920 (73.12 प्रतिशत) अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनकी गुणवत्ता व उपलब्धता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने समय–समय पर आयोग व कमेटियां बैठाई। बहुत से कार्यक्रम, नीतियां और योजनाएं बनाई, जिनका विवरण इस लेख में किया गया है।

विद्यालयी शिक्षा संबंधित नीतियां

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968, 1986) के अनुसार शिक्षकों के स्तर और शिक्षण–प्रशिक्षण में सुधार किया जाना चाहिए। शिक्षकों के वेतनमान बढ़ाए जाएं और उनकी सेवा शर्तों को आकर्षक बनाया जाए। राष्ट्रीय शिक्षक आयोग (1983–85) के अनुसार शिक्षकों की प्रतिष्ठा, कार्यदशा सुधारने एवं कल्याण हेतु शैक्षिक प्रशासकों और शिक्षकों को संग्रहित राष्ट्रीय वेतनमान दिया जाना चाहिए। शिक्षकों की भर्ती को संस्था–आधारित करते हुए स्थानांतरण की वर्तमान प्रणाली से बाहर निकलने की जरूरत है। शिक्षक संगठनों की सहमति से शिक्षकों के लिए आचार–संहिता तैयार की जा सकती है। शिक्षण व्यवस्था की उच्चतर प्रतिष्ठा तथा मान्यता प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए।

यशपाल समिति की रिपोर्ट (1993) "शिक्षा बिना बोझ के" में लिखा है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी के कारण स्कूलों में शिक्षण की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है।" इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम स्कूल की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। इन कार्यक्रमों में इस बात पर बल देना चाहिए कि प्रशिक्षणार्थियों में स्वयं–अधिगम और स्वतंत्र–चिंतन की योग्यता का विकास हो सके।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (2005–08) के अनुसार अध्यापक स्कूली

प्रणाली के सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। एक व्यवसाय के रूप में स्कूली शिक्षकों की प्रतिष्ठा बहाल किए जाने और योग्य तथा प्रतिबद्ध अध्यापकों को और अधिक प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। शिक्षा के इतर सरकारी काम जैसे कि चुनाव संबंधी क्रियाकलाप इस तरह किए जाने चाहिए कि वे शिक्षण प्रक्रिया में कोई बाधा न बनें। स्कूली अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी प्रणालियां होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि योग्य अध्यापकों की सेवाएं प्राप्त की जाएं और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि वे बेहतर ढंग से काम कर सकें।

एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) के अनुसार बच्चा, सीखते हुए ज्ञान का सृजन करता है। इसका निहितार्थ है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें शिक्षक को इस बात के लिए सक्षम बनाएं कि वे बच्चों की प्रकृति और वातावरण के अनुरूप कक्षायी अनुभव आयोजित करें ताकि सारे बच्चों को सीखने का अवसर मिल पाए। योग्य व उत्साही शिक्षकों की उपलब्धता, जो अध्यापन को कैरियर के विकल्प के रूप में देखते हैं, स्कूलों के सभी वर्गों में गुणवत्ता की आवश्यक शर्त है। शिक्षा की कोई भी व्यवस्था अपने अध्यापकों की श्रेष्ठता से ऊपर नहीं उठ सकती और अध्यापकों की श्रेष्ठता उन्हें चुनने वाले अध्यापकों की श्रेष्ठता, उन्हें चुनने के साधन, प्रशिक्षण प्रक्रिया और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त नीतियों पर निर्भर करती है। ऐसे योग्य शिक्षक अध्यापक शिक्षा के माध्यम से ही तैयार किए जा सकते हैं जो देश में विभिन्न विद्यालयों में प्राइमरी, मिडिल व सेकेंडरी–स्तर पर कार्यरत हैं, मगर फिर भी सरकार ने समय–समय पर इनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जैसे कि सन् 1993 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (रा.अ.शि.प.) संवैधानिक रूप से पार्लियामेंट के एक्ट से स्थापित की गई ताकि देश में अध्यापक शिक्षा के मापदंडों व मानकों के निर्धारण व रखरखाव द्वारा विभिन्न–स्तर पर अच्छे और योग्य शिक्षक तैयार किए जा सकें। सन् 1998 में, रा.अ.शि.प. ने अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जिसमें विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न–स्तरों पर अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रमों की चर्चा की गई है। शिक्षक शिक्षा के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप, 2009 के अनुसार हमें ऐसे शिक्षक चाहिए जो बच्चों का ख्याल रख सकें और उनकी देखरेख कर सकें। बच्चे उनके साथ रहना पसंद करें और शिक्षक बच्चों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हों। शिक्षकों की भूमिका को बजाय ज्ञान प्रसारक के, सूचना तथा ज्ञान सृजक के रूप में स्थापित किए जाने की जरूरत है।

> राष्ट्रीय–स्तर पर एन.सी.ई.आर.टी., रा.अ.शि.प. व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– इन तीन संस्थाओं का आपस में तालमेल नहीं है। इन तीनों संस्थानों का आपस में तालमेल बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की रूपरेखा सही दिशा में बने और अध्यापक शिक्षा के मुख्य बिंदुओं को सभी पाठ्यक्रम प्रारूपों में दर्शाया जा सके।

वर्मा कमीशन (2012) में शिक्षकों व अध्यापकों–शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई सुझाव दिए गए। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2014 में वर्मा कमीशन के मद्देनज़र अध्यापक शिक्षा में बड़े बदलाव किए गए। रा.अ.शि.प. ने ऐसे कुशल व योग्य अध्यापक बनाने के लिए 15 कोर्स बनाए, इनकी अवधि बढ़ाई और नवीन पाठ्यक्रम सुझाया। इन पाठ्यक्रमों के द्वारा प्राइमरी–स्तर के अध्यापक विभिन्न संस्थानों द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

प्रमुख योजनाएं एवं कार्यक्रम

भारत सरकार ने समय–समय पर स्कूली शिक्षा सुधारने हेतु शिक्षकों के लिए नई–नई योजनाएं बनाई ताकि शिक्षकों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का सुधार हो सके। कुछ योजनाओं की चर्चा यहां पर की गई है–

- सन् 2017 में एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली ने प्राथमिक–स्तर के विभिन्न विषयों में लर्निंग आउटकम तैयार कर उसे लगभग 40 लाख शिक्षकों तक पहुंचाया और उन्हें प्रशिक्षित किया ताकि वे अपनी भाषा में हर कक्षा में हर विषय में छात्रों को क्या ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में सुनिश्चित कर सकें। अब सेकेंडरी–स्तर के लर्निंग आउटकम तैयार किए जा रहे हैं।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रशिक्षित अध्यापक को ही कार्य करने का अधिकार दिया गया। 14 लाख अध्यापक, जो प्रशिक्षित नहीं थे और देश के विभिन्न राज्यों के विद्यालयों में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत थे, उनको 2019 तक प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस प्रयास से सभी विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक ही पढ़ा पाएंगे। यह कदम स्कूली शिक्षा की उपलब्धता व गुणवत्ता को बढ़ाएगा।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने प्री–स्कूल से 12 वीं कक्षा तक पूरी शिक्षा पर एक समग्र शिक्षा प्रयोजना को सन् 2018 में लागू किया। यह प्रयोजना स्कूलों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापकों की उपलब्धता व गुणवत्ता को बढ़ाएगी। इस योजना को तीन योजनाओं से मिला कर बनाया गया है। प्राइमरी–स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान, सेकेंडरी–स्तर पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और अध्यापक शिक्षा को मिलाकर एक समग्र शिक्षा योजना बनायी गई है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ–साथ स्कूली शिक्षा में सुधार लाएगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'स्वयं' प्लेटफार्म की शुरुआत की गई जिसमें एक हजार से अधिक पाठ्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं और 23 लाख से अधिक छात्र लाभ उठा रहे हैं।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली के माध्यम से अगस्त, 2019 से अध्यापक प्रशिक्षण के लिए 'निष्ठा' कार्यक्रम का आयोजन किया जा

रहा है जिसमें 42 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम से अध्यापकों को विभिन्न विषयों को पढ़ाने की नई–नई विधियां, कला शिक्षा, जीवन के मूल्य, प्रौद्योगिकी का प्रयोग, मूल्यांकन की विधियां इत्यादि के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

स्कूली शिक्षा में उपलब्धियां

ऊपर दी गई योजना के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में काफी सुधार आया है। कुछ उपलब्धियों का नीचे वर्णन किया गया है–

- सभी विद्यार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सुविधाएं प्रदान की गई हैं। छात्रवृत्तियां, पाठ्य–पुस्तकें, ड्रेस, मध्यान्ह भोजन एवं अन्य सामग्री निःशुल्क दी जा रही हैं। छात्रों की रूचि अनुसार शिक्षण एवं अन्य गतिविधियों में भागीदारी की सुविधा दी जा रही है ताकि आर्थिक कारणों से पढ़ाई में बाधा न आए। शिक्षण व अन्य गतिविधियों में भागीदारी की सुविधा दी जा रही है। मूल्यांकन के लिए ग्रेडिंग पद्धति लागू है। शिक्षा में अब नए–नए तरीकों का प्रयोग बढ़ रहा है। इन सभी प्रयोगों से विभिन्न–स्तरों में पढ़ रहे स्कूलों के विद्यार्थियों के परीक्षाफल के प्रतिशत में काफी सुधार हुआ।
- सन् 1951 में हमारे देश में केवल पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा तक 2,30,700 स्कूल थे जो 2019 में बढ़कर 15 लाख हो गए। इन सत्तर वर्षों में सात गुना वृद्धि हुई। ज्यादातर विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए।
- सन् 2016–17 में बच्चों के ग्रोस एनरोलमेंट रेशो प्राइमरी में 95 प्रतिशत, मिडिल में 90.7 प्रतिशत, सेकेंडरी में 79.3 प्रतिशत और हायर सेकेंडरी में 51.5 प्रतिशत है, जोकि पहले वर्षों की तुलना में कई गुना ज्यादा है।
- इन विद्यालयों में आज 25 करोड़ बच्चे प्राइमरी, मिडिल व सेकेंडरी–स्तर की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जोकि 1951 की तुलना में दस गुना ज्यादा है। सन् 1951 में लगभग 2.40 करोड़ बच्चे ही पढ़ते थे।
- सन् 1951 में प्राइमरी–स्तर पर 83.85 प्रतिशत, मिडिल–स्तर पर 51.6 प्रतिशत व सेकेंडरी–स्तर पर 73.33 प्रतिशत बच्चे शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ जाते थे जो घट कर प्राइमरी–स्तर पर 4.13 प्रतिशत, मिडिल–स्तर पर 4.03 प्रतिशत और सेकेंडरी–स्तर पर 17.06 प्रतिशत हो गया है।

स्कूली व अध्यापक शिक्षा की चुनिंदा समस्याएं एवं चुनौतियां

इन सभी प्रयासों के बावजूद स्कूली शिक्षा में अपेक्षित गुणात्मक विकास नहीं हो सका है क्योंकि स्कूली शिक्षा और अध्यापक शिक्षा में तालमेल की कमी रही है। इस तालमेल से संबंधित कुछ चुनौतियों व समस्याओं का यहां पर उल्लेख है।

- वर्तमान में शिक्षकों से गैर–शैक्षिक कार्य जैसे कि दोपहर का भोजन तैयार कराना, चुनाव के कार्य देना, बच्चों को पोलियो की दवा पिलाना, जनगणना की जिम्मेदारी देना, प्रशासनिक कार्य कराना इत्यादि कराए जाते हैं, जोकि शैक्षिक कार्य में बाधा डालते हैं। शिक्षकों से केवल शैक्षिक कार्य ही कराए जाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में शिक्षकों को शैक्षिक कार्य करने दिए जाने की सिफारिश की गई। अध्यापक शिक्षा के सभी कोर्सों में उनके पाठ्यक्रम में इन मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए।
- आज हमारे विद्यालयों में 10 लाख अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। ये ज्यादातर ग्रामीण विद्यालयों के हैं। इन विद्यालयों में कई जगह अध्यापक और बच्चों का अनुपात 60:1 है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अध्यापकों की कमी है वहां पर हिंदी के अध्यापक गणित पढ़ा रहे हैं। यहां पर अनिवार्य सुविधाओं की भी कमी है। इसके अतिरिक्त एक लाख बीस हजार ऐसे विद्यालय हैं जहां केवल एक ही अध्यापक कार्य कर रहा है। ये ज्यादातर प्राथमिक–स्तर के हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। इस सभी राज्यों में सरकार द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति की जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जा सके।
- प्रयोगात्मक और प्रदर्शनात्मक विद्यालय नहीं हैं। प्रयोगशालाएं भी नहीं हैं, विद्यालयों में पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। साथ ही, बालकों में जागरूकता का अभाव है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 लागू होते हुए भी सभी गरीब बच्चों को शिक्षा का हक नहीं मिल पा रहा है। इसलिए शिक्षा का अधिकार कानून को ठीक रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए और इसमें पाई गई कमियों को दूर किया जाए। इसके अतिरिक्त, इसको अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए ताकि भावी शिक्षकों को शुरू से इस अधिनियम के बारे में जानकारी हो सके।
- शिक्षा को बाल–केंद्रित रूप में बनाने की सकारात्मक पहल की जा रही है। परंतु वास्तव में इस प्रयास में हमें ज्यादा सफलता नहीं मिली है। इसके लिए हमें अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव लाना होगा और व्यावहारिक व कौशलपूर्ण बनाना होगा। विद्यार्थियों के छोटे–छोटे कार्यकलापों व प्रयोगों की स्वतंत्रता व सुविधा मिले ताकि वे स्वयं अपने अनुभवों से सीख सकें और रचनात्मक, क्रियाशील व सृजनशील अध्यापक बन सकें।
- भारत सरकार ने केंद्र की सहायता से अध्यापक शिक्षा योजना के अंतर्गत सभी राज्यों में लगभग 650 जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान, 104 शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय व 31 उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार ये संस्थान अध्यापक शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने में सहायक सिद्ध होंगे और अध्यापकों को सेवापूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षण निरंतर रूप से प्रदान करेंगे। परंतु ये संस्थान जिन उद्देश्यों के लिए बने थे, वे उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर संस्थान तो केवल सेवापूर्व अध्यापक प्रशिक्षण ही प्रदान कर रहे हैं और उन्होंने केवल अपने

संस्थानों का नाम ही बदला है। इन संस्थानों में शोध का कार्य न के बराबर है। इन योजनाओं को वित्तीय सहायता देने के बावजूद कोई खास सुधार नहीं हुआ। इस योजना की समीक्षा व पुनर्विचार की आवश्यकता है ताकि सभी संस्थान निर्धारित उद्देश्यों के अंतर्गत कार्य कर सकें और अध्यापक शिक्षा में सुधार ला सकें।

- रा.अ.शि.प. ने 2014 में अध्यापक तैयार करने के लिए 15 कोर्स बनाए हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे हैं और विभिन्न–स्तर के अध्यापक तैयार किए जा रहे हैं। परंतु इन सभी प्रारूपों में सिद्धांत और अभ्यास एकीकृत नहीं है। इसके साथ विषय–वस्तु व शिक्षाशास्त्र का भी एकीकरण नहीं है। पाठ्यक्रम में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) का प्रयोग नहीं के बराबर है। इन सभी मुद्दों का अनुसंधान व शोध के माध्यम से हल ढूंढ़ना चाहिए ताकि इन कार्यक्रमों से मननशील शिक्षक तैयार हो सकें।
- अध्यापक शिक्षा व विद्यालयी शिक्षा का आपस में तालमेल नहीं है। सेवा–पूर्व अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों व अध्यापकों की आवश्यकताओं के बारे में बहुत कम चर्चा की गई है। सेवा–पूर्व अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बदला जाए ताकि दोनों पाठ्यक्रमों में सामंजस्य हो सके और विद्यार्थियों की आवश्यकतानुसार अध्यापक शिक्षा को एक नया दृष्टिकोण दिया जा सके।
- अध्यापक शिक्षा के आंकड़ों के लिए कोई पुख्ता प्रबंध व्यवस्था नहीं है। इसके बिना अध्यापकों की संख्या, पाठ्यक्रम की स्थिति, पठन–पाठन की विभिन्न विधियां, मूल्यांकन विधियां व अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानकारी कहीं एक जगह उपलब्ध नहीं है। बिना आंकड़ों के, आवश्यकतानुसार अध्यापक शिक्षा में कार्यक्रम तैयार करने में कठिनाई महसूस की जाती है। आधुनिक तकनीकी के प्रयोग द्वारा सूचनार्थ व्यवस्था तैयार की जाए जिससे सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि का आपस में तालमेल हो और ऐसी सुविधा हो कि अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी आंकड़े एक जगह उपलब्ध हो और नेटवर्क तथा संपर्क व्यवस्था बनाई जाए। अध्यापक शिक्षा में इस व्यवस्था के आधार पर समय–समय पर नए कार्यक्रम तैयार किए जाएं।
- अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की रूपरेखाः राष्ट्रीय–स्तर पर एन.सी.ई.आर.टी., रा.अ.शि.प. व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– इन तीन संस्थाओं का आपस में तालमेल नहीं है। इन तीनों संस्थ्ानों का आपस में तालमेल बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम की रूपरेखा सही दिशा में बने और अध्यापक शिक्षा के मुख्य बिंदुओं को सभी पाठ्यक्रम प्रारूपों में दर्शाया जा सके।
- सेवाकालीन शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कोई स्थायी योजना नहीं है जिससे कि अध्यापकों को प्रशिक्षण लगातार सुचारू रूप से दिया जा सके। हालांकि भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं और कुछ योजनाओं की यहां पर चर्चा भी की गई है। परंतु ज्यादातर प्रशिक्षण कार्यक्रम तदर्थ रूप से आयोजित

किए जाते हैं। इससे सभी अध्यापकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। सेवारत अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एक योजना बनाई जाए जिसके तहत सभी प्राध्यापकों को सुचारू, सुसंगठित रूप से समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जा सके ताकि वे व्यावसायिक रूप से योग्य बन सकें।

- अधिकतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रायः आमने–सामने (बिम–जव–बिम) प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है जिसमें एक समय में बहुत कम अध्यापकों को प्रशिक्षण मिल पाता है। साथ ही, इस तरह के प्रशिक्षण कई स्तरों पर आयोजित किए जाते हैं। परंतु कई स्तरों पर प्रशिक्षण में सूचनाएं व ज्ञान कई बार गलत ढंग से प्रस्तुत हो जाते हैं। इसलिए अध्यापक प्रशिक्षण में दूरस्थ विधि का भी प्रयोग करना चाहिए ताकि इस विधि द्वारा ज्यादा संख्या में अध्यापकों व प्राध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा सके। साथ ही, विभिन्न–स्तरों पर प्रशिक्षणों की आवश्यकता भी नहीं होगी और सभी केंद्रों पर एक जैसा प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इस माध्यम के लिए टेली–कांफ्रेंसिंग, वीडियो कांफ्रेंसिंग का प्रयोग किया जा सकता है। एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विभिन्न राज्यों के अध्यापकों व प्राध्यापकों के लिए सन् 1996 से अब तक इसके माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। इस प्रणाली का प्रयोग व्यापक रूप से सभी प्रदेशों व संस्थानों द्वारा किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय व राज्य–स्तर के संस्थानों में बहुत प्रकार की प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध है। परंतु यह सामग्री इन संस्थानों तक ही रह जाती है और यह उन स्कूलों व संस्थानों तक नहीं पहुंच पाती जो देश के दुर्गम व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इस प्रकार की सामग्री को देश के दूर–दूर तक बसे सभी संस्थानों में भेजा जाए और एक ऐसी योजना बनाई जाए जो सुचारू रूप से कार्य करे ताकि सभी संस्थानों को शिक्षण व प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध हो सके। इससे अध्यापकों व विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा।
- प्रायः अध्यापक शिक्षा में अनुसंधान व नए प्रयोगों का योजनाबद्ध तरीके से प्रचलन नहीं है और उन्हें प्रोत्साहन भी नहीं दिया जा रहा है। अध्यापक शिक्षा में नए–नए प्रयोग किए जाने चाहिए ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सके और समय–समय पर शैक्षिक प्रक्रिया में सुधार भी लाया जा सके। साथ ही, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के सतत मूल्यांकन की भी आवश्यकता है ताकि सेवा–पूर्व व सेवाकालीन प्रशिक्षणों में लगातार सुधार प्रक्रिया जारी रहे। सेवाकालीन प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणों के प्रभाव का अध्ययन किया जाए और देखा जाए कि प्रशिक्षण से स्कूली प्रक्रिया में कुछ सुधार हुआ या नहीं। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को इस तरह से पुनर्निर्मित किए जाने की आवश्यकता है कि वे स्कूल पाठ्यचर्या नवीकरण की प्रक्रिया और अपने क्षेत्र विशेष के संदर्भ में प्रासंगिक हो सकें।

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि समय–समय पर विभिन्न आयोगों, समितियों, योजनाओं व कार्यक्रमों की चर्चा इस पेपर में की गई है। इनमें दिए गए सुझावों को दृढ़तापूर्वक लागू किया जाए तो अध्यापक शिक्षा की चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा और योग्य शिक्षक तैयार होंगे जो ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा में सुधार व गुणवत्ता लाएंगे। साथ ही, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का प्रभाव दुनिया में सभी क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। शिक्षा जगत इससे अछूता नहीं रह सकता। इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो हम दुनिया में पिछड़ जाएंगे। इसके लिए हमें अपनी व्यवस्था में सुधार कर अध्यापक शिक्षा और शिक्षकों हेतु तैयार करना होगा। साथ ही, उपर्युक्त विभिन्न सुझावों के क्रियान्वयन के लिए योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाए जाएं ताकि अध्यापक शिक्षा व स्कूली शिक्षा की समस्याओं व चुनौतियों का हल निकल सके। इन प्रयोगों से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य व कुशल अध्यापकों की उपलब्धता होगी और शिक्षा का भी इन क्षेत्रों में सुधार होगा।

संदर्भ

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (1968, 1986, 1992, 2019) (ड्राफ्ट) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारत सरकार, नई दिल्ली

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (1993) शिक्षा बिना बोझ के, यशपाल कमेटी रिपोर्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (1995) दी टीचर एंड सोसायटी, चट्टोपाध्याय कमेटी रिपोर्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (2016, 2017, 2018, 2019), यू.डी.आई.एस.ई. आंकड़े, भारत सरकार, नई दिल्ली

नेशनल कौंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, (1998, 2009). करिकूलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन, एन.सी.टी.ई., नई दिल्ली

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (2012) जस्टीस वर्मा कमीशन रिपोर्ट ऑन टीचर एजुकेशन एन.सी.ई.आर.टी., (2005) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005), एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली

यादव, एस.के., (2019) इंटर डिस्पलेनरी अप्रोच फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, यूनिवर्सिटी न्यूज, वॉल्यूम 57, नं. 36, सितंबर, 2019 (09–15)

रा.शै.अ.प्र. (1998, 2005) शिक्षक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप, नई दिल्ली

यादव एस.के. (2009). ए स्टडी ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एट, सैकेंड्री स्टेज इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, अनपब्लिशड रिपोर्ट, डी.टी.ई.ई., एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली।

(लेखक एनसीईआरटी, नई दिल्ली के शिक्षक शिक्षा विभाग के प्रमुख रह चुके हैं।)

ई–मेल : writetosatish51@gmail.com

बड़े बदलाव का सूत्रधार शिक्षा का अधिकार

–शैलेन्द्र शर्मा, दक्षिणी भट्टाचार्य

शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के स्तर में सुधार ऐसी पहल है, जिसकी सख्त जरूरत है। वैश्विक पटल पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए यह सुधार बेहद आवश्यक है। इसके तहत् शिक्षा नीति में यह स्वीकार करने की जरूरत है कि शिक्षा की गुणवत्ता का दायरा व्यापक है। इसमें स्कूली प्रणाली का आकार, वित्तीय क्षमता, शिक्षकों के समूह की ताकत, मौजूदा शिक्षकों की क्षमता, पूरे राज्य में शिक्षा क्षेत्र का प्रदर्शन आदि शामिल हैं। इसके तहत राज्य के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता भी जरूरी है। सफल शैक्षणिक बदलाव के लिए नीतियों के क्रियान्वयन–स्तर पर इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है।

इंसानों की तरह देशों का भी उतार–चढ़ाव का अपना दौर होता है। इस मामले में भारत की कहानी काफी दिलचस्प रही है– गौरवशाली अतीत से लेकर लंबे औपनिवेशिक संघर्ष के बाद आजादी हासिल करने तक और अब वैश्विक महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाला देश। इस यादगार यात्रा में शिक्षा का अधिकार कानून पास होना एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस कानून को लाने का निर्णय सबको शिक्षा मुहैया कराने के लिए किए गए गंभीर प्रयासों और इस दिशा में गहन विचार–विमर्श का नतीजा था। 1910 के बाद से अब तक काफी वक्त बीत चुका है, जब गोपाल कृष्ण गोखले ने देश में 'मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा' की मांग की थी। साल 2002 में भारत के संविधान में अनुच्छेद 21ए को शामिल किया गया। इस अनुच्छेद के मुताबिक, 'राज्य 6 से 14 साल के सभी बच्चों को कानून के मुताबिक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।'

देश को स्वतंत्रता मिलने के वक्त भारत में साक्षरता दर महज 18 प्रतिशत थी। लोगों की पूरी–पूरी पीढ़ी के सशक्तीकरण में शिक्षा की अहम भूमिका को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह कानून बेहद ऐतिहासिक कदम है, जो अपने नागरिकों के बेहतर भविष्य के लिए भारत की गंभीर कोशिशों के बारे में बताता है।

शिक्षा का अधिकार कानून

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अगर हम शिक्षा का अधिकार कानून के मकसद और इसके वास्तविक असर को पूरी तरह से समझना चाहते हैं, तो इस कानून के मुख्य प्रावधानों के बारे में जानना जरूरी है। यह कानून देश में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है और सभी प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक न्यूनतम शर्तों के पालन की भी बात करता है। कानून के मुताबिक, सभी निजी स्कूलों को निर्धन समुदाय के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीट (सभी शुल्कों से रहित) आरक्षित करना जरूरी है। इन सीटों से जुड़ी फीस का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाएगा। साथ ही, इन सीटों के लिए चंदा या किसी अन्य तरह का शुल्क लेने पर भी मनाही है और दाखिले के लिए किसी बच्चे या माता–पिता को इंटरव्यू भी

नहीं देना होगा। इसके अलावा, कानून में बड़ी संख्या में मौजूद वैसे बच्चों का भी ध्यान रखा गया है, जिन्हें वित्तीय या अन्य दिक्कतों के कारण स्कूल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। कानून में इन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण के जरिए स्कूल की पढ़ाई मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है, ताकि उन्हें अपने समकक्ष अन्य स्कूली बच्चों की तरह ही शिक्षा मिल सके।

शिक्षा का अधिकार कानून में वैसे सर्वेक्षणों की जरूरत भी बताई गई है, जिसके जरिए आसपास के इलाकों में शिक्षा की स्थिति का जायज़ा लिया जा सके। इसमें उन बच्चों की भी पहचान किए जाने की बात है, जिन्हें स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके लिए जरूरी इंतज़ाम करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। कानून में यह भी कहा गया है कि सभी स्कूलों में शिक्षक–छात्र अनुपात तथा न्यूनतम आधारभूत संरचना (पीने का पानी, लड़के व लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालय, पुस्तकालय, खेल का मैदान, कक्षा, रैंप, घेराबंदी आदि) जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

शिक्षा का अधिकार कानून में स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस कानून के खंड 29 के तहत प्राथमिक स्कूलों में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के बारे में दिशा–निर्देश तैयार करने के लिए राज्य सरकारों को अकादमिक प्राधिकरण को निर्देश देना होगा। अकादमिक प्राधिकरण के लिए इन आठ बातों का पालन करना जरूरी है, जिसके बारे में शिक्षा का अधिकार कानून में भी बताया गया है:

1. संवैधानिक मूल्यों का पालन;
2. बच्चों का सर्वांगीण विकास;
3. बच्चों में ज्ञान, प्रतिभा और अन्य संभावनाओं का विकास करना;
4. बच्चों की शारीरिक और मानसिक क्षमता का अधिकतम विकास;
5. बच्चों के लिए अनुकूल माहौल में खोज संबंधी जिज्ञासा पैदा करना;
6. बच्चों की मातृभाषा ही 'यथासंभव' उन्हें पढ़ाने का माध्यम हो;
7. बच्चों को भय, आशंका, चिंता से मुक्त करना और उन्हें खुलकर अपनी बात रखने में मदद करना और
8. बच्चों की समझ और ज्ञान व इसका इस्तेमाल करने की उनकी क्षमता का व्यापक और सतत मूल्यांकन।

ये सारे प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986/92 और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, 2005 पर आधारित प्राथमिक शिक्षा नीति से जुड़े पहलुओं पर केंद्रित हैं।

स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के मकसद से शिक्षा का अधिकार कानून के खंड (23) के तहत शिक्षकों की योग्यता संबंधी अधिसूचना जारी करने और राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषद द्वारा शिक्षक पात्रता जांच की सिफारिश जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। देश में शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के मद्देनजर ही इस तरह की पहल की गई है।

इस कानून के तहत किए गए नीतिगत उपायों से प्राथमिक शिक्षा को व्यापक स्तर पर फैलाने की दिशा में की जा रही कोशिशों को नई ताकत मिली है और अभियान की रफ्तार भी तेज हुई है। भविष्य में स्कूली शिक्षा प्रणाली में नई ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद की जा सकती है।

शिक्षा का अधिकार कानून खास क्यों है?

भारतीय स्कूली शिक्षा के आंकड़े वैश्विक–स्तर पर भी अहम हैं। यहां 15 लाख स्कूल, 25.9 करोड़ छात्र–छात्राएं और 90 लाख शिक्षक हैं। भारतीय स्कूली शिक्षा के परिदृश्य में शिक्षा का अधिकार कानून को बड़ी सफलता माना जाता है और इस मामले में भारत की बेहद विकसित और शिक्षित देशों की सरकारों है। भारत में विश्व बैंक के अग्रणी शिक्षा विशेषज्ञ ने भी सराहना की सैम कार्ल्सन का इस बारे में कहना था, 'यह दुनिया का पहला ऐसा कानून है, जो सरकार पर दाखिला, उपस्थिति और तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी डालता है... अमेरिका और अन्य देशों में बच्चों को स्कूल भेजना माता–पिता की जिम्मेदारी है।'

अब हम संक्षेप में इस बात पर चर्चा करते हैं कि शिक्षा का अधिकार कानून कई अन्य देशों के इसी तरह के कानून से किस तरह आगे है। सबसे पहले 'मुफ्त' शिक्षा का मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस की माफी नहीं है। इसमें वैसे किसी भी शुल्क का बोझ नहीं है, जिससे बच्चे की प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य में किसी तरह की बाधा पहुंचे। अतः इसमें अभिभावकों और बच्चों पर पाठ्य–पुस्तकों, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, विशेष शैक्षणिक सामग्री, शिक्षण संबंधी अन्य सामग्री और दिव्यांग बच्चों के लिए जरूरी सामग्री और मदद का बोझ नहीं रहता है। दूसरा, यह पठन–पाठन को प्रक्रिया के रूप में देखता है और इसके लिए गुणवत्तापूर्ण सिद्धांतों की सिफारिश करता है। तीसरा, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाकर इसे लोगों के हित में सरकार का उत्तरदायित्व बना दिया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 45 से काफी आगे की बात है। अतः शिक्षा के अधिकार से जुड़ा कानूनी ढांचा समावेशी विकास का वाहक बनने में प्रमुख भूमिका निभाता है। चौथा, कानून के अमल की निगरानी के लिए बाह्य संवैधानिक संस्था जरूरी है। इस संस्था से पारदर्शिता और जवाबदेही आती है, दोनों चीजें अच्छी शासन प्रणाली के स्तंभ हैं। इसके अलावा, बच्चों की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जरूरतों के लिए प्रावधान के कारण यह कानून भारत और उसके जैसे अन्य देशों के शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव का अनुकरणीय मॉडल बन गया है।

शिक्षा का अधिकारः समानता की दिशा में बढ़ते कदम

जून 2014 में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून में मौजूद नीतियों को लागू करने में अच्छी सफलता हासिल की है। स्कूलों में बच्चों के दाखिले में बढ़ोतरी शिक्षा के अधिकार के तहत एक

महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। साल 2016 में 6–14 साल के सभी बच्चों में सिर्फ 3 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। स्कूलों में दाखिला निरक्षरता को दूर करने की दिशा में पहला कदम है।

यहां एक अहम पहलू स्वच्छ भारत भी है, जिसका जिक्र करना जरूरी हैः स्वच्छ विद्यालय अभियान, स्कूलों में स्वच्छता और पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराने और इसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इसके कारण न सिर्फ बड़ी संख्या में छात्र स्कूलों में दाखिला ले रहे हैं, बल्कि ऊंची कक्षाओं तक वहां टिके भी रहते हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 2015 से जुड़ी सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर राज्यों ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत जरूरी पाठ्यक्रम को अपनाया है। तकरीबन 80 प्रतिशत शिक्षक प्रस्तावित मापदंडों के मुताबिक, शैक्षणिक रूप से योग्य हैं। यह शिक्षण की गुणवत्ता के बेहतर स्तर को दर्शाता है।

इसी रिपोर्ट में सामाजिक आधारभूत संरचना से जुड़े पैमानों में सुधार की भी बात कही गई है। शिक्षा का अधिकार कानून में इसे जरूरी बताया गया है। लड़कियों से जुड़े स्वच्छता मुद्दे पर विशेष जोर के साथ–साथ दिव्यांगों के लिए रैंप, खेल के मैदान, अहातों आदि की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है।

> किसी मॉडल को आयात करने के बजाय हमारा फोकस स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विकल्प विकसित करने पर होना चाहिए। 'सभी के लिए शिक्षा' का मतलब 'सभी के लिए एक कार्यक्रम' नहीं होना चाहिए। इससे नवाचार की राह में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हमें ऐसे कार्यक्रम विकसित करने चाहिए, जहां स्थानीय समस्याओं के लिए स्थानीय स्तर पर हल निकाला जा सके।

प्राथमिक–स्तर पर 'शिक्षा की सुलभता' का लक्ष्य कमोबेश हासिल माना जा सकता है और अब माध्यमिक और उच्चतर–माध्यमिक स्तर पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हालांकि, शिक्षा के अधिकार से जुड़े लक्ष्यों को वास्तविक रूप से हासिल करने संबंधी चुनौतियों, स्कूल छोड़ने की ऊंची दर और कुछ बच्चों के स्कूल से बाहर रहने के कारण प्राथमिक स्तर पर भी लगातार कोशिशें जारी रखने की आवश्यकता है।

कार्यान्वयन संबंधी दिक्कतों की पहचान और उनका निपटारा

किसी भी नीति की पूरी संभावनाओं को तभी हासिल किया जा सकता है, जब इसे लागू करने के लिए जिम्मेदार लोग और इकाइयां गंभीरतापूर्वक और प्रभावी तरीके से काम करें। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार में शिक्षा का अधिकार एक अनूठी पहल है। हालांकि, इसमें भी कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। अतः इन क्षेत्रों में भी सुधार की जरूरत है।

इस कानून का खंड 12 (1) (सी) शिक्षा नीति के क्षेत्र में गहन शोध का विषय रहा है। इस खंड के तहत गैर–अल्पसंख्यक निजी स्कूलों को शुरुआती स्तर पर गरीब बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना जरूरी है, ताकि स्कूली शिक्षा प्रणाली को सामाजिक तौर पर ज्यादा एकीकृत और समावेशी बनाया जा सके। यह इस कानून का बेहद महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह शिक्षा के अधिकार को दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम में से एक बनाता है। हालांकि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रावधान के तहत सिर्फ 5–6 लाख सीटें सालाना ही भरी जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि वंचित श्रेणी के बच्चों के दाखिले के लिए जबर्दस्त संभावना और गुंजाइश है। निजी स्कूलों द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं देने की एक बड़ी वजह संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाना या इसमें देरी करना है। राज्य और केंद्र सरकारों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि कानून का यह हिस्सा सही मायने में लागू हो।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर नियमित रूप से अलग–अलग मंचों, मसलन राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन, राज्य के शिक्षा सचिवों की बैठक आदि में इस कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा और निगरानी करता है। जाहिर तौर पर शिक्षा का अधिकार कानून के क्रियान्वयन पर काम किया गया है। हालांकि, इस कानून से जुड़े सभी प्रावधानों और राज्यों में उसके पालन को लेकर नियमित रूप से विचार–विमर्श करने की दरकार है। मंत्रालय इस कार्य में समर्पित गैर–सरकारी संगठनों से अपना जुड़ाव मजबूत कर सकता है, जो स्थानीय स्तर पर इस कानून की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं।

आईआईएम अहमदाबाद की एक रिपोर्ट में शिक्षा का अधिकार कानून के खंड 12 (1) (सी) को सही ढंग से लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय सुझाए गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, 'स्पष्टता और क्रियान्वयन (प्रवेश, अहर्ता, मुफ्त सुविधाएं आदि नियम का), खर्च और भुगतान के असरदार प्रबंधन के लिए मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली तैयार करना, स्कूल प्रोफाइल बनाना, जागरूकता अभियान, आवेदन की वैकल्पिक प्रणाली की उपलब्धता (ऑनलाइन प्रणाली के अलावा), शिक्षा का अधिकार सेल और सहायता केंद्र, अधिकारियों, न्यायपालिका और निजी पक्षों की सक्रिय भागीदारी और प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण।'

एक और दिक्कत शिक्षा पर लंबे समय से भारत का कम बजट है। शिक्षा का अधिकार कानून और नई शिक्षा नीति, 2016 के मसौदे के तहत पेश किए सुधारों के लिए शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की जरूरत होगी। साथ ही, सीएसआर और अन्य माध्यमों से शिक्षा अभियान को वित्तीय और अन्य स्तरों पर सहारा देना होगा। अच्छी बात यह है कि हाल के बजट ऐलानों में न सिर्फ प्रावधानों में बढ़ोतरी की गई है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के तौर–तरीकों और इस मोर्चे पर असमानता कम करने पर भी प्रमुखता से बात की गई है। इसके अलावा, बच्चों के सीखने के स्तर का सालाना मूल्यांकन एक और अहम फैसला है।

आगे की राह

शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार बेहद जरूरी है।

किसी मॉडल को आयात करने के बजाय हमारा फोकस स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विकल्प विकसित करने पर होना चाहिए। 'सभी के लिए शिक्षा' का मतलब 'सभी के लिए एक कार्यक्रम' नहीं होना चाहिए। इससे नवाचार की राह में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हमें ऐसे कार्यक्रम विकसित करने चाहिए, जहां स्थानीय समस्याओं के लिए स्थानीय स्तर पर हल निकाला जा सके। पिछले दशक के दौरान सभी श्रेणी में छात्र–छात्राओं के दाखिले (लड़कियां, अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य वंचित तबके) में बढ़ोतरी हुई है। इसमें वंचित तबके के बच्चों और स्कूल जाने वाले पहली पीढ़ी के बच्चों की बड़ी संख्या है। ये बच्चे कक्षाओं में विविधता का माहौल पेश कर रहे हैं, जिसकी सख्त जरूरत है। इस तरह की विविधता से निपटने के लिए शिक्षकों के पास बिल्कुल प्रशिक्षण नहीं है। शिक्षकों को इस ढंग से प्रशिक्षित किया जाए और बच्चों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए, ताकि एक कक्षा में अलग–अलग पृष्ठभूमि से आए सभी बच्चों की सुसंगत और खुशहाल माहौल में पढ़ाई संभव हो सके। शिक्षा का अधिकार कानून भी कुछ ऐसा ही कहता है। इस कानून का एक और प्रशंसनीय पहलू यह है कि इसमें किसी एक इकाई पर पूरी जिम्मेदारी डालने के बजाय स्कूल प्रबंधन कमेटी, स्थानीय प्राधिकरण और शिक्षा विभाग की बराबर जिम्मेदारी तय की गई है। स्कूल प्रबंधन समिति, स्कूल विकास योजना का एक व्यावहारिक और मजबूत मॉडल विकसित कर स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। शिक्षा का अधिकार कानून के शुरुआती दिनों में इन पहलुओं को मज़बूत बनाने पर काफी बात होती थी, लेकिन वक्त के साथ इन चीजों को लेकर उत्साह और फोकस काफी कम हो गया।

शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के स्तर में सुधार ऐसी पहल है, जिसकी सख्त जरूरत है। वैश्विक पटल पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए यह सुधार बेहद आवश्यक है। इसके तहत् शिक्षा नीति में यह स्वीकार करने की जरूरत है कि शिक्षा की गुणवत्ता का दायरा व्यापक है। इसमें स्कूली प्रणाली का आकार, वित्तीय क्षमता, शिक्षकों के समूह की ताकत, मौजूदा शिक्षकों की क्षमता, पूरे राज्य में शिक्षा क्षेत्र का प्रदर्शन आदि शामिल हैं। इसके तहत राज्य के भीतर फैसले लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता भी जरूरी है। सफल शैक्षणिक बदलाव के लिए नीतियों के क्रियान्वयन–स्तर पर इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है।

शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग मुहैया कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। विश्व बैंक, डीएफआईडी, एडीबी आदि अंतरराष्ट्रीय साझीदार न सिर्फ अतिरिक्त फंडिंग के जरिए योगदान करते हैं, बल्कि वे अपना समृद्ध अंतरराष्ट्रीय अनुभव और बेहतरीन व्यावहारिक ज्ञान भी मुहैया कराते हैं। ये इकाइयां जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार कर योगदान कर सकती हैं।

ज़ाहिर तौर पर कौशल विकास की दिशा में बड़े कदम तब तक सफल नहीं हो सकते, जब तक समावेशी विकास और रोजगार की दिशा में समान अवसर को बढ़ावा देने के मकसद से ग्रामीण और हाशिए पर मौजूद छात्र–छात्राओं के ज्ञान का स्तर बढ़ाने के लिए एकजुट प्रयास न किए जाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमारे छात्र –छात्राओं का बेहतर भविष्य तैयार करने के मामले में शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार बेहद जरूरी है।

शिक्षा का अधिकार कोई सामान्य कानून नहीं है। जब कोई अशिक्षित, ग्रामीण महिला गर्व से यह कहती है कि उसकी बेटी जिस स्कूल में जाती है, उसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था और अब वह अपनी बेटी के अच्छे करियर का सपना देख सकती है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कानून का असर कितना गहरा और दूरगामी है। हम आशा करते हैं कि एक समाज के तौर पर हम शिक्षा का अधिकार कानून के अमल की दिशा में निरंतर काम करते रहेंगे। साथ ही, भारत निकट भविष्य में इस कानून की अपार संभावनाओं से लाभान्वित हो सकता है।

(शैलेन्द्र शर्मा, आईपीई ग्लोबल में शिक्षा एवं कौशल विकास निदेशक और दक्षिणी भट्टाचार्य शिक्षा एवं कौशल विकास एनालिस्ट हैं।)

ई–मेल : **s.sharma@ipeglobal.com, abhattacharya@ipeglobal.com**

बहुभाषी मोबाइल एप सीएचसी-फार्म मशीनरी का शुभारंभ

कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर 24 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में बहुभाषा एप "सीएचसी– फार्म मशीनरी" पर पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए।

देशभर के किसानों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान, जो उच्च तकनीक व मूल्य की कृषि मशीनरी और उपकरण खरीदने में असमर्थ है, को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ने सभी कृषि मशीनरी कस्टम सेवा प्रदाताओं और किसानों/उपयोगकर्ताओं को एक साझा मंच पर लाने के लिए एक एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के अनुकूल, बहुभाषी मोबाइल एप "सीएचसी– फार्म मशीनरी" विकसित किया है जिसके माध्यम से विभिन्न राज्यों के स्थानीय किसान फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग सेंटर जैसे सभी कस्टम सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली सुविधाओ का उपयोग बिना किसी कंप्यूटर सपोर्ट सिस्टम के कर सकते हैं।

यह मोबाइल एप्लिकेशन पहले से ही कस्टम हायरिंग सेवा केंद्रों की तस्वीर/भौगोलिक स्थिति को उसके भू–निर्देशांक की सटीकता के साथ तथा उसमें उपलब्ध कृषि मशीनरी तस्वीरों को अपलोड करता है। अभी तक इस मोबाइल एप पर 40,000 से अधिक कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर उनमें उपलब्ध 1,20,000 से अधिक कृषि मशीनरी को किराए पर दिए जाने हेतु पंजीकृत हो चुके हैं।

इस एप को पूर्ण रूप से आम जनता/किसानों के लिए तैयार किया जा रहा है। इस एप के माध्यम से किसान, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों की उच्च मूल्य व तकनीक वाले कृषि यंत्रों तक पहुंच आसानी से संभव होगी, और इन कृषि यंत्रों के प्रयोग से सभी प्रकार के आदानों (इनपुट्स) के इष्टतम उपयोग के साथ–साथ न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी वरन कम समय–सीमा में अधिक से अधिक जोतों तक मशीनीकरण की पहुंच बनाना भी संभव होगा।

भारत सरकार के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं जैसे कि कृषि यांत्रिकीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और फसल अवशेष प्रबंधन योजनाओं के अंतर्गत लगभग 38,000 से अधिक कस्टम हायरिंग केंद्र, जिसमें की हाईटेक हब के साथ फ़ार्म मशीनरी बैंक भी सम्मिलित हैं, स्थापित किए जा चुके हैं। इस एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ❑

स्रोत : पीआईबी

एक भारत, श्रेष्ठ भारत

ध्रुव : प्रतिभाशाली छात्रों के लिए प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने 10 अक्टूबर, 2019 को बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन–इसरो के मुख्यालय में एक अनूठी पहल के तहत प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम–ध्रुव का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम देश के प्रतिभाशाली छात्रों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम करेगा।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री

ध्रुव कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि का परिचायक है। यह प्रतिभावान छात्रों के जीवन के साथ ही समाज में भी बड़ा बदलाव लाएगा। प्रतिभाशाली छात्रों की उपलब्धियों के जरिए पूरी दुनिया यह जान पाएगी कि 'सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा'।

ध्रुव कार्यक्रम देश में प्रतिभाशाली छात्रों की तलाश के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा और ऐसे छात्रों को विज्ञान, ललित कला और रचनात्मक लेखन आदि जैसे उनकी रुचि के विषयों में उत्कृष्टता हासिल करने में मददगार होगा। इसके जरिए प्रतिभाशाली छात्र न केवल अपनी पूरी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल कर सकेंगे, बल्कि समाज के लिए भी योगदान कर पाएंगे।

प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम देश में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने और उन्हें अपने कौशल तथा ज्ञान में वृद्धि के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। देशभर में फैले उत्कृष्टता केंद्रों में विभिन्न क्षेत्रों के जाने–माने विशेषज्ञ मेधावी बच्चों को दिशानिर्देश देकर उनका मार्गदर्शन करेंगे ताकि वे अपनी प्रतिभा का पूरा–पूरा उपयोग कर सकें। उम्मीद है कि चुने गए विद्यार्थियों में से बहुत से आगे चलकर अपने–अपने क्षेत्रों में शिखर तक पहुंचेंगे और अपने समुदाय, राज्यों और राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे।

डॉ. के. सिवन
सचिव
अंतरिक्ष विभाग और
इसरो के अध्यक्ष

'ध्रुव' हमारे नौजवानों की प्रतिभा को निखारने में प्रेरणा स्रोत का काम करेगा। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अपने प्रतिभाशाली और प्रखर युवा वैज्ञानिकों की बदौलत पिछले 60 वर्षों में अप्रत्याशित ऊंचाइयों तक पहुंच गया है और उम्मीद है कि ये 'ध्रुव तारे' भी लोगों की समस्याओं के समाधान में इसी तरह योगदान करेंगे।''

विंग कमांडर (से.नि.) राकेश शर्मा
अशोक चक्र से सम्मानित, अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले भारतीय

"ये ध्रुव तारे अपने–अपने क्षेत्रों के भावी नवसर्जक हैं। नौजवानों को अपने आप से कहीं उच्चतर लक्ष्य चुनना चाहिए और सफलता की अपनी परिभाषा पर फिर से विचार करना चाहिए। जीवन में संतुष्टि धन–दौलत से नहीं आती, बल्कि बड़ा काम करने से ज्यादा संतोष मिलता है।"

ध्रुव कार्यक्रम के पहले बैच में सरकारी और निजी स्कूलों के नौ से बारहवीं कक्षा के 60 बेहद प्रतिभावान छात्रों का चयन किया गया है। इनमें से 30 छात्रों को ललित कला और बाकी 30 को विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम के पहले चरण में इन बच्चों को उनके चुने हुए क्षेत्र में 14 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरे चरण में इन बच्चों को बेंगलुरु और नई दिल्ली में सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व वाले स्थान दिखाने ले जाया जाएगा।

स्रोत : पीआईबी

'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2019 का थीम

भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का स्वर्ण जयंती संस्करण 20–28 नवंबर, 2019 को मनाया जाएगा। इसमें 76 देशों की 200 से अधिक बेहतरीन फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इनमें 26 फीचर फिल्में और 15 गैर–फीचर फिल्में भारतीय पैनोरमा खंड में दिखाई जाएंगी। स्वर्ण जयंती समारोह में फिल्म प्रेमियों सहित करीब 10,000 लोगों के भाग लेने की संभावना है।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है, "इस साल का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समारोह बहुत खास होगा। इसका थीम है : 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'। उद्‌घाटन और समापन समारोह में इस थीम की झलक देखने को मिलेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि आईएफएफआई जोकि अपनी स्वर्ण जयंती मना रहा है, इस सिलसिले में 2019 में 50 साल पूरे करने वाली विभिन्न भाषाओं की 12 फिल्में भी दिखाई जाएंगी।

भारतीय पैनोरमा फिल्म समारोह का प्रमुख खंड होता है जिसमें साल की बेहतरीन समकालीन भारतीय फीचर और गैर–फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। इस साल फीचर फिल्मों के निर्णायक मंडल के प्रमुख जाने–माने फिल्मकार और पटकथा लेखक प्रियदर्शन थे। निर्णायक मंडल ने गुजराती में बनी और अभिषेक शाह द्वारा निर्देशित फिल्म 'हेल्लारो' को भारतीय पैनोरमा–2019 की उद्‌घाटन फिल्म के रूप में सबसे पहले प्रदर्शित करने का निर्णय किया है। गैर–फीचर फिल्म श्रेणी के निर्णायक मंडल की अध्यक्षता जाने–माने लघु फिल्म निर्माता राजेंद्र जांगले करेंगे। गैर–फीचर फिल्मों के निर्णायक मंडल ने एक कश्मीरी लड़की की कहानी पर आधारित 'नूरे' फिल्म को इस श्रेणी में पहली फिल्म के रूप में प्रदर्शित करने के लिए चुना है। इस फिल्म का निर्देशन आशीष पांडे ने किया है।

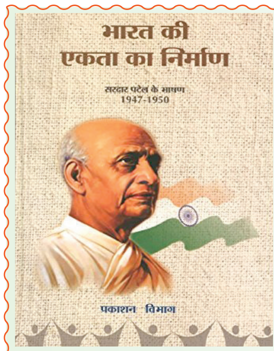

प्रकाशन विभाग की 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' पुस्तकमाला

प्रकाशन विभाग भारत की महान हस्तियों के जीवन पर आधारित 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' पुस्तकमाला के तहत कई पुस्तकें प्रकाशित करने की योजना बना रहा है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा ये पुस्तकें 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित की जाएंगी। प्रमुख भारतीय भाषाओं में करीब 150 पुस्तकें पहले ही प्रकाशित की जा चुकी हैं और 50 अन्य पुस्तकें प्रकाशन के विभिन्न चरणों में हैं। चार पुस्तकों, *रज़िया सुल्तान* (14 भाषाएं), *रानी लक्ष्मीबाई* (14 भाषाएं), *सरदार पटेल* (14 भाषाएं) और *स्वराज के मंत्रदाता तिलक* (15 भाषाएं) का पहले ही विमोचन हो चुका है।

समावेशी विकास के लिए गुणात्मक विद्यालयी शिक्षा जरूरी

–चंद्रभूषण शर्मा

भारत में विद्यालयी शिक्षा में बहुत कम नवाचार और परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। हमें विचार करना होगा कि जो क्षेत्र सर्वाधिक रचनात्मक और गतिमान होना चाहिए था, वह जड़ और अपरिवर्तनशील कैसे रह गया! हमने उच्च शिक्षा की योजना बनाने और निगरानी रखने के लिए एक सांविधिक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया। किंतु विद्यालयी क्षेत्र के लिए ऐसा कोई प्रावधान अब तक नहीं किया गया है। विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति में इस दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए।

भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर न तो आज़ादी के पहले और न ही आज़ादी के बाद उचित ध्यान दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय, चिकित्सालय, सड़क आदि सारी सुविधाएं पिछड़ गईं। 1980 के दशक में संचार माध्यमों के विकास के कारण गांव–गांव तक सूचनाएं मुख्यतः टेलीविज़न के माध्यम से पहुंचने लगीं। गांव एवं दूरदराज़ के क्षेत्रों में रह रहे लोग भी उन सभी सुविधाओं और विकासोन्मुखी कार्यक्रमों से अवगत हुए जो टेलीविजन पर दिखाए जा रहे थे। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की ललक जागी। इसका परिणाम यह हुआ कि ऐसे परिवार जिनमें छोटे बच्चे थे, शहरों में घर किराए पर लेकर बच्चों को शहर के अच्छे विद्यालयों में शिक्षा दिलवाने लगे। ये बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के बाद कभी गांव नहीं लौटे। कुछ तो अच्छी नौकरी प्राप्त करने के उपरांत देश के अलग–अलग शहरों में चले गए परंतु अधिकांश निकट के शहर या फिर महानगरों में दोयम दर्जे का जीवनयापन कर रहे हैं। यदि शहरों पर आबादी का भार बढ़ गया है तो इसका एक मुख्य कारण गांव में अच्छे विद्यालयों का अभाव भी है। हम जब तक वर्तमान नीति को नहीं बदलेंगे, देश की दूसरी समस्याओं का भी समाधान हमें नहीं मिलेगा।

भारत एक बड़ा देश है और हर परिवार का आधा नहीं तो एक तिहाई हिस्सा शिक्षा से जुड़े लोगों का है। इसका अर्थ यह हुआ कि 130 करोड़ में से मात्र 30 या 40 करोड़ की आबादी शिक्षा से जुड़ी है। पहला प्रश्न तो यह है कि क्या इतनी बड़ी आबादी तक सरकारी–तंत्र के माध्यम से गुणात्मक रूप से शिक्षा पहुंचाई जा सकती है?

केंद्र में 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद शिक्षा नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन के उद्देश्य से देशभर में विमर्श हुए परिणामस्वरूप श्री टी.एस.आर सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2017 का प्रारूप पेश किया गया। इस नीति में संचार माध्यमों के उपयोग पर ज़ोर दिया गया। अब 'इसरो' के पूर्व अध्यक्ष श्री कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 2019 में पुनः शिक्षा नीति का प्रारूप पेश किया गया है। इस नीति में बड़े बदलाव की अनुशंसाएं

की गई हैं, परंतु विद्यालयी शिक्षा पर कुछ बड़ा अंतर आएगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता है।

गांधी जी ने 20 अक्तूबर, 1931 चैथम हाउस, लंदन में अपने उद्‌बोधन में ये कहकर खलबली मचा दी थी कि भारत में एक सुदृढ़ विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था थी जिसके माध्यम से सरकारी–तंत्र के बिना अधिक साक्षरता थी परंतु अंग्रेजी सरकार की नीतियों के कारण साक्षरता दर गिर गई पर गांधीजी का यह कथन सत्य था। धर्मपाल ने अपनी पुस्तक 'द ब्युटीफुल ट्री' में विस्तार से बताया है कि ब्रिटिश शासन से पहले पिछड़ी जातियों, दलितों एव महिलाओं की शिक्षा दर कहीं अधिक थी।

हमारी नई नीति, जो आज तक विश्व में जहां कहीं भी शिक्षा नीति बनी है, उससे कहीं अधिक चर्चा और समन्वय से बन रही है, इससे बड़ी अपेक्षाएं हैं। आगे हम कुछ विषयों को उठाएंगे जिन्हें नई शिक्षा नीति में समाहित किए जाने की अपेक्षा है ताकि पिछड़े क्षेत्रों एवं सरकारी एवं निजी विद्यालयों की स्थिति में सुधार किया जा सके।

संचार माध्यम करेंगे अभाव की भरपाई

वर्तमान समय में संचार माध्यमों का अत्यधिक उपयोग और प्रभाव विद्यालयी शिक्षा पर है। ये विदित है कि दूरदराज़ के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी रहती है एवं पुस्तकालयों या दूसरी स्व–अध्ययन सामग्री का अभाव रहता है। परंतु पिछले कुछ दशकों में संचार माध्यमों के प्रसार का गहरा प्रभाव ग्रामीण बच्चों की शिक्षा, विशेषकर स्व–अध्ययन पर देखा जा रहा है। उत्सुक, मेधावी बच्चे संचार माध्यमों पर उपलब्ध सामग्री से स्व–अध्ययन करने लगे हैं। यू–ट्यूब पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग ग्रामीण बच्चे शहरी बच्चों से अधिक कर रहे हैं।

भारत में लगभग 90 लाख शिक्षक स्कूली शिक्षा में हैं जिनमें से लगभग 13 लाख प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, जिनमें अधिकांशतः महिलाएं थीं, 2017 में अप्रशिक्षित थे। इन शिक्षकों को 2009 में पारित शिक्षा का अधिकार कानून के बाद कई वर्षों तक दूरस्थ शिक्षा, अर्थात् संचार एवं स्व–अध्ययन के माध्यम से प्रशिक्षित होने का अवसर उपलब्ध नहीं कराया गया। सरकार ने 2009 में जल्दबाजी में कानून तो पारित कर लिया परंतु इसमें किए गए वादों को पूरा करने का कोई ईमानदार प्रयास नहीं हुआ।

वर्ष 2017–19 में लगभग 13 लाख सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया। पूर्णरूप से भारतीय मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज़ प्लेटफार्म 'स्वयं' (SWAYAM) पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन शिक्षकों को 'स्वयंप्रभा' के 32 टेलीविज़न चैनलों में से दो चैनलों के माध्यम से देशभर के 70 से ज्यादा संस्थाओं से चुने गए 400 से ज्यादा शिक्षकों के उत्कृष्ट व्याख्यान रिकॉर्ड कर उपलब्ध कराए गए। किसी और तरीके से दूरदराज के शिक्षकों एवं दूसरे विद्यार्थियों को देशभर के उत्कृष्ट शिक्षाविदों से पढ़ने का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता था। इन दोनों संचार माध्यमों– 'स्वयं' एवं 'स्वयंप्रभा' का बड़ा प्रभाव स्व–अध्ययन पर देखा जा सकता है। चूंकि शिक्षक स्वयं इनके उपयोग में निपुण हो चुके हैं, वे विद्यार्थियों को भी इनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं एवं वे स्वयं तकनीक के उपयोग में पारंगत होने के कारण बच्चों को आसानी से सिखाने में सक्षम हैं।

भारत जैसे बड़े देश में हमेशा शिक्षकों की कमी, मुख्यतः अच्छे शिक्षकों की कमी बनी रहेगी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में। ऐसे शिक्षक जिन्हें अच्छे शिक्षक की ख्याति मिल जाएगी, वे शहरों के स्कूलों में पढ़ाना चाहेंगे। इसका मुख्य कारण यह भी है कि वे चाहेंगे कि उनके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। इस कारण भी ग्रामीण विद्यालयों में ये स्थिति बहुत जल्दी बदलने वाली नहीं है।

> यद्यपि शिक्षकों की कमी बनी रहेगी परंतु संचार तकनीक के माध्यम से हम गुणात्मक शिक्षा उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं जिन्हें अच्छे शिक्षक, समृद्ध पुस्तकालय या दूसरी अध्ययन सामग्री उपलब्ध नहीं है। हमें संज्ञान लेना चाहिए कि नए संचार माध्यमों से हम करोड़ों विद्यार्थियों तक गुणात्मक शिक्षा, बिना समय गंवाए पहुंचा सकते हैं।

आधुनिक दूरस्थ शिक्षा का उद्‌भव इंग्लैंड से माना जा सकता है, परंतु इसका सबसे ज्यादा उपयोग एवं उपादेयता भारत जैसे देशों के लिए है, जहां अधिकांश आबादी गांवों में रहती है। हमारी नीतियां शहरी लोगों के लिए बनाई गईं। गांव पिछड़ गए और देहाती क्षेत्रों में न तो स्वास्थ्य और न ही शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की गई। ये कमी दूरस्थ शिक्षा पूरी कर सकती है।

गुणात्मक शिक्षा के पर्याय नवोदय विद्यालय

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 द्वारा नवोदय विद्यालयों के रूप में देश के प्रत्येक जिले में विशेष प्रकार के आवासीय विद्यालयों की संकल्पना की गई। इन विद्यालयों का उद्देश्य विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा के माध्यम से समता और सामाजिक न्याय प्रदान करना था। बेहद प्रयास के बाद 30 वर्षों में 637 नवोदय विद्यालय स्थापित कर पाए हैं।

नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय समिति द्वारा चलाए जाते हैं जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है और जो सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम XXI 1860 के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में 1987 में स्थापित किया गया।

नवोदय विद्यालयों के प्रमुख उद्देश्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे प्रतिभावान बच्चों को उनकी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बगैर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। नवोदय विद्यालयों में तमिलनाडु को छोड़कर देश भर में करीब 2.5 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। आरंभ में पश्चिम बंगाल में नवोदय विद्यालयों की स्थापना को लेकर विरोध था, परंतु 2001–02 से पश्चिम बंगाल

में भी नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई। नवोदय विद्यालयों की स्वीकृत संख्या 661 है जिनमें से 637 पूरी तरह से कार्यरत हैं।

नवोदय विद्यालयों में 78.23 प्रतिशत ग्रामीण विद्यार्थी पढ़ते हैं। ये विद्यालय लड़कियों के नामांकन को लेकर भी काफी सक्रिय हैं। इनमें 40.11 प्रतिशत लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षित करने में नवोदय विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनमें अनुसूचित जाति के 25.35 प्रतिशत विद्यार्थी और अनुसूचित जनजाति के 20.01 प्रतिशत विद्यार्थी नामांकित हैं। यह आंकड़े राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक हैं।

देशभर में नवोदय विद्यालय जैसे गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने वाले अन्य विद्यालयों की स्थापना भी की जानी थी परंतु स्कूल शिक्षा आयोग जैसे नियंत्रक एवं सांविधिक निकाय के अभाव में यह साकार न हो सका। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र राज्यों की समवर्ती सूची में शामिल होने के कारण तमिलनाडु जैसे राज्यों में विद्यालयों की स्थापना नहीं की जा सकी है।

संचार माध्यम : सुविधा है पर जोखिम भी

संचार माध्यम यद्यपि बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं परंतु साथ ही, ये बहुत घातक भी हो सकते हैं। संचार माध्यमों से हम करोड़ों विद्यार्थियों तक एक साथ पहुंचते हैं। परंतु यदि इन पर उपलब्ध करायी गई अध्ययन सामग्री, विषय वस्तु, उद्बोधन इत्यादि त्रुटिपूर्ण हों या गलत हों तो बड़ी संख्या में बच्चे गलत सीख लेंगे। हमें ध्यान रखना होगा कि हम अव्वल सामग्री ही उपलब्ध कराएं।

संचार माध्यम शहरी एवं ग्रामीण विद्यार्थियों तक समान रूप से पहुंचते हैं परंतु विद्यार्थियों की सामाजिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि में बहुत अंतर होता है। कुछ विद्यार्थियों के माता–पिता शिक्षित होते हैं जो उनकी मदद करते हैं परंतु ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के माता–पिता कई बार अशिक्षित होते हैं और उन्हें उपयुक्त मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। ये परेशानी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों के साथ आती है जो इंटरनेट या टेलीविज़न का उपयोग बड़ों की देखरेख के बिना करते हैं। माता–पिता जान भी नहीं पाते कि बच्चे इंटरनेट पर कौन–सी साइटें देख रहे हैं। अच्छी बात सीख रहे हैं या उल्टी–पुल्टी; उम्र के अनुकूल सामग्री देख और पढ़ रहे हैं या प्रतिकूल। अभी हमारे पास कोई ऐसी संस्था विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है जो इस पर निगरानी रखे।

यदि हम विद्यालयी शिक्षा पर नज़र डालें तो यह स्पष्ट होगा कि हमारी नीतियों में थोड़े–थोड़े अंतराल पर बदलाव होता रहा है। शिक्षा समवर्ती सूची में निश्चित रूप से है परंतु केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह राष्ट्रीय नीति तथा मानक तय करे। उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय गुणवत्ता एवं मानक तय करने के दृष्टिकोण से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षकों की गुणवत्ता तय करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना की गई। ऐसी संस्थाएं जो संसद द्वारा स्थापित की जाती हैं वे राज्य–स्तर की संस्थाओं से अधिक प्रचलित होती हैं।

विद्यालय शिक्षा आयोग : समय की मांग

आज़ादी के बाद से ही विद्यालयी शिक्षा उपेक्षित रही है। शिक्षा का केंद्र बिंदु उच्च शिक्षा बनी रही। उच्च शिक्षा पर ही बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया गया जबकि आवश्यकता के अनुरूप बहुत कम स्कूल उपलब्ध थे। फलस्वरूप जिन अधिकांश बच्चों को विद्यालय में रहना चाहिए था, वे विद्यालय से बाहर रह गए। बहुत से बच्चे विद्यालय में आने के बाद भी कई कारणों से विद्यालय से बाहर हो गए। विद्यालयों की गुणवत्ता आशा के अनुरूप नहीं रही। इसके कारण उच्च शिक्षा में भागीदारी कम रही और प्रतियोगिता नगण्य हो गई। हमारी शिक्षा व्यवस्था संभ्रान्तवादी बन गई।

शिक्षा के साथ कौशल विकास आवश्यक

एनआईओएस मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान है जो पूर्व–स्नात्तक स्तर तक के विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों को शैक्षिक के साथ–साथ कौशल विकास के कार्यक्रम भी प्रदान करता है। एनआईओएस का उद्देश्य औपचारिक प्रणाली के विकल्प के रूप में मुक्त शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षा वंचितों तक शिक्षा पहुंचाना है। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ कर नौकरी के पेशे में लग जाते हैं। इस स्थिति में एनआईओएस के व्यावसायिक कार्यक्रम एक अच्छे विकल्प के रूप में सामने आए हैं।

कौशल विकास भारत सरकार की प्राथमिकता है। विभिन्न स्तरों पर कौशल आवश्यकताओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए, एनआईओएस कृषि तथा पशुपालन, व्यवसाय तथा वाणिज्य, कम्प्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी, गृह विज्ञान तथा आतिथ्य, स्वास्थ्य तथा पराचिकित्सा विज्ञान, शिक्षक प्रशिक्षण इत्यादि के क्षेत्रों में लगभग 100 से अधिक व्यावसायिक कार्यक्रम चला रहा है। इन पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ)

के अनुरूप संशोधन किया जा रहा है। एनआईओएस में कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक कार्यक्रम शैक्षिक पाठ्यक्रमों के साथ चलाए जा रहे हैं। व्यावसायिक स्ट्रीम नामक योजना में शिक्षार्थी तीन व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ दो शैक्षिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करके माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

एनआईओएस के कौशल विकास कार्यक्रम

एनआईओएस दशकों से राजस्थान में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। लगभग 158 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कटिंग व टेलरिंग, ड्रेस मेकिंग, ब्यूटी कल्चर तथा भारतीय कढ़ाई आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। एनआईओएस ने हाल ही में बाहरी विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन कराया जिसमें पाया गया कि इस योजना से लड़कियों को काफी लाभ हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए एनआईओएस कर्नाटक, त्रिपुरा, गुजरात आदि प्रदेशों में भी यह कार्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य सरकारों से बातचीत कर रहा है।

कौशल विकास की महत्ता को देखते हुए प्रत्येक स्कूल तथा विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यह अनिवार्य होनी चाहिए। इससे शिक्षार्थियों को काफी लाभ होगा कि वे अगर अपनी पढ़ाई बीच में किन्हीं कारणों से पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनके पास हुनर होगा जिससे वे स्वरोजगार प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं।

> कौशल विकास की महत्ता को देखते हुए प्रत्येक स्कूल तथा विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और यह अनिवार्य होनी चाहिए। इससे शिक्षार्थियों को काफी लाभ होगा कि वे अगर अपनी पढ़ाई बीच में किन्हीं कारणों से पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनके पास हुनर होगा जिससे वे स्वरोजगार प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर सकते हैं।

भारत में विद्यालयी शिक्षा में बहुत कम नवाचार और परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। हमें विचार करना होगा कि जो क्षेत्र सर्वाधिक रचनात्मक और गतिमान होना चाहिए था, वह जड़ और अपरिवर्तनशील कैसे रह गया। हमने उच्च शिक्षा की योजना बनाने और निगरानी रखने के लिए एक सांविधिक निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया। किंतु विद्यालयी क्षेत्र के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। विद्यालयी शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत है और सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता के अधीन कार्य करती है जो शिक्षाविद् नहीं होते और जो दस महीने से लेकर एक वर्ष के भीतर स्थानांतरित हो जाते हैं।

हमें यूजीसी की तरह विद्यालयी शिक्षा के लिए भी एक स्थायी सांविधिक निकाय की आवश्यकता है जो विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न पक्षों से संबद्ध हो। हमें शायद ही कभी देखने को मिलता है कि प्राचार्य और विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य विद्यालयों की योजना बनाने में शामिल हो; जो विद्यालयी शिक्षा को समझते हैं और उसे नया रूप दे सकते हैं, वे विद्यालयी शिक्षा की निर्णय प्रक्रिया में कहीं भी जुड़े नहीं होते हैं।

नई शिक्षा नीति से उम्मीदें

नई शिक्षा नीति 2019 तथा 2019–24 में सरकार से उम्मीद है कि विद्यालयी शिक्षा की योजना और निगरानी के लिए संसद में अधिनियम के माध्यम से एक सांविधिक स्वायत्त संस्था की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक–स्तर के केंद्रीय एवं राज्य बोर्ड, सरकारी और निजी विद्यालय, औपचारिक और अनौपचारिक विद्यालय, शैक्षिक और रचनात्मक क्षेत्र के क्रियाकलापों तथा अन्य गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से जांचा–परखा जा सकेगा जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इस सांविधिक निकाय के अंतर्गत शिक्षक शिक्षा को भी स्वाभाविक अंग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए और इसका नामकरण 'विद्यालय शिक्षा आयोग' हो सकता है।

सांविधिक निकाय का स्वरूप कैसा हो?

यह विषय अक्सर उठता है कि राज्यों के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के अंकों की तुलना नहीं की जा सकती। कुछ राज्य बहुत ही उदारतापूर्वक अंक देते हैं तो दूसरे बहुत कठोरतापूर्वक। इस कारण वैसे राज्यों के बच्चे जहां उदार अंकन हुआ है, देश के सबसे अच्छे महाविद्यालयों में दाखिला पा गए, परंतु उनका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुकूल नहीं रहा।

केंद्र में भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, केंद्रीय संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस), केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) को सीधा नियंत्रित करता है। मंत्रालय के पास न तो कोई क्षेत्र विशेषज्ञ होते हैं और न ही सततता। उच्च शिक्षा मुख्य तौर पर तीन से पांच वर्षों की स्नात्तक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए है, परंतु विद्यालयी शिक्षा 12 वर्षों की आधारभूत शिक्षा है। यही शिक्षा, किसी भी विद्यार्थी का भविष्य तय करती है। हमें शहरों एवं गांवों के बच्चों को, अमीर और गरीब को, लड़के और लड़कियों को, भारत के हर राज्य में एक तरह की गुणात्मक एवं राष्ट्रवादी शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए एक सांविधिक निकाय की स्थापना की आवश्यकता है।

निष्कर्ष में, नई शिक्षा नीति में एक सुदृढ़ विद्यालयी शिक्षा नीति की दरकार है जो राष्ट्र के सभी बच्चों का एक जैसा ध्यान रखे, न कि उन्हें धर्म, भाषा, क्षेत्र के नाम पर दोयम दर्जे की शिक्षा देने का अधिकार मिले। हमारी विद्यालयी व्यवस्था को सुचारू बनाने एवं सभी बच्चों को समान, समावेशी एवं राष्ट्रवादी शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालयी शिक्षा आयोग की स्थापना अत्यावश्यक है।

(लेखक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में अध्यक्ष हैं।)
ई–मेल : sharmacb2000@yahoo.com

डिजिटल साक्षरता की दिशा में मज़बूत कदम

–बालेन्दु शर्मा दाधीच

मौजूदा दौर में कोई भी समाज सामान्य साक्षरता के बल पर तरक्की के अपने सपनों को साकार नहीं कर सकता। डिजिटल और वित्तीय साक्षरता तथा कौशल विकास तरक्की की बुनियादी पूर्व शर्तें बन गई हैं। वजह यह कि कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट जैसी अवधारणाएं जो किसी समय बहुत भविष्योन्मुखी प्रतीत होती थीं, आज हमारे दैनिक जीवन में प्रधान भूमिका निभा रही हैं। इन परिस्थितियों में, डिजिटल माध्यमों का ज्ञान सिर्फ व्यक्ति के लिए निजी–स्तर पर ही आवश्यक नहीं रह गया है बल्कि वह सरकारी योजनाओं तथा लक्ष्यों में भी शामिल है।

आज जब इंटरनेट और मोबाइल के क्षेत्र के मासिक या सालाना आंकड़े जारी होते हैं तो भारत हर बार अव्वल देशों की श्रेणी में दिखाई देता है। इतनी बड़ी जनसंख्या वाले इस देश ने सोशल नेटवर्किंग से लेकर ऑनलाइन मनोरंजन और ई–कॉमर्स से लेकर मोबाइल एप्स तक के इस्तेमाल में अग्रणी स्थान बनाया हुआ है। और यह सिलसिला आगे भी अनेक वर्षों तक जारी रहने वाला है। 56 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 2021 तक देश में लगभग 70 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता होंगे।

जब देश में इंटरनेट की पहुंच इस तेजी के साथ बढ़ रही हो और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट–आधारित सेवाओं का बोलबाला हो तो स्वाभाविक है कि देश के लिए डिजिटल साक्षरता को प्राथमिकता देना ज़रूरी है। इंटरनेट–आधारित सेवाओं का दायरा इतना व्यापक है कि वे हमारे दैनिक जीवन को विभिन्न प्रकार से प्रभावित कर रही हैं। लोग इंटरनेट पर जानकारी खोजते हैं, मनोरंजन की तलाश करते हैं, उत्पाद खरीदते हैं, आर्थिक लाभ उठाते हैं, कारोबार करते हैं और सरकारी तथा निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली ऑनलाइन सेवा का उपयोग भी करते हैं। इतनी व्यापक उपादेयता वाले क्षेत्र में लोगों की जागरुकता होना बतौर एक राष्ट्र, हमारे लिए एक स्वाभाविक अनिवार्यता है और हमारी सरकारें इस दिशा में सजगता से प्रयास कर रही हैं। डिजिटल साक्षरता उनके लिए एक प्राथमिकता से कम नहीं। डिजिटल इंडिया के तहत इस दिशा में अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान और सामान्य सेवा केंद्रों (कॉमन सर्विस सेंटर्स) जैसे व्यापक तथा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भी इस उद्देश्य में उपयोगी भूमिका निभा रहे हैं।

मौजूदा दौर में कोई भी समाज सामान्य साक्षरता के बल पर तरक्की के अपने सपनों को साकार नहीं कर सकता। डिजिटल और वित्तीय साक्षरता तथा कौशल विकास तरक्की की बुनियादी पूर्व शर्तें बन गई हैं। वजह यह कि कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट जैसी अवधारणाएं जो किसी समय बहुत भविष्योन्मुखी प्रतीत होती थीं, आज हमारे दैनिक जीवन में प्रधान भूमिका निभा रही हैं। वे महज

उत्पादकता के कार्यों या दफ्तरी कार्यों तक सीमित नहीं रह गई हैं बल्कि ऐसा लगता है कि जिस तरह से भाषा और कॉमन सेंस (सामान्य बोध, ज्ञान) किसी भी क्षेत्र में एक बुनियादी ज़रूरत है उसी तरह से कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट तथा उनसे जुड़े उत्पादों व सेवाओं की कामचलाऊ जानकारी हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी बन गई है। इन परिस्थितियों में, डिजिटल माध्यमों का ज्ञान सिर्फ व्यक्ति के लिए निजी–स्तर पर ही आवश्यक नहीं रह गया है बल्कि वह सरकारी योजनाओं तथा लक्ष्यों में भी शामिल है।

सारे घटनाक्रम को समझने के लिए इन दो परिदृश्यों पर विचार करना दिलचस्प होगा। ये डिजिटल माध्यमों के संदर्भ में दुनिया और भारत के आंकड़े हैं जिनकी तुलना करने से हमें अनुमान लगता है कि भारत इस मामले में कहां ठहरता है।

दुनिया में डिजिटल वातावरण के बारे में मुख्य आंकड़े

- कुल जनसंख्याः 7.6 अरब
- शहरीकरणः 56 प्रतिशत
- अद्वितीय मोबाइल उपयोगकर्ताः 5.1 अरब
- इंटरनेट कनेक्टिविटी का दायराः 67 फीसदी आबादी
- इंटरनेट उपयोगकर्ताः 4.3 अरब
- सक्रिय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताः 3.4 अरब
- मोबाइल सोशल मीडिया उपयोगकर्ताः 3.2 अरब

भारत में डिजिटल वातावरण के बारे में मुख्य आंकड़े

- कुल जनसंख्याः 1.3 अरब
- शहरीकरणः 34 प्रतिशत
- मोबाइल सदस्यताः 1.2 अरब
- इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रतिशतः 41 फीसदी आबादी
- इंटरनेट उपयोगकर्ताः 56 करोड़
- सक्रिय सोशल मीडिया उपयोगकर्ताः 31 करोड़
- मोबाइल सोशल मीडिया उपयोगकर्ताः 29 करोड़

'डिजिटल साक्षरता' शब्द का प्रयोग 'कौशल' की एक विस्तृत श्रृंखला के संदर्भ में किया जाता है, जो सफल होने और डिजिटल दुनिया के अनुकूल होने के लिए आवश्यक है। चूंकि आजकल मुद्रित माध्यमों में हम एक ठहराव की दिशा में बढ़ रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन माध्यमों के प्रयोग तथा उनसे मिली जानकारी को समझने की क्षमता महत्वपूर्ण हो जाती है। जिन लोगों और छात्रों में डिजिटल साक्षरता कौशल की कमी है, वे अपने उपयोग की जानकारी को त्वरित तथा सटीक ढंग से ऑनलाइन माध्यमों से तलाशने तथा उनका सही ढंग से प्रयोग करने में दिक्कत महसूस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वे ऐसे बहुत सारे अवसरों को भी खो देंगे जो आज इंटरनेट और मोबाइल के जरिए बड़ी संख्या में पैदा हो रहे हैं। इनमें रोजगार के अवसर भी हैं, कारोबार के मौके भी तथा शिक्षा के जरिए भी। इतना ही नहीं, आज एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी इसकी उपयोगिता निर्विवाद है। खासकर ऐसे दौर में, जब मतदाता परिचय–पत्र से लेकर आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर डिग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल वॉलेट के प्रयोग तक में डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल हो रहा है। स्पष्ट है कि हमारे भविष्य की दिशा डिजिटल माध्यमों की ओर है तथा उनसे ही निर्देशित है।

विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2020 तक 26 अरब या अधिक सेंसर और उपकरण इंटरनेट से जुड़े होंगे, जो हमें मशीन इंटेलिजेंस के युग में ले आएंगे। इन हालात में हमें ऐसे डिजिटलीकृत भविष्य की रूपरेखा विकसित करना अनिवार्य है जो इस बदलाव से गुजरने के लिए देशों, सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को तैयार करेगा। स्वाभाविक है, कि बदलावों का सिलसिला उतना छोटा या सीमित नहीं है जैसा कि हममें से कुछ लोगों को प्रतीत होता है और उसकी ज़रूरतों को अनदेखा करना हमारे लिए कोई विकल्प नहीं है।

बदलाव सिर्फ तकनीकों के संदर्भ में ही नहीं आ रहे बल्कि डिजिटल शिक्षा के प्रसार के माध्यमों की दृष्टि से भी आ रहे हैं। 2014 में शिक्षा पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में केवल 6 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास कंप्यूटर तक पहुंच थी। यदि हम कंप्यूटर को ही प्रधान रूप से डिजिटल शिक्षा का माध्यम बनाते हैं तो देश की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या के डिजिटल रूप से निरक्षर होने की संभावना है। लेकिन स्मार्टफोन के लोकप्रिय होने के बाद कंप्यूटर डिजिटल साक्षरता का प्रधान माध्यम नहीं रह गया है और अब हम सुविधाजनक रूप से यह मान सकते हैं कि जिनके पास कंप्यूटर उपलब्ध नहीं हैं, उनके पास भी मोबाइल फोन और इंटरनेट तक पहुंच होने की अच्छी–खासी संभावना है। अर्थ यह कि डिजिटल साक्षरता के संदर्भ में चुनौतियां और वांछित जानकारी का दायरा बढ़ रहा है तो साथ ही साथ साक्षरता उपलब्धता की डिलीवरी के माध्यम भी पहले की तुलना में सुगम हो गए हैं।

डिजिटल परिवर्तन की लहर के लिए तैयार करने के लिए, डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए डिजिटल कौशल उतना ही आवश्यक है, जितना डिजिटल साक्षरता और सामान्य साक्षरता पर प्रगतिशील ध्यान केंद्रित करना। इसे यूनेस्को के सतत विकास लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) के रूप में मान्यता दी गई है, जहां एक निगरानी संकेतक डिजिटल साक्षरता कौशल को ट्रैक करने के लिए देशों को बुलाता है। लेकिन हमें खुद से पूछना होगाः डिजिटल कौशल के न्यूनतम–स्तर को प्राप्त करने का वास्तव में क्या मतलब है? एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु डिजिटल साक्षरता को समझना होगा, डिजिटल साक्षरता दर पर भारत की स्थिति, डिजिटल साक्षरता का महत्व और वास्तव में डिजिटल भारतीय का।

यहां प्रश्न उठता है कि किस व्यक्ति के लिए डिजिटल साक्षरता महत्वपूर्ण है। जवाब है– हर एक व्यक्ति के लिए। भले ही वह किसी भी आय वर्ग का हो, किसी भी लिंग का हो या किसी भी प्रकार के शैक्षणिक या व्यावसायिक पृष्ठभूमि से आता हो। शहरी हो या ग्रामीण, हर शख्स को आज नए माध्यमों के प्रयोग में सुविधाजनक–स्तर तक आने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि

इस समय हम चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं। तकनीकी उन्नति के समर्थन से समाज में इंटरनेट की मजबूत पैठ तो ज़रूर हुई है लेकिन क्या हम इन माध्यमों का सकारात्मक और प्रभावी इस्तेमाल करने के लिए अपने विद्यार्थियों, लोगों, दफ्तरों और चौतरफा सामाजिक माहौल को तैयार कर सके हैं? हम इन माध्यमों का प्रयोग कर भी रहे हैं तो प्रधान रूप से सूचनाएं या कंटेंट पाने के लिए। इनके अधिकांश पहलुओं से सामान्य जन अपरिचित हैं।

इसके साथ–साथ कुछ अन्य समस्याएं भी सामने आ रही हैं। बचपन में इंटरनेट के उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ दुखी, आक्रामक व्यवहार करने वाले और चिंतित बच्चों में वृद्धि हुई है, जो बहुत चिंताजनक है। एक सामाजिक संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, छात्रों को डिजिटल तरीके से रहने तथा व्यवहार करने का सही तरीका सिखाना अब पढ़ना–लिखना–बोलना सिखाने जितना ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें सिर्फ इसका इस्तेमाल करना नहीं आना चाहिए बल्कि सही ढंग से इस्तेमाल करना आना चाहिए क्योंकि डिजिटल दुनिया भी अंतर्निहित जोखिमों के साथ आती है, विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए। सच्चाई यह है कि आज युवा पीढ़ी को डिजिटल नेटिव (डिजिटल माध्यमों को स्वाभाविक रूप से लेने वाले, जैसेकि वे इस दुनिया के मूल निवासी हों) के रूप में पहचाना और संबोधित किया जा रहा है।

> वास्तव में हमें एक ऐसे समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है जिसके नागरिक डिजिटल नागरिक भी हों। डिजिटल नागरिक से तात्पर्य ऐसे लोगों से है जिनके पास डिजिटल माध्यमों का अच्छा ज्ञान और उपयुक्त कौशल हो; जो दूसरों के साथ संवाद करने, सामाजिक वातावरण और समाज में भाग लेने के लिए प्रभावी रूप से डिजिटल मीडिया और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में सक्षम भी हो और ऐसा करते भी हो। डिजिटल नागरिकता उस प्रवृत्ति की ओर भी संकेत करती है जिसमें तकनीक के प्रति आशंका या भय नहीं है बल्कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण तथा आत्मविश्वास है।

जब हम डिजिटल साक्षरता की तुलना करते हैं, तो आज के बच्चे अपने माता–पिता के बराबर या उनसे भी आगे होते हैं। लेकिन यदि वे इसके विविध पहलुओं की पर्याप्त जानकारी नहीं रखते तो अनेक किस्म के अनजाने खतरों तथा जोखिमों में फंस जाने की आशंका उन्हें हमेशा घेरे रहेगी। वजह यह कि डिजिटल दुनिया सिर्फ अच्छा कार्य करने वालों या उपयोगी सामग्री से भरी दुनिया नहीं है। वह बच्चों के लिए असुरक्षित हो सकती है क्योंकि वह उन्हें अपराधियों, हैकरों और दूसरे असामाजिक तत्वों के सामने पेश कर देती है। इसके अलावा, कृत्रिम ऑनलाइन वातावरण तथा अपने भौतिक वातावरण के बीच सही ढंग से तालमेल न बिठाने की स्थिति में ये डिजिटल नागरिक एकाकीपन, सामाजिक अलगाव और यहां तक कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से भी प्रभावित हो सकते हैं। वे गलत सूचना, हेरफेर, धोखाधड़ी आदि से भी प्रेरित और प्रभावित हो सकते हैं।

डिजिटल साक्षरता की बात आने पर अनेक लोग एक तकनीकी किस्म की चर्चा की उम्मीद लगा बैठते हैं। उन्हें लगता है कि डिजिटल साक्षरता में जटिल तकनीकी क्षमताओं जैसे कोडिंग और प्रोग्रामिंग आदि का कौशल शामिल होगा। इसके साथ–साथ संभवतः कंप्यूटर, मोबाइल तथा इंटरनेट की बनावट, अभिकल्पना, संरचना आदि के बारे में जानकारी आवश्यक होगी, यह भी एक गलतफहमी है। लेकिन वास्तव में डिजिटल साक्षरता का दायरा उतना व्यापक नहीं है बल्कि वह उन बुनियादी जानकारियों का संकलन है जो तकनीकी माध्यमों का सुरक्षित तथा कौशलपूर्ण उपयोग करने के लिए आवश्यक है।

हकीकत यह है कि आम जनता के लिए डिजिटल साक्षरता की आवश्यकताएं बहुत सीमित होंगी जबकि अन्य लोगों में वे भिन्न होंगी। वजह यह कि वे दिन–प्रतिदिन की जिम्मेदारियों तथा संबंधित व्यक्ति के निजी, सामाजिक तथा व्यावसायिक दायित्वों पर निर्भर करती हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए डिजिटल कौशल अलग होंगे जबकि एक वित्तीय सलाहकार या कंप्यूटर पेशेवर के लिए भिन्न। यह अनुमान लगाया गया है कि अगले पांच वर्षों के भीतर 90 प्रतिशत कार्यबल को सामान्य कंप्यूटर कार्य कौशल की आवश्यकता अवश्य ही होगी, जैसे कि इंटरनेट का कुशलता से इस्तेमाल करना, ई–मेल या उत्पादकता से जुड़े सॉफ्टवेयरों का उपयोग करना तथा मोबाइल फोन जैसे नए माध्यमों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना। ऐसी भी मान्यता है कि 50–60 प्रतिशत से अधिक लोगों के पास डिजिटल प्रणालियों का उपयोग करने, उनमें ज़रूरी सेटिंग्स आदि करने और यहां तक कि ज़रूरत पड़ने पर चीजों को ठीक करने की भी क्षमता होनी चाहिए।

हमारी सरकारें आम लोगों को डिजिटल नागरिकता की दिशा में ले जा रही हैं और इसके लिए संचालित अभियानों में लोगों, कर्मचारियों और छात्रों को शिक्षित करने, उनके पास डिजिटल और सूचना साक्षरता, इंटरनेट सुरक्षा, गोपनीयता और सुरक्षा, हैकिंग, अनैतिक हैकिंग, साइबर अनाचार, रिश्तों, शिष्टाचार और संचार जैसी अवधारणाओं के बारे में समझ विकसित करने का उपयोगी मौका होगा।

भारत में, 6,50,000 से अधिक गांवों में और 2,50,000 पंचायतों में 30 लाख से ज्यादा पंचायत सदस्य हैं। देश की 21 प्रतिशत आबादी गरीबी–रेखा से नीचे रह रही है, निरक्षरता दर 30 प्रतिशत से अधिक है और भारत की दो तिहाई आबादी के बीच डिजिटल साक्षरता लगभग नहीं के बराबर है। जहां देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बाजार बन चुका है वहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन अनुकूल परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाने के लिए इंटरनेट के माध्यम से समुदाय और उसके सदस्यों को दुनिया से जोड़ना विकास और सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक होता जा रहा है।

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट

के अनुसार, दिसंबर 2011 में ग्रामीण भारत में लगभग तीन करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। आज यह संख्या 50 करोड़ से अधिक हो चुकी है। लगभग आठ साल की अवधि में देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में 1700 प्रतिशत की अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इंटरनेट से जुड़े इन लोगों में ग्रामीण भारत के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हैं हालांकि फिलहाल शहरी क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रतिशत गांवों की तुलना में बहुत अधिक है। लेकिन राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन जैसी परियोजनाओं तथा रिलायंस जियो जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियों के कारोबारी अभियानों की मदद से शहर और गांव के बीच का अंतर कम होता चला जा रहा है।

ग्रामीण भारत में लोगों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का हिस्सा बनने की इच्छा बढ़ रही है। लेकिन, विकास के मानचित्र के अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्ति तक सुविधाओं, सेवाओं और कौशल को पहुंचाना भारत के लिए हमेशा एक चुनौती रही है। गैर–सरकारी संगठनों के समर्थन के साथ सरकार दूरस्थ, ग्रामीण भारत तक पहुंचने के लिए बेहतर तरीकों को आजमाने में जुटी है। मोटे अनुमान के अनुसार भारत को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए, कम से कम हर घर में एक व्यक्ति का डिजिटल साक्षर होना महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें कम से कम 30 करोड़ लोगों तक डिजिटल साक्षरता पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यह बहुत बड़ा और कठिन लक्ष्य है।

बहरहाल, व्यापक–स्तर पर इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए भारत में राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर काम चल रहा है। बीएसएनएल देश में 250,000 ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में ऑप्टिक फाइबर केबल पहुंचा देगा। कनेक्टिविटी के साथ–साथ ही डिजिटल साक्षरता की सौगात भी गांवों में पहुंच रही है और यहां पर राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन का उल्लेख ज़रूरी हो जाता है। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन कार्यक्रम (एनडीएलएम) डिजिटल साक्षरता जागरूकता, शिक्षा और क्षमता कार्यक्रमों का एकीकृत मंच है जो ग्रामीण समुदायों को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी करने और तकनीकी रूप से सशक्त समाज को आकार देने में मदद करेगा।

एनडीएलएम के बुनियादी लक्ष्यों में ग्रामीण समुदायों को क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त बनाना, डिजिटल साक्षर बनाना, डिजिटल माध्यमों से ग्रामीण नागरिक सेवाओं को उपलब्ध कराना, इन सेवाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए प्रत्येक ग्रामीण समुदाय–स्तर पर एक डिजिटल डाटा हाउस बनाना, ग्रामीण समुदायों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक लाभ उत्पन्न करने के लिए सूचनाओं और कंटेंट के माध्यमों (गेटवे) का निर्माण आदि शामिल हैं। मिशन लोगों को डिजिटल उपकरणों को संचालित करने और अपने बुनियादी स्तरों पर सरकार की ई–गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षित करता है।

एनडीएलएम राष्ट्रीय ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) योजना के उद्देश्यों को पूरक बनाने का एक प्रयास है, जो प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने का उद्देश्य लेकर चल रहा है। डिजिटल साक्षरता मिशन के कार्यों से इस बात के अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि किस तरह नागरिकों को डिजिटल साक्षर बनाने से हमारी स्थानीय शासन व्यवस्था और नागरिकों के सशक्तिकरण का परिदृश्य बदल सकता है। साथ ही साथ सामाजिक समावेश, शिक्षा, कौशल और रोजगार की स्थितियों में भी बदलाव आ सकता है।

भारत में डिजिटल साक्षरता दर बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान को 'डिजिटल इंडिया' पहल के एक अभिन्न अंग के रूप में लांच किया गया था। इस योजना का उद्देश्य हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है, और उन्हें टैबलेट, स्मार्टफ़ोन वगैरह जैसे डिजिटल उपकरणों को संचालित करने के लिए प्रशिक्षित करना है। प्रशिक्षण में ई–मेल भेजना और प्राप्त करना, इंटरनेट ब्राउज़ करना और डिजिटल भुगतान करना शामिल है। प्रशिक्षण को 14 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए, न्यूनतम 10 दिनों में 20 घंटे की अवधि के लिए, अधिकतम 30 दिनों के लिए, भारत की आधिकारिक भाषाओं का उपयोग करते हुए दिया जाना है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल विभाजन या खाई को पाटना है और इसके लिए विशेष रूप से ग्रामीण आबादी को लक्षित किया गया है। सरकार ने इसके लिए पर्याप्त धन का आवंटन भी किया है। मसलन 2017–18 में 100 करोड़ रुपये, 2018–19 में 438 करोड़ रुपये और 2019–20 में 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस लिहाज से इस परियोजना के लिए अब तक कुल परिव्यय 2,351 करोड़ रुपये का हुआ है। छह करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रही इस योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर्स का संचालन किया जाता है जिन्होंने देशभर में दर्जनों राज्य–स्तरीय और सैंकड़ों जिला–स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित की हैं। साथ ही साथ एक लाख के लगभग प्रशिक्षण केंद्र सूचीबद्ध किए जा चुके हैं।

सरकार इस व्यापक कार्य की सफलता सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों, निजी क्षेत्र आदि को भी साथ लेकर चल रही है। इस संदर्भ में नैसकॉम फाउंडेशन, इंडसइंड बैंक, इन्टेल, दैनिक भास्कर समूह, एचपी और पेपैल के साथ वित्तीय संसाधन जुटाने, स्वेच्छा से काम करने, गुणवत्ता वितरण की निगरानी करने और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए साझेदारी की गई है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) भी उद्देश्यपूर्ण शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में मदद कर रहा है और साथ ही वैज्ञानिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। उम्मीद है कि डिजिटल समावेशन और डिजिटल साक्षरता के क्षेत्र में भारत के लक्ष्य समय पर पूरे कर लिए जाएंगे जिससे सशक्त, समृद्ध तथा प्रगतिशील डिजिटल समाज की स्थापना का सपना पूरा हो सकेगा।

(लेखक सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं।)
ई–मेल : balendu@gmail.com

ग्रामीण शिक्षा और कौशल विकास

–डॉ. नीलेश तिवारी, डॉ. तूलिका शर्मा

आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यानी, हम शिक्षा में निवेश क्यों करें? क्या यह लोगों में कौशल को विकसित कर बेहतर जीवन या आजीविका पाने की दिशा में एक बेहतर विकल्प प्रदान करती है या फिर शिक्षा सभ्य समाज का आभूषण मात्र बनकर रह गई है? चूंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कौशल विकास ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, पलायन एवं बेहतर जीवन शैली इत्यादि के समाधान में सहायक हो सकती है अतः इस लेख में हम इन सभी प्रश्नों के साथ–साथ विविध पहलुओं का आंकलन करेंगे।

शिक्षा और कौशल व्यक्ति को समाज में किसी भी विषय पर नैतिक रूप से सोचने व समझने के साथ–साथ उसे अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने में सहायक होते हैं। प्राचीनकाल से ही भारत में शिक्षा का उद्देश्य लोगों में विशेष गुण या कौशल विकसित कर उन्हें आजीविका प्रदान करने में सहायता करने से प्रेरित रहा है।

अतः शिक्षा और कौशल सदैव एक ही सिक्के के दो पहलू रहे हैं। यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यक्ति को कुशल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के महत्व को चित्रांकित करते हुए 2001 के नोबल पुरस्कार विजेता और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव श्री कोफी अन्नान के शब्दों में ''ज्ञान ही शक्ति है, सूचना मुक्ति है और यह हर समाज, हर परिवार में प्रगति का आधार है।'' इसी संदर्भ में नेल्सन मंडेला ने भी कहा कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग दुनिया को बदलने हेतु किया जा सकता है।

इसके साथ ही यहां यह भी समझना भी आवश्यक है कि आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? यानी, हम शिक्षा में निवेश क्यों करें? क्या यह लोगों में कौशल को विकसित कर बेहतर जीवन या आजीविका पाने की दिशा में एक बेहतर विकल्प प्रदान करती है या फिर शिक्षा सभ्य समाज का आभूषण मात्र बनकर रह गई है? चूंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कौशल विकास ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न सामाजिक समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, पलायन एवं बेहतर जीवन शैली इत्यादि के समाधान में सहायक हो सकती है अतः इस लेख में हम इन सभी प्रश्नों के साथ–साथ निम्नलिखित विविध पहलुओं का आंकलन करेंगें कि–

1. अंतर्राष्ट्रीय–स्तर पर सर्वमान्य कौशल (स्किल) की अवधारणा;
2. औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में अपेक्षित कौशल विशेषताओं के प्रकार;
3. ग्रामीण भारत में शिक्षा एवं कौशल विकास की आवश्यकता, प्रमुख चुनौतियां एवं अवसर;

4. भारत में शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु नीतिगत एवं संस्थागत प्रयास एवं उनका मूल्यांकन;
5. भारतीय शिक्षा प्रणाली को रोजगारपरक या आजीविका–उन्मुखी बनाने हेतु सुधारात्मक प्रयास;
6. चौथे औद्योगिक क्रांति के दौर में कौशल–आधारित शिक्षा, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन प्रबंधन पर विशेष ज़ोर देने हेतु भारत में हो रहे प्रयास।

किसी भी देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विकास में शिक्षित, कुशल एवं विशेषज्ञ व्यक्तियों की भूमिका प्रेरक–शक्ति के रूप में सदैव महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015 के अनुसार भारत विश्व का सर्वाधिक युवा देश है जहां कुल आबादी की 62 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग (15–59) तथा 54 प्रतिशत जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु वाली है। इस ऊर्जावान गतिशील जनसांख्यिकीय लाभांश को शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण द्वारा बेहतर मानव संसाधन के रूप में विकसित करने से न केवल बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक बुराईयों इत्यादि का समाधान मिल सकता है अपितु वे राष्ट्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

वहीं ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से अनौपचारिक और असंगठित होने के साथ–साथ श्रमिकों और उद्यमों की संख्या एवं रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है (NSC, 2012)। इसी क्रम में भारत ने 2022 तक 50 करोड़ लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी रूप से कुशल बनाने का लक्ष्य रखा है।

1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण के फलस्वरूप निरंतर सामाजिक, आर्थिक एवं मानव विकास का अनुभव किया जा सकता है। विगत दो दशकों के दौरान बदलते सामाजिक–आर्थिक परिवेश, औद्योगिक क्रांति, सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग ने एवं अन्य विभिन्न कारकों ने ग्रामीण भारत को न केवल शिक्षित व आकांक्षी बनाया अपितु स्वतंत्र ग्रामीण भारत में साक्षरता दर को 36 प्रतिशत (1991 जनगणना) से बढ़ाकर लगभग 68 प्रतिशत (2011) तक पहुंचाया जो राष्ट्रीय–स्तर पर 52 प्रतिशत (1991) से बढ़कर 74 प्रतिशत (2011) हुआ। यानी कि ग्रामीण एवं शहरी भारत में शिक्षा के प्रति जागरुकता और पहुंच, दोनों में सकारात्मक परिवर्तन को साफतौर पर देखा जा सकता है।

स्वतंत्रता के 72 वर्षों बाद भी ग्रामीण भारत में शिक्षा एवं कौशल विकास में निवेश को लेकर दो विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। पहला, वह आकांक्षी ग्रामीण भारत जहां यह माना जाता है कि शिक्षा एवं कौशल विकास में निवेश किसी अन्य क्षेत्र या संसाधन में निवेश की तुलना में सर्वाधिक प्रतिफल देने वाला निवेश कहा जा सकता है। यूनेस्को की ईएफए ग्लोबल मॉनीटरिंग प्रतिवेदन 2009 के अनुसार ''एक व्यक्ति द्वारा शिक्षा पर किए गए

आरेख–1: औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में अपेक्षित कौशल विशेषताओं के प्रकार

आधारभूत (बुनियादी) कार्य कौशल	व्यावसायिक या तकनीकी कौशल	पेशेवर / व्यक्तिगत कौशल	कोर कार्य कौशल
मूलभूत रूप से आवश्यक कौशल जैसे साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल इत्यादि	विशिष्ट प्रकार का कौशल, ज्ञान या कार्य करने की जानकारी	कार्यों को बेहतर ढ़ंग से पूरा करने हेतु व्यक्तिगत विशेषताएं	विभिन्न क्षेत्रों में कार्यों को प्रभावी व दक्षतापूर्वक पूरा करने हेतु आवश्यक कौशल
मानव संसाधनों को शिक्षण व प्रशिक्षण से तकनीकी या व्यावसायिक प्रदान करने में सहायक	विशिष्ट कर्तव्यों या कार्यों को निश्चित समय सीमा में बेहतर रूप से पूरा करने में सहायक	प्रबंधन, नेतृत्व क्षमता, संप्रेषण, निर्णय लेने की क्षमता आदि गुण व कार्य के प्रति नैतिकता	सीखना और समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करना, रचनात्मकता समूहों में कार्य, पर्यवेक्षण इत्यादि

स्रोतः लौरा ब्रेवर, कौशल और रोजगार विभाग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 2013

प्रत्येक एक अमेरिकी डॉलर खर्च या निवेश के बदले उसके सक्रिय कार्यशील जीवनकाल में लगभग 10 डॉलर का प्रतिफल प्राप्त होता है।'' अतः शिक्षा और कौशल विकास मानव विकास में विभिन्न प्रकार के कार्यों को दक्षतापूर्वक पूर्ण करने में आवश्यक गुणों को विकसित करने में अत्यंत सहायक होते हैं।

वहीं दूसरी ओर, ग्रामीण भारत का वह हिस्सा जो ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक, दोनों ही प्रकार से सदैव अपने आप में मग्न या अलग रहा, यहां हम बात कर रहे हैं प्रकृति की गोद में बसने वाले जनजातीय या ट्राइबल भारत की, जो आज भी विषम भौतिक और आर्थिक अवस्था व अपर्याप्त अधोसंरचना में जीवन व्यापन कर रहे हैं।

इन्हीं जनजातीय क्षेत्रों में से एक, छत्तीसगढ़ की शक्ति राजधानी के रूप में प्रसिद्ध ज़िला कोरबा, जो देश के 115 आकांक्षी जिलों में से भी एक है, में ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में विगत 3 वर्षों से शोध कर रही लंदन के ब्रुनेल विश्वविद्यालय की प्रोफेसर पेगी फ्रोएरेर ने यह पाया कि यद्यपि यहां के आदिवासी समाज ने शिक्षा के महत्व को जाना है इसके बावजूद भी उन्हें अभी भी विश्वास नहीं है कि शिक्षा उनके जीवन में परिवर्तन ला सकती है या रोजगार या काम प्रदान करने में सहायक हो सकती है। प्रोफेसर पेगी ने अपने शोध में मुख्य रूप से यह भी पाया कि कोरबा जनजातीय लोग अपने दैनिक जीवन में आसपास के शिक्षित लोगों से ही शिक्षा के प्रति प्रभावित होकर सीमित तौर पर आकांक्षी हो रहे हैं। यहां यह साफ कर देना अति आवश्यक है कि इस अध्ययन की अपनी सीमाएं हैं और यह ग्रामीण भारत के संपूर्ण आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता है अपितु एक विचारधारा को दर्शाता है।

अतः शिक्षा और कौशल विकास के लाभ को ग्रामीण भारत के

तालिका–1: चिन्हित 24 क्षेत्रों में 2022 तक अनुमानित वर्धित मानव संसाधनों की आवश्यकता

क्र. सं.	24 चिन्हित क्षेत्र / सेक्टर	2022 तक अनुमानित वर्धित मानव संसाधनों की आवश्यकता (दस लाख में)
1	कृषि	215.5
2	भवन निर्माण एवं रियल एस्टेट	91
3	खुदरा	56
4	लॉजिस्टिक्स, परिवहन एवं वेयरहाउसिंग	31.2
5	वस्त्र और कपड़ा	25
6	शिक्षा और कौशल विकास	18.1
7	हथकरघा व हस्तशिल्प	18.8
8	ऑटो और ऑटो पार्ट्स	15
9	निर्माण सामग्री और बिल्डिंग हार्डवेयर	12.4
10	निजी सुरक्षा सेवाएं	12
11	खाद्य प्रसंस्करण	11.6
12	पर्यटन, आतिथ्य और यात्रा	14.6
13	घरेलू मदद	11.1
14	रत्न और आभूषण	9.4
15	इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर	9.6
16	सौंदर्य और वेलनेस	15.6
17	फर्नीचर और फर्निशिंग	12.2
18	स्वास्थ्य देखभाल	7.4
19	चमड़ा व चमड़े के सामान	7.1
20	आईटी और संबंधित सेवाएं	5.3
21	बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा	4.4
22	दूरसंचार	5.7
23	दवाएं	4
24	मीडिया और मनोरंजन	1.3
	कुल	614.2

स्रोतः पर्यावरण स्कैन प्रतिवेदन, 2016 (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम)

सुदूर क्षेत्रों में स्वतः महसूस कराने की आवश्यकता है। इसके साथ ही प्रश्न यह है कि आखिर कौशल से क्या तात्पर्य है?

वर्ष 2000 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तत्कालीन 175 सदस्यों ने, जिसमें भारत संस्थापक सदस्य है, ने मानव संसाधन प्रशिक्षण और विकास से संबंधित एक संकल्प को अपनाया, जो रोजगार कौशल को निम्न रूप में परिभाषित करता है:

"कौशल; ज्ञान और योग्यताएं, किसी भी कार्यकर्ता की नौकरी को सुरक्षित और सतत बनाए रखने की क्षमता को बढ़ाता है और कार्य में प्रगति एवं बदलाव में भी सहायक है। कौशल व्यापक रूप से शिक्षा और प्रशिक्षण, बुनियादी व वहनीय उच्च–स्तरीय कौशल, टीमवर्क, समस्या को हल करने की क्षमता, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, भाषा कौशल सहित, व्यक्तियों को रोजगार योग्य तैयार करने में सहायक होते हैं। कौशल का यह संयोजन लोगों को कार्यक्षेत्र में बदलाव के लिए अनुकूल बनने में सक्षम बनाता है।"

इसी क्रम में औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में अपेक्षित कौशल के प्रकार को आरेख–1 के माध्यम से समझा जा सकता है। ये विभिन्न प्रकार के कौशल औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं में श्रमिकों की कार्यक्षमता, दक्षता, उत्पादकता एवं कार्य विशेषता में मूल्य संवर्धन का कार्य करते हैं।

भारत में कौशल विकास की आवश्यकता

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार भारत एक ऐसा देश है जहां 65 प्रतिशत युवा कामकाजी आयु वर्ग में हैं। अतः इस जनसांख्यिकीय लाभ को बेहतर कौशल, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित करना चाहिए जिससे न केवल वे अपना व्यक्तिगत विकास कर सकें अपितु वे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दें सकें। भारत जैसे विकासशील देश के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास एवं मानव संसाधन विकास की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है;

- विभिन्न क्षेत्रों में परंपरागत रूप से प्रचलित कौशल का पता लगाना तथा उनका प्रमाणन;
- बाजार की मांग के अनुरूप नए रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता सृजन हेतु विशेष क्षेत्रों में संभावित अवसरों की पहचान कर अनुसंधान, शिक्षण व प्रशिक्षण द्वारा लोगों के सामान्य जीवन में गुणवत्ता लाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं उपभोग को प्रोत्साहन;
- आकांक्षी ग्रामीण भारत में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण के माध्यम से कुशल मानव संसाधनों की मांग एवं आपूर्ति सुनिश्चित करना;
- ग्रामीण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अकुशल से लेकर कुशल श्रमिकों को न केवल देश अपितु विदेशों में भी रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनकी सेवाओं का निर्यात करने पर बल;
- ग्रामीण भारत के लोगों विशेषकर युवाओं यानी जनसांख्यिकीय लाभांश को कौशल शिक्षा व प्रशिक्षण द्वारा रचनात्मक, सृजनात्मक एवं सकारात्मक गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित कर उन्हें सही दिशा प्रदान कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने हेतु प्रेरित करना;
- कौशल शिक्षा व प्रशिक्षण द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में मूल्य संवर्धन से राष्ट्र के सतत, समावेशी एवं सर्वागीण विकास में कुशल मानव संसाधनों की भूमिका;
- ग्रामीण भारत के लोगों विशेषकर युवाओं में कौशल शिक्षा व प्रशिक्षण द्वारा प्रबंधन, नेतृत्व, निर्णय लेने की क्षमता, टीमवर्क, समस्याओं का समाधान, व्यावहारिक ज्ञान एवं कार्य करने की

क्षमता आदि का विकास करना;

- मानव निर्मित एवं प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन द्वारा मानव विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान।

ग्रामीण भारत में कौशल विकास में प्रमुख चुनौतियां

आज का आधुनिक एवं आकांक्षी ग्रामीण भारत शिक्षा के क्षेत्र में जहां एक ओर निरंतर शिक्षित नागरिकों व मूलभूत अधोसंरचनाओं से परिपूर्ण होता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की चुनौतियों से भी जूझ रहा है जिनके अंतर्गत अपर्याप्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षण पाठ्यक्रमों में समयानुसार आवश्यक बदलाव, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व कुशल शिक्षकों का अभाव, शिक्षा के निजीकरण फलस्वरूप विद्यार्थियों के शिक्षण परिणामों (लर्निंग आउटकम्स) में भौगोलिक विषमता तथा शिक्षा–उपरांत रोजगार के अभाव से शिक्षा के प्रति विमुखीकरण इत्यादि प्रमुख कारक हैं। सरकारी थिंक–टैंक नीति आयोग ने भी हाल ही में प्रकाशित, 'स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स' के माध्यम से देशभर में स्कूली शिक्षा में राज्यों के प्रदर्शन में भारी असमानता को बताया है।

भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2017–18 के अनुसार भारत में कौशलीकरण एवं उद्यमशीलता के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियां बाधक रही हैं:

- असत्य एवं भ्रामक अवधारणा कि कौशलीकरण समाज के अप्रगतिवान एवं शिक्षा के लाभ से वंचित लोगों हेतु है;
- औपचारिक शिक्षा प्रणाली में उद्यमशीलता को शामिल नहीं करना है;
- नवीन उद्योगों एवं व्यवसायों के कुशल संचालन हेतु अपर्याप्त वित्तीय पहुंच एवं मार्गदर्शन की कमी;
- कौशल विकास, उच्च शिक्षा कार्यक्रम व व्यावसायिक शिक्षा के मध्य सीमित गतिशीलता;
- कुल कार्यशील श्रमबल जनसंख्या में महिलाओं की घटती भागीदारी दर;
- प्रशिक्षकों की कमी के साथ–साथ अपर्याप्त तथा प्रभावशाली मूल्यांकन व प्रमाणन प्रणाली;
- संकीर्ण और प्रायः अप्रचलित कौशल पाठ्यक्रम;

इन सभी के अलावा; ग्रामीण भारत में शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण को लेकर विभिन्न प्रकार की चुनौतियां जैसे अपर्याप्त अधोसंरचना, कुशल प्रशिक्षकों का अभाव, प्रशिक्षण–उपरांत नियमित रूप से व्यावसायिक रोजगार के अवसर एवं ग्रामीण युवाओं की सामाजिक अभिवृत्तियों को व्यापक रूप से देखा जा सकता है।

अतः विगत दशकों के दौरान ग्रामीण भारत में लोगों, खासकर युवाओं को कौशल शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सभ्य एवं सम्माननीय आजीविका प्रदान करने में ये चुनौतियां बाधक रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्ययनानुसार भारत जैसे विकासशील देशों में कुशल मानव संसाधनों की मांग व आपूर्ति निर्धारित करना एक प्रमुख चुनौती रही है (आईएलओ, 2013)।

ग्रामीण भारत में कौशल विकास द्वारा बेहतर आजीविका के अवसर

भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2017–22 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कुशल मानव संसाधनों की क्षेत्रवार आवश्यकताओं एवं अवसरों के अनुमान हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने विभिन्न हितधारकों से गहन परामर्श एवं अध्ययन के बाद 24 क्षेत्रों की पहचान की है जो ग्रामीण भारत में कौशल विकास के द्वारा रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता के अवसर सृजित करने में सहायक हो सकते हैं।

अतः इन 24 चिन्हित क्षेत्रों में कुशल, एवं प्रशिक्षित मानव संसाधनों हेतु रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता हेतु विभिन्न प्रकार के अवसरों को देखा जा सकता है। चूंकि इन 24 चिन्हित क्षेत्रों में अधिकांशतः श्रम–आधारित होने के कारण कौशल शिक्षा एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता को भली–भांति समझा जा सकता है। संसद (लोकसभा) में कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री ने 24 जून, 2019 को अतारांकित प्रश्न 344 के जवाब में बताया कि चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद के एक आकलन के अनुसार केवल चमड़ा उद्योग में ही देशभर में प्रति वर्ष लगभग 1,07,000 कुशल कार्मिकों की मांग है। इस मांग को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 (2016–2020) के माध्यम से सफल क्रियान्वयन से पूरा किया जा रहा है।

वहीं दूसरी ओर, विगत 2–3 दशकों के दौरान आंतरिक पलायन का अध्ययन करने पर यह साफ़तौर पर देखा जा सकता है कि रोजगार और बेहतर जीवनशैली की खोज में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास और प्रशिक्षण द्वारा रोजगार, स्वरोजगार के साथ–साथ उद्यमिता को प्रोत्साहित करके विगत कुछ वर्षों से करने का प्रयास किया जा रहा है।

तालिका–2 के माध्यम से भारत के 5 प्रमुख राज्य जहां

तालिका–2: वर्ष 2022 तक 5 प्रमुख राज्यों में अनुमानित वर्धित मानव संसाधनों की आवश्यकता

क्र. सं.	राज्य	2013–22 के दौरान अनुमानित वर्धित मानव संसाधनों की आवश्यकता	
		करोड़ में	राष्ट्रीय–स्तर की तुलना में राज्य का प्रतिशत
1	महाराष्ट्र	1.55	12.88
2	सिक्किम	1.48	12.30
3	तमिलनाडु	1.35	11.22
4	उत्तर प्रदेश	1.11	9.23
5	आंध्र प्रदेश	1.09	9.06
	राष्ट्रीय–स्तर पर कुल	12.03	54.70

स्रोतः NSDC, वार्षिक प्रतिवेदन 2017–18, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार एवं लेखक का विश्लेषण

आरेख–2: भारत में कौशल विकास हेतु नीतिगत एवं संस्थागत प्रयास

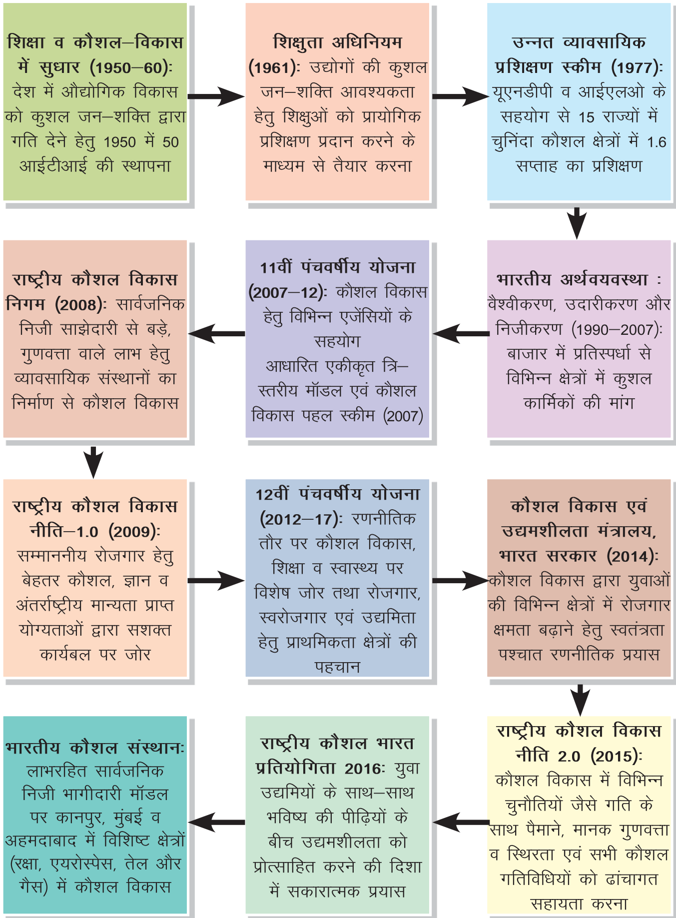

स्रोत: लेखक द्वारा विश्लेषण, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, योजना आयोग, भारत सरकार

एक करोड़ से अधिक वर्धित मानव संसाधनों की आवश्यकता वर्ष 2013 से 2022 के दौरान अनुमानित है, को देखा जा सकता है। साथ ही, इन 5 राज्यों में विभिन्न कौशल–आधारित चिन्हित क्षेत्रों में राष्ट्रीय–स्तर पर लगभग 56 प्रतिशत मानव संसाधनों की आवश्यकता को साफतौर पर देखा जा सकता है।

वहीं दूसरी ओर उद्यमों की उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने और श्रमिकों की रोजगार क्षमता बेहतर करने के लिए कौशल विकास नितांत आवश्यक है।

भारत में कौशल विकास हेतु नीतिगत एवं संस्थागत प्रयास

स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में शिक्षा एवं कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया तथा विभिन्न औद्योगिक संगठनों में कुशल कार्मिकों की मांग की आपूर्ति करने हेतु देशभर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं की शुरुआत की गई। वहीं 1990 के दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को जन्म देकर विभिन्न क्षेत्रों में कुशल कार्मिकों की मांग के लिए रास्ते खोले। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के दौरान देश में कौशल विकास हेतु विशेष ध्यान देने की शुरुआत हुई। इसी दौरान ग्रामीण भारत में लोगों के कौशल विकास हेतु विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से त्रि–स्तरीय एकीकृत मॉडल अपनाया गया। भारत में कौशल विकास हेतु नीतिगत एवं संस्थागत प्रयासों को आरेख–2 के माध्यम से समझा जा सकता है।

वहीं दूसरी ओर, कौशल विकास पर मुख्यमंत्रियों के उपसमूह के प्रतिवेदन 2015 के अनुसार कौशल विकास के प्रशिक्षण संस्थानों जैसे आईटीआई में क्षमता से कम उपयोग, प्रशिक्षकों की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं हैं। नीतिगत और संस्थागत प्रयासों के बावजूद कौशल, शिक्षा और प्रशिक्षण युवाओं को महत्वाकांक्षी बनाने में उतने सफल नहीं रहे।

भारतीय शिक्षा प्रणाली को रोजगारपरक या आजीविका उन्मुखी बनाने हेतु सुधारात्मक प्रयास

भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रुप से कौशल और शिक्षा को एकीकृत करने की दिशा में पहल की है। इसके अंतर्गत चयनित माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक (वोकेशनल) शिक्षा छात्रों को प्रदान की जा रही है। इस पहल के अंतर्गत देश भर में 9623 स्कूलों में माध्यमिक शिक्षा–स्तर से व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा से एकीकृत करने के माध्यम से सुधारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत में भी जर्मनी की शिक्षा प्रणाली की भांति यह प्रयास किया जा रहा है कि सामान्य शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण से जोड़ा जा सके जिससे ग्रामीण भारत के युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता हेतु विकसित व बेहतर रूप से प्रोत्साहित किया जा सके। साथ ही, क्रेडिट ट्रांसफर प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा आईटीआई के छात्रों–छात्राओं को 10वीं व 12वीं कक्षाओं के समतुल्य शैक्षणिक समानता प्रदान की जा रही है ताकि तकनीकी पाठ्यक्रमों के प्रति उनका रुझान बना रहे और वे कुशल व्यक्ति बनकर देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सकें।

वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को रोजगारपरक बनाने हेतु कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को तीन योजनाओं; सामुदायिक (कम्युनिटी) कॉलेज, बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स और दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र को विभिन्न विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शुरुआत करने हेतु सहायता प्रदान कर रहा है।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मिलकर राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना के अंतर्गत बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स का पुनर्गठन किया है जिससे सामान्य स्नातकों को शिक्षा व प्रशिक्षण के दौरान पेशेवर अनुभव मिल सके तथा वे रोजगार योग्य बन सकें।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप संवर्धन योजना के माध्यम से सामान्य स्नातकों को उद्योग में अप्रेंटिसशिप का अवसर उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप एवं कौशल (श्रेयस) योजना की शुरुआत की है जो मुख्य तौर पर गैर–तकनीकी स्नात्तक छात्रों/छात्राओं हेतु एक कार्यक्रम है।

ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (1.0) वर्ष 2015–16 में युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण लेकर बेहतर रोजगार योग्य बनाने की दिशा में पहला कदम था। इसके बाद यह योजना (2.0) वृहद रूप से दूसरी बार 2016–20 के मध्य एक करोड़ युवाओं को निःशुल्क 2 से 6 महीने तक प्रशिक्षण प्रदान कर कुशल बनाने की दिशा में बेहतर प्रयास है। वर्ष 2018 के बाद से, एक नई पहल के रूप में, पीएमकेवीवाई (2.0) के तहत प्रमाणित प्रत्येक उम्मीदवार को 2 लाख तक की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा राशि के तहत कवर किया जाता है, जो दो साल तक वैध है। इस बीमा की लागत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कवर की जा रही है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनाः 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवाओं को समर्पित यह योजना सरकार के सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज और स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया अभियानों से संबंधित है। यह योजना 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 669 जिलों के 7,294 से अधिक ब्लॉक के युवाओं को प्रभावित करती है। 11 जुलाई, 2019 तक लगभग 7.9 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है जिनमें 3.6 लाख से अधिक उम्मीदवारों को नौकरियां प्राप्त हुई हैं। अतः ग्रामीण युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर श्रमशक्ति बाजार के अनुरूप तैयार करने की प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल विकास की यह सशक्तीकरण योजना है।

आरेख–3: भारत में कौशल विकास हेतु दृष्टिकोण

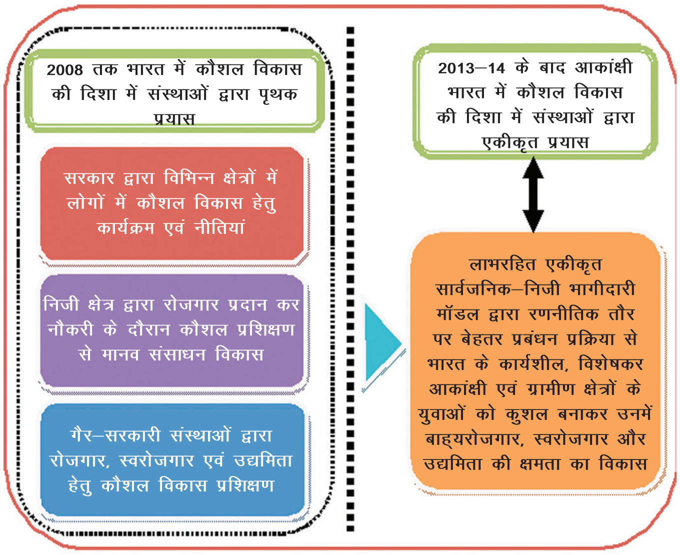

स्रोतः लेखक द्वारा विश्लेषण

उड़ानः उड़ान जम्मू–कश्मीर राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चलाई जा रही अनूठी पहल है।

औद्योगिक क्रांति 4.0, कौशल विकास एवं भारत में मानव संसाधन प्रबंधन

संसद (लोकसभा) में कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री ने 22 जुलाई, 2019 को अतारांकित प्रश्न 4789 के जवाब में बताया कि प्रशिक्षण महानिदेशालय और नैसकॉम ने उच्च तकनीकी क्षेत्रों में युवाओं को उद्योग 4.0 के मद्देनजर शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के माध्यम से इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (स्मार्ट कृषि, स्वास्थ्य सुविधा, सिटी, स्मार्टफोन तकनीशियन–सह–एप–टेस्टर इत्यादि में) प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु समझौता किया है। इस योजना की शुरुआत अगस्त 2018 से की गई है जिसके अंतर्गत देश के 19 राज्यों में युवाओं को उच्च तकनीकी क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

भारत के विभिन्न राज्य अपने ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं को, उनके कौशल विकास द्वारा विकसित कर मानवशक्ति के रूप में सकारात्मक योगदान हेतु नीतिगत पहल करते रहे हैं। उदाहरणस्वरूप मिज़ोरम ने कौशल एवं उद्यमिता विकास नीति 2018, झारखंड ने कौशल विकास नीति 2018, हिमाचल प्रदेश ने हिम कौशल 2016 तथा कर्नाटक ने भी कौशल विकास नीति 2016 के माध्यम से राज्य की कौशल विकास हेतु प्रतिबद्धता दिखाई है।

वहीं दूसरी ओर, कौशल विकास के द्वारा बेहतर मानव प्रबंधन की दिशा में ब्राज़ील और रूस की भांति कौशल विकास द्वारा मानव संसाधनों को विकसित कर उन्हें राष्ट्र के सर्वांगीण विकास, विशेषकर आर्थिक और सामाजिक विकास में अपनी सहभागिता देने हेतु भारत भी निजी क्षेत्र के सहयोग से लाभरहित सार्वजनिक–निजी भागीदारी मॉडल के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से प्रयासरत है।

निष्कर्ष : शिक्षा एवं कौशल विकास से संबंधित उपरोक्त उल्लेखित सभी पहलुओं के मद्देनजर यह समझा जा सकता है कि आधुनिक आकांक्षी ग्रामीण भारत अपनी विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करने की दिशा में अग्रसर है जिससे भारत 2030 तक सतत विकास के प्रमुख लक्ष्यों जैसे गरीबी, भुखमरी व लैंगिक असमानता हटाने के साथ–साथ समावेशी सामाजिक–आर्थिक विकास, प्राप्त कर सके। अतः ग्रामीण भारत का सर्वांगीण विकास, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण व रोजगारपरक शिक्षा एवं कौशल विकास प्रदान करने के माध्यम से हो सकेगा तभी सशक्त भारत दुनिया में कौशल की राजधानी बन पाएगा।

(लेखक बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में सहायक प्रोफेसर हैं।)

ई–मेल : nileshtiwariprsu@gmail.com

राष्ट्रीय एकता दिवस

सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार

भारत की एकता और अखंडता में योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार

भारत सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर भारत की एकता और अखंडता के क्षेत्र में योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शुरू किया है। गृह मंत्रालय द्वारा सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार शुरू करने की अधिसूचना दिनांक 20 सितंबर, 2019 को जारी की गई थी।

इस पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और एक मजबूत और अखंड भारत के मूल्य को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय और प्रेरक योगदान के लिए सम्मानित करना है। इस पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रीय एकता दिवस, अर्थात 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर की जानी है।

यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत एक सनद के तौर पर प्रदान किया जाएगा जोकि राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह के साथ आयोजित होने वाले एक पुरस्कार समारोह में दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री द्वारा एक पुरस्कार समिति का गठन किया गया है। जिसमें सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, गृह सचिव और प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए तीन–चार प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे।

पुरस्कार में एक पदक और एक प्रशस्ति–पत्र होगा। इस पुरस्कार के साथ कोई भी मौद्रिक अनुदान या नकद पुरस्कार संबद्ध नहीं होगा। एक वर्ष में तीन से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। यह अति–असाधारण और अत्यधिक सुयोग्य मामलों को छोड़कर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाएगा।

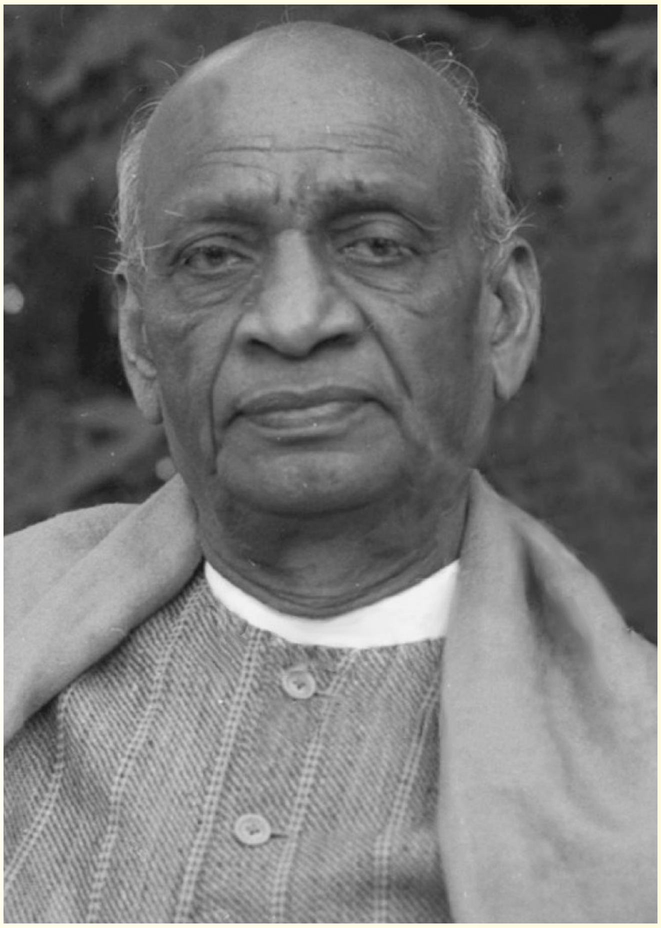

अग्रभाग पृष्ठ भाग

नामांकन प्रति वर्ष आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदनों को गृह मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से डिज़ाइन की गई वेबसाइट www.nationalunityawards.mha.gov.in पर ऑनलाइन फाइल करना आवश्यक होगा। धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान, आयु या व्यवसाय के भेदभाव के बिना भारत का कोई भी नागरिक, संस्था या संगठन इस पुरस्कार के लिए पात्र होगा।

भारत में स्थित कोई भी भारतीय नागरिक या संस्था या संगठन इस पुरस्कार के लिए विचारार्थ किसी भी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। व्यक्ति स्वयं को भी नामांकित कर सकते हैं। राज्य सरकारें, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और भारत सरकार के मंत्रालय भी नामांकन भेज सकते हैं। ❑

ग्रामीण शिक्षा के लिए चाहिए सामाजिक क्रांति

–प्रमोद जोशी

पिछले एक दशक में गांव–गांव में स्कूल खोलने और मिड–डे मील की व्यवस्था के कारण स्कूलों तक बच्चों की पहुंच बेहतर हुई है, पर देखा गया है कि कई जगह बेहद छोटे स्कूल खुल गए हैं। कुछ स्कूलों में केवल छह से आठ बच्चों के नाम ही लिखे हैं। नई नीति में सुझाव दिया गया है कि छोटे–छोटे स्कूलों के स्थान पर किसी एक जगह पर अपेक्षाकृत बड़ा स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाएं। इसे देखते हुए कुछ राज्यों में स्कूलों के विलय का काम भी शुरू हुआ है। पर इससे दूरी बढ़ने से बहुत से बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल भी हुआ है।

गांव और गरीबी का सीधा रिश्ता है। बड़ी संख्या में लोग गांवों में इसलिए रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वहां सड़कें नहीं हैं, अस्पताल नहीं हैं और स्कूल नहीं हैं; जो व्यक्ति को समर्थ बनाने में मददगार होते हैं। इस साधनहीनता का प्रतिफल है कि तमाम ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे जो बेहतरीन डॉक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक या खिलाड़ी बन सकते थे, पीछे रह जाते हैं। न वे शिक्षा के महत्व को जानते हैं और न उनके माता–पिता।

शिक्षा की गुणवत्ता पर बात करने के पहले उस सामाजिक समझ पर बात करनी चाहिए, जो शिक्षा के महत्व को समझती हो। इसके बाद पाठ्यक्रम, शिक्षकों के स्तर और उपलब्ध साधनों और उपकरणों से जुड़े सवाल पैदा होते हैं। हमारा लक्ष्य सन् 2030 तक 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन मॉनीटरिंग रिपोर्ट में 2016 में कहा गया था कि वर्तमान गति से चलते हुए भारत में सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा लक्ष्य 2050 तक ही हासिल हो सकेंगे। रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा में भारत 50 साल पीछे चल रहा है। बेशक हमने पिछले कुछ वर्षों में अपने प्रयास बढ़ाए हैं, पर अपने लक्ष्यों को देखें, तो इनमें तेजी लाने की जरूरत है।

प्राथमिक शिक्षा की दशा

ग्रामीण शिक्षा का पहला आशय प्राथमिक शिक्षा है। उच्चतर शिक्षा के ज्यादातर केंद्र शहरों में हैं। वास्तव में ऐसे केंद्र गांवों में भी होने चाहिए, पर कम से कम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। इस सदी के शुरू होते समय यानी 2001 में 18 साल से कम उम्र के ग्रामीण बच्चों में केवल 25 फीसदी ही स्कूलों में पढ़ने जा रहे थे। शेष 75 फीसदी में से काफी को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला और मिला भी तो उन्होंने कुछ समय बाद स्कूल जाना बंद कर दिया।

पिछले दो दशक में देश का ध्यान इस दिशा में गया है। सन् 2016 में यह प्रतिशत 25 से बढ़कर 70 हो गया। पर केवल स्कूल जाने और स्कूलों के भवन बनाने से काम पूरा नहीं होता है। जरूरत शिक्षा की गुणवत्ता की है। पहला सवाल संसाधनों का है। यह विषय समवर्ती सूची में होने के कारण देशभर के सालाना बजटों में शिक्षा की स्थिति का अनुमान लगाना मुश्किल होता है, पर केवल केंद्र के बजट पर नजर डालने से एक झलक मिलती है।

इस साल केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की रूपरेखा पेश की थी, इसलिए उम्मीद थी कि शिक्षा पर परिव्यय में वृद्धि होगी, पर ऐसा हुआ नहीं। अंतरिम बजट और उसके बाद जुलाई में पेश पूर्ण बजट में मामूली अंतर है। नई शिक्षा नीति में जिस राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन का सुझाव दिया गया है, उसकी स्थापना का फैसला सरकार ने किया है। सरकार का रुझान अब भी प्राथमिक शिक्षा के बजाय उच्च शिक्षा पर है। स्वाभाविक रूप से इससे ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

हमारी प्राथमिकताएं

आज़ादी के बाद शुरुआती दशकों में चीन और भारत की यात्राएं समांतर चलीं, पर बुनियादी मानव विकास में चीन हमें पीछे छोड़ता चला गया; बावजूद इसके कि आर्थिक विकास की हमारी गति बेहतर थी। सन् 2011 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन से डॉक्टरेट की मानद उपाधि ग्रहण करते हुए अमर्त्य सेन ने कहा था कि भारत समय से प्राथमिक शिक्षा पर निवेश न कर पाने की कीमत आज अदा कर रहा है। हमने तकनीकी शिक्षा के महत्व को पहचाना जिसके कारण आईआईटी जैसे शिक्षा संस्थान खड़े हुए, पर प्राइमरी शिक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण निराशाजनक रहा।

शिक्षा नीति प्रारूप 2019 में अगले दस साल में शिक्षा पर सार्वजनिक परिव्यय दुगुना करने का सुझाव दिया गया है, पर कोई बड़ा कदम नज़र नहीं आया है। केंद्र ने 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2020 के लिए नई एकीकृत शिक्षा योजना बनाई है। इस समग्र शिक्षा अभियान में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षण अभियान समाहित हैं। बजट पर नज़र डालने से लगता है कि पुराने कार्यक्रमों का विलय कर दिया गया है; संसाधन नहीं बढ़े हैं।

गांवों में प्राथमिक शिक्षा का बुनियादी ढांचा ही ठीक से नहीं बना है। गुणवत्ता के सवाल इसके बाद आते हैं। विडंबना है कि स्वतंत्रता के 72 साल बाद भी हम अपनी शिक्षा की बुनियादी जरूरतों, पाठ्यक्रम और सामाजिक–सांस्कृतिक जीवन से जुड़े मूल्यों पर विचार कर रहे हैं। सन् 2010 में जाकर हम शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित कर पाए और आज भी नागरिकों तक इस अधिकार को पहुंचाने में हमें संघर्ष करना पड़ रहा है।

शिक्षा–केंद्रित भारतीय एनजीओ 'प्रथम' की सालाना रिपोर्टों 'असर' से पता लगता है कि शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) लागू होने के बाद स्कूलों की संख्या और उनमें दाखिले में भारी बढ़ोतरी हुई है, पर पढ़ाई–लिखाई की गुणवत्ता गिरी है। सर्वे के अनुसार सरकारी स्कूलों पर आम जनता का विश्वास घट रहा है। आरटीई का सकारात्मक असर है कि 6–14 आयु वर्ग के बच्चों के स्कूल में दाखिले में भारी वृद्धि हुई है, पर बच्चे स्कूलों में साधारण कौशल भी नहीं सीख पा रहे हैं।

असर रिपोर्ट 2018 के अनुसार, कक्षा आठ के बच्चों में से, लगभग 73 प्रतिशत बच्चे ही कम से कम कक्षा दो के स्तर के पाठ पढ़ सकते हैं। बड़ी संख्या में बच्चों की पहली पीढ़ी हैं यानी उनके परिवारों में इससे पहले कोई पढ़ने नहीं गया। इसलिए वहां शिक्षा का माहौल बनाने और शिक्षित होने के लाभों को समझने–समझाने की जरूरत भी है। यह काम कैसे होगा? इसके लिए गांवों और कस्बों से ऐसे रोल मॉडल खोजे जाने चाहिए जो केवल शिक्षा के सहारे आगे बढ़ने में कामयाब हुए। साथ ही, हमें शिक्षा से जुड़ी गांधी की बुनियादी तालीम की अवधारणा पर भी गौर करना चाहिए।

गांधी जी की बुनियादी शिक्षा

अंग्रेजी शिक्षा के गैर–भारतीय और मशीनी स्वरूप को लेकर महात्मा गांधी के मन में गहरी पीड़ा थी। उन्होंने 1 सितंबर, 1921 के 'यंग इंडिया' में लिखा, 'अन्य देशों के बारे में कुछ भी सही हो, कम–से–कम भारत में तो जहां अस्सी फीसदी आबादी खेती करने वाली है और दूसरी दस फीसदी उद्योगों में काम करने वाली है, शिक्षा को केवल साहित्यिक बना देने तथा लड़कों और लड़कियों को उत्तर जीवन में हाथ के काम के लिए अयोग्य बना देना गुनाह है। क्यों एक किसान का बेटा किसी स्कूल में जाने के बाद खेती के मजदूर के रूप में निकम्मा बन जाए। हमारी पाठशालाओं के लड़के शारीरिक श्रम को तिरस्कार की दृष्टि से चाहे न देखते हों, पर नापसंदगी की नजर से तो जरूर देखते हैं।'

बुनियादी तालीम का उनका विचार इस मनोदशा को तोड़ने वाला है। 'बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य दस्तकारी के माध्यम से बालकों का शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास करना है। मैं मानता हूं कि कोई भी पद्धति, जो शैक्षणिक दृष्टि से सही हो और जो अच्छी तरह चलाई जाए, आर्थिक दृष्टि से भी उपयुक्त सिद्ध होगी।' 22–23 अक्तूबर 1937 को वर्धा में 'अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन' हुआ, जिसकी अध्यक्षता गांधीजी ने की। गांधी इस बुनियादी शिक्षा पर ही उच्च शिक्षा का भवन खड़ा करना चाहते थे।

स्वातंत्र्योत्तर शिक्षा

स्वतंत्रता के बाद से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जो कोशिशे हुईं हैं, उनमें कई तरह के आयोग, नीतियां और समितियां शामिल हैं। पर सच यह है कि हमने प्राथमिक और खासतौर से ग्रामीण बच्चों की शिक्षा पर देर से ध्यान दिया। सन् 1948–49 में हमने पहले विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए राधाकृष्ण आयोग का गठन किया और इसके बाद 1951 में प्राइमरी शिक्षा पर बीजी खेर समिति बनाई, जिसकी सिफारिशें 1952–53 के मुदलियार आयोग का हिस्सा बनीं।

इन सब आयोगों और समितियों के सहारे हम सन् 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित करने में कामयाब हुए। इस नीति में विज्ञान और तकनीक को शिक्षा का बुनियादी आधार बनाने का लक्ष्य था। इसके बाद 1986 में फिर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। इसमें 1992 में सुधार किया गया। उसके बाद

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा–2005 बनी, जिसने स्कूली शिक्षा के व्यापक स्वरूप की बुनियाद डाली।

हाल में जारी शिक्षा नीति 2019 के प्रारूप में इस बात को रेखांकित किया गया है, 'कि हम बड़े पैमाने पर सबके लिए शिक्षा की पहुंच बनाने में व्यस्त रहे हैं, और दुर्भाग्य से शिक्षा की गुणवत्ता पर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया।' सन् 1986/92 की नई शिक्षा नीति दुनिया में इंटरनेट क्रांति के पहले बनी थी। इसलिए भी हमें नई शिक्षा नीति की जरूरत है। पिछले दशक में ही हमने अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को अप्रैल 2010 में लागू करके प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया।

नई शिक्षा नीति के प्रारूप में इस दायरे को दोनों तरफ बढ़ाने का सुझाव है। इसमें तीन वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को शामिल करने का सुझाव है। साथ ही मध्याह्न भोजन व्यवस्था का दायरा बढ़ाने का सुझाव भी है। प्रस्तावित नीति में छात्रों के पाठ्यक्रम से लेकर शिक्षकों के प्रशिक्षण तक के सुझाव हैं, पर सवाल इन सुझावों की व्यावहारिकता का है। शिक्षा की गुणवत्ता न केवल आर्थिक विकास में तेजी लाएगी, बल्कि सामाजिक–सांस्कृतिक विकास की राहों को भी खोलेगी। सामाजिक न्याय और समानता हासिल करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है शिक्षा। पिछले तीन दशकों में भारतीय शिक्षा व्यवस्था ने स्कूली शिक्षा के स्तर पर लैंगिक और सामाजिक वर्गों के बीच गैर–बराबरी को दूर करने की कोशिश की है, फिर भी अल्प–प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए बड़ी असमानताएं आज भी मौजूद हैं।

शिक्षा की मांग

इस साल अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए मनोनीत अभिजीत बनर्जी और एस्थर ड्यूफ्लो ने अपनी पुस्तक 'पुअर इकोनॉमिक्स' में गरीब देशों के संदर्भ में लिखा है कि स्कूल उपलब्ध हैं। ज्यादातर देशों में वे निःशुल्क हैं, कम से कम प्राइमरी स्तर तक तो हैं। अधिकतर बच्चों के नाम स्कूलों में लिखे हैं। फिर भी दुनिया के कई देशों में हमने जो सर्वे किए, उनमें यह बात सामने आई कि बच्चों की अनुपस्थिति–दर 14 से 50 फीसदी है। अक्सर इस अनुपस्थिति की वजह यह नहीं होती कि घर में उनकी जरूरत थी। बड़ी वजह है बच्चों की स्कूल से अनिच्छा। यह बात सार्वभौमिक है। "शिक्षा की गहरी मांग नहीं है तो स्कूलों को बनाना और अध्यापकों को नियुक्त करना निरर्थक है।"

यदि कौशल (स्किल) की वास्तविक मांग होगी तो शिक्षा की मांग खुद–ब–खुद बढ़ेगी और सप्लाई शुरू हो जाएगी। हमें बच्चों को क्लासरूम तक लाने और सुप्रशिक्षित अध्यापक से पढ़ाने का रास्ता खोजना चाहिए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के प्रारूप में बच्चों को स्कूल तक लाने और उन्हें रोके रखने के लिए कई प्रकार के सुझाव दिए गए हैं। मसलन अल्प–प्रतिनिधित्व वाले समूहों के मेधावी बच्चों को रोल मॉडल के रूप में बढ़ावा देने और उन्हें ट्यूटर के रूप में बढ़ावा देने के सुझाव हैं। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के साथ–साथ आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए सुबह के नाश्ते की व्यवस्था भी करना।

नई शिक्षा नीति के प्रारूप में शिक्षा के हर क्षेत्र में सुधार के सुझाव हैं। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था पर जोर है, परीक्षा प्रणाली को सुधारने का सुझाव है और शिक्षा के लिए नियामक ढांचे को खड़ा करने की सिफारिश भी है; राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को गठित करने का सुझाव है; शिक्षा पर जीडीपी के 6 फीसदी सार्वजनिक साधन खर्च का सुझाव भी है। इसके पहले बनी शिक्षा नीतियों में भी यह सुझाव दिया गया, पर हालत यह है कि सन् 2017–18 में शिक्षा पर सरकारी व्यय जीडीपी का 2.7 फीसदी ही हुआ था।

देश में करीब 86 लाख स्कूल अध्यापक और करीब 15 लाख उच्च शिक्षा से जुड़े प्राध्यापक हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत छात्र–शिक्षक अनुपात और विद्यालय के भवन और शैक्षिक सामग्री को लेकर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस दौरान जो सर्वे आए हैं, उनसे पता लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 10 फीसदी स्कूल ही शर्तें पूरी करते हैं। अंशकालीन शिक्षकों को भी शामिल कर लें तब भी देशभर में 17 फीसदी से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं।

गांव–गांव में स्कूल

पिछले एक दशक में गांव–गांव में स्कूल खोलने और मिड–डे मील की व्यवस्था के कारण स्कूलों तक बच्चों की पहुंच बेहतर हुई है, पर देखा गया है कि कई जगह बेहद छोटे स्कूल खुल गए हैं। कुछ स्कूलों में केवल छह से आठ बच्चों के नाम ही लिखे हैं। नई नीति में सुझाव दिया गया है कि छोटे–छोटे स्कूलों के स्थान पर किसी एक जगह पर अपेक्षाकृत बड़ा स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाएं। पर इससे एक दूसरी समस्या खड़ी होती है। घर से दूर स्कूल होने पर परिवहन और छात्रावासों की जरूरत पैदा होती है। पर्वतीय, पूर्वोत्तर और जंगलों एवं नदियों से घिरे जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों, खासतौर से बालिकाओं को स्कूल तक लाना अपने आप में चुनौती है।

इसे देखते हुए कुछ राज्यों में स्कूलों के विलय का काम भी शुरू हुआ है। नीति आयोग ने भी इसकी सलाह दी है। हाल में झारखंड की रिपोर्ट थी कि राज्य में करीब दो दशक पहले खोले गए 4600 स्कूलों का विलय पास के बड़े स्कूलों में कर दिया गया है। राजस्थान में भी यह काम चल रहा है। सन 2017 में मानव संसाधन मंत्रालय ने राज्यों में छोटे विद्यालयों के अभिनवीकरण के लिए दिशा–निर्देश जारी किए थे। इन प्रयासों का उद्देश्य साधनों का बेहतर इस्तेमाल है, पर इससे बहुत से बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हुआ है, क्योंकि पहाड़ी और जंगली इलाकों में आठ–दस किलोमीटर दूर जाना मुश्किल काम है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय को गांव के दायरे में होना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)
ई–मेल : pjoshi123@gmail.com

ग्रामीण स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार जरूरी

–नितिन प्रधान

बीते एक दशक में स्कूली शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्कूलों तक लाने का रहा। लेकिन अब सरकार का ज़ोर उन्हें स्कूल में बनाए रखने से लेकर उनकी शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को ऊपर ले जाने पर है। फिर चाहे वो शहरी स्कूल हों या ग्रामीण स्कूली शिक्षा। सरकार का लक्ष्य न सिर्फ बच्चों को स्कूलों में लाने का है बल्कि उन्हें शिक्षित करने वाले अध्यापकों की गुणवत्ता पर भी नजर रखना है।

एक दशक से भी अधिक समय तक देश में स्कूली शिक्षा के लिए चली नीति को सरकार ने अब समग्रता में देखने का निश्चय किया है। पिछले वर्ष के बजट में सरकार ने पूरी स्कूली शिक्षा को समग्र शिक्षा नीति के तहत लाने का फैसला किया। बीते एक दशक में स्कूली शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्कूलों तक लाने का रहा। लेकिन अब सरकार का ज़ोर उन्हें स्कूल में बनाए रखने से लेकर उनकी शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर को ऊपर ले जाने पर है। फिर चाहे वो शहरी स्कूल हों या ग्रामीण स्कूली शिक्षा। सरकार का लक्ष्य न सिर्फ बच्चों को स्कूलों में लाने का है बल्कि उन्हें शिक्षित करने वाले अध्यापकों की गुणवत्ता पर भी नजर रखना है। स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार ने स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है जिसमें प्रत्येक स्कूल में लाइब्रेरी और खेल से संबंधित मूलभूत ढांचा तैयार किया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के प्रसार में मूल समस्या बच्चों को स्कूलों तक लाने की रही है। इसकी एक बड़ी वजह इन इलाकों में स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढांचे का अभाव रहा है। खासतौर पर लड़कियों के लिए इन स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का न होना उनकी स्कूल में अनुपस्थिति की मूल वजह रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा का कवरेज भी बेहद सीमित रहा है। स्कूलों की संख्या की साल 2008–09 की गणना के मुताबिक देश के 633 जिलों में ग्रामीण शिक्षा के संसाधन उपलब्ध थे। इन जिलों में ग्रामीण स्कूलों की संख्या 11,22,334 थी। इस संख्या में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। लेकिन अभी तक इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण इलाकों में स्कूली शिक्षा के बुनियादी ढांचे के निर्माण और उन तक बच्चों की पहुंच को लेकर यही एक समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त कई ऐसी समस्याएं हैं जो बच्चों की स्कूलों तक पहुंच मुश्किल बनाती हैं।

परिवहन की दिक्कत

ग्रामीण इलाकों में बच्चों के स्कूल तक पहुंचने की एक बड़ी वजह परिवहन जैसी बुनियादी सुविधा की समस्या रही है। कई इलाकों में एक प्राथमिक स्कूल आसपास के चार–पांच गांवों के बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराता है। ऐसे में अधिकांश बच्चों को दो से तीन किलोमीटर का सफर तय करके स्कूलों तक पहुंचना पड़ता है। केंद्र सरकार की ग्रामीण सड़क योजना ने गांवों को तो आपस में जोड़ने का काम किया है। लेकिन प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने आने वाले बच्चों के लिए परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था न होने या महंगी होने के चलते उनका स्कूलों तक पहुंचने का सपना पूरा नहीं हो पाता। हाल ही में आयी शिक्षा पर सालाना सर्वे की रिपोर्ट 'असर' के मुताबिक इस दिक्कत की वजह से अधिकांश माता–पिता चाहते हुए भी अपने बच्चों को प्राथमिक स्कूलों तक नहीं भेज पाते। चूंकि इन इलाकों में रहने वाले लोगों के संसाधन सीमित होते हैं और उनकी आमदनी भी। लिहाजा वे अपने बच्चों को घर पर ही रखने का विकल्प चुनते हैं।

कमजोर स्कूली इन्फ्रास्ट्रक्चर

ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा मुहैया कराने में एक बड़ी वजह स्कूलों के आधारभूत ढांचे का कमजोर होना है। शिक्षकों और खासतौर पर प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव इसकी एक बड़ी वजह है। इसकी वजह से शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात काफी अधिक रहता है। इसके चलते शिक्षा की गुणवत्ता काफी कमज़ोर रहती है। आंकड़ों के अनुसार देश के ग्रामीण इलाकों में 57 फीसदी

स्कूल ऐसे हैं जहां आवश्यक चार क्लासरूम से कम में चल रहे हैं। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां ऐसे स्कूलों की संख्या 70 फीसदी है। शिक्षकों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। केवल प्राथमिक स्कूलों का हाल देखें तो करीब 14 फीसदी स्कूलों में एक ही अध्यापक उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, पेयजल और शौचालयों का अभाव तो बच्चों को स्कूलों में आने से रोकता ही है। खासतौर पर माध्यमिक–स्तर पर शौचालयों का अभाव लड़कियों की स्कूली शिक्षा में बाधा की बड़ी वजह बनता है।

स्कूलों में खेलों के ढांचे में सुधार

ग्रामीण स्कूलों में खेलों की सुविधाओं पर 'प्रथम' की रिपोर्ट इसकी तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट कर देती है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर स्कूलों में खेल के मैदान की बात की जाए तो भारत के लगभग दो तिहाई से अधिक स्कूल परिसर में मौजूद हैं। यहां 88 प्रतिशत के साथ सिक्किम, 87 प्रतिशत के साथ महाराष्ट्र, 86 प्रतिशत के साथ त्रिपुरा, 84 प्रतिशत के साथ हरियाणा, 83 प्रतिशत के साथ हिमाचल प्रदेश, 82 प्रतिशत के साथ गुजरात और 81 प्रतिशत के साथ कर्नाटक शीर्ष राज्यों की श्रेणी में शामिल हैं। देश के कई हिस्सों में ऐसे स्कूल भी हैं, जहां परिसर के बाहर खेल के मैदान हैं। ओडिशा व झारखंड के लगभग एक तिहाई स्कूलों में खेल के मैदान स्कूल परिसर से बाहर हैं, जबकि ओडिशा के एक तिहाई और झारखंड के एक चौथाई स्कूलों के पास खेल के मैदान नहीं हैं। जम्मू–कश्मीर व बिहार के एक चौथाई से अधिक स्कूलों में यह सुविधा मौजूद नहीं है। स्कूलों में खेल उपकरणों की अगर बात करें, तो देश के लगभग दो तिहाई स्कूलों में इनकी उपलब्धता है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लगभग तीन चौथाई स्कूलों के पास ये उपकरण हैं, जबकि मेघालय (20 प्रतिशत), अरुणाचल प्रदेश (29 प्रतिशत), नगालैंड (43 प्रतिशत) और मणिपुर (49 प्रतिशत) के साथ पूर्वोत्तर राज्य इस मामले में निचले पायदान पर हैं। दो तिहाई स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के घंटे निर्धारित हैं। देश के कुल ग्रामीण स्कूलों में दो तिहाई के पास शारीरिक शिक्षा के घंटे के साथ ही उसके लिए समय–सारणी भी निर्धारित है। इन राज्यों में 93 प्रतिशत ग्रामीण स्कूलों के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर है, जबकि 82 प्रतिशत के साथ तमिलनाडु, 72 के साथ गुजरात, 83 के साथ केरल और 78 के साथ आंध्र प्रदेश शीर्ष राज्यों में शामिल हैं। यहां आश्चर्यजनक बात यह है कि खेलों को लेकर जागरूक राज्यों में शामिल मणिपुर, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश व मेघालय समेत पूर्वोत्तर के राज्य इस मामले में निचले पायदान पर हैं। ठीक इसी तरह, हरियाणा व पंजाब जैसे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों के केवल आधे ग्रामीण स्कूलों में ही शारीरिक शिक्षा के लिए समय–सारणी निर्धारित है। 10 में से दो स्कूलों में, जहां तक शारीरिक शिक्षकों की बात है, इस मामले में स्कूलों की स्थिति बेहद खराब है। महज 5.8 प्रतिशत प्राथमिक स्कूल व 30.8 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्कूलों में यह सुविधा उपलब्ध है। राज्यों की यदि बात की जाए तो यहां के प्रति 10 प्राथमिक स्कूलों में दो से भी कम में शारीरिक शिक्षा के लिए अलग से कोई शिक्षक नियुक्त हैं। इनमें से ज्यादातर स्कूलों में प्रायः किसी दूसरे विषय के शिक्षक ही शारीरिक शिक्षा का संचालन करते हैं। इस लिहाज से शीर्ष राज्यों में शामिल राजस्थान के 50 प्रतिशत स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के लिए अलग से शिक्षक हैं। इसके बाद केरल, बिहार व कर्नाटक का स्थान है, जहां एक तिहाई से अधिक स्कूलों में इस विषय के अलग से शिक्षक नियुक्त हैं। हरियाणा के 20 प्रतिशत व पंजाब के एक तिहाई स्कूलों में अलग से कोई शारीरिक शिक्षक नहीं हैं।

गुणवत्ता पर असर

ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के भौतिक ढांचे, सुविधाओं और उन तक बच्चों की पहुंच की दिक्कत स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है। 'असर' की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण स्कूलों में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाले 50 फीसदी बच्चे दूसरी कक्षा की पुस्तक पढ़ने में विफल रहे हैं। साथ ही वह गणित के बुनियादी सवालों का हल नहीं निकाल पाते। हालांकि सरकार के प्रयासों से अब इस स्थिति में धीरे–धीरे सुधार रहा है। बच्चों की शिक्षा पर काम कर रही स्वयंसेवी संस्था 'प्रथम' की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ सालों में कई सरकारों ने अपने–अपने तरीके से अलग–अलग प्रयास किए हैं। बिहार और झारखंड राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में कई तरह के प्रयोग किए गए हैं। लेकिन, जो प्रयास या प्रयोग रह गया है, जिसे करने की सख्त जरूरत है, 'असर' की रिपोर्ट उसी को रेखांकित करती है। 'असर' की रिपोर्ट इस नतीजे पर पहुंचती दिखती है कि हमारी शिक्षा की बुनियाद में ही कुछ कमी है। यानी पहली से लेकर दूसरी–तीसरी कक्षा तक बच्चों के आधार को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि इन तीन कक्षाओं के बच्चे अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरह से न सिर्फ पढ़–समझ सकें, बल्कि उसके बारे में किसी भी सवाल का जवाब दे सकें। यही वह नींव है, जिस पर देश में शिक्षा की बुनियाद टिकी हुई है।

केंद्र की मौजूदा सरकार ने इस स्थिति को समझा है। एक दशक तक पुरानी नीति पर चलने के बाद अब सरकार ने देश में स्कूली शिक्षा की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए समग्र शिक्षा की नीति अपनायी है। इसमें फंडिंग की व्यवस्था को बदल दिया गया है। फंडिंग का पैटर्न बदलकर अब राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे जरूरत के मुताबिक सुविधाओं पर खर्च कर सकें। अलग–अलग मद में पैसा आवंटन करने की बजाए स्कूली शिक्षा के लिए एक फंड की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए मिड–डे मील योजना को भी अधिक व्यापक बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने मिड–डे मील के सोशल ऑडिट का प्रावधान लागू किया है। हालांकि सोशल ऑडिट की यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया पर भी लागू किए जाने की आवश्यकता है। इससे स्कूलों के ढांचे को मज़बूत और दुरुस्त रखने में मदद मिलेगी।

(लेखक दैनिक जागरण समाचार–पत्र में राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख हैं।)
ई–मेल : pradhanitin@gmail.com

शिक्षा प्रबंधन में समुदाय की सहभागिता

–कमल नाथ झा

पिछले दो दशकों में भारत में शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी अधिकतर विधायी हस्तक्षेपों के माध्यम से ही संभव हो पायी है एवं संवैधानिक प्रावधानों और संबंधित दिशा–निर्देशों के माध्यम से लोगों को भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। संवैधानिक संशोधनों के बाद पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से शैक्षिक व्यवस्था को विकेंद्रीकृत करने के लिए राज्य सरकारों के द्वारा ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, शिक्षा का अधिकार कानून के तहत विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का भी गठन किया गया है जिसमें समुदाय एवं पंचायती राज संस्थाओं दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं।

बच्चों की शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में समुदाय की सहभागिता एक पूर्व शर्त है। शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी का विचार भारत में प्राचीनकाल से है। शुरुआती दिनों में भी गुरुकुल, पाठशाला, मदरसा एवं मकतब सामुदायिक संस्थाओं के रूप में उभरे। समाज ने उपलब्ध ज्ञान एवं कौशल का संचार इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से किया। हालांकि ब्रिटिश शासनकाल में शिक्षा की बढ़ती औपचारिकता एवं सरकार की बढ़ती केंद्रीयकृत भूमिका के बीच समुदाय एवं विद्यालय के बीच का जुड़ाव कमजोर पड़ता गया जो क्रमशः स्वतंत्रता प्राप्ति तक बढ़ता ही गया। स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा विचारकों एवं नीति निर्माताओं के लिए समुदाय को विद्यालय से जोड़ना एक महत्वपर्णू चुनौती रही है। राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियों में भी स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी की सिफारिश की गई है। शिक्षा नीति, 1986 ने विद्यालयों के संचालन में स्थानीय शहरी तथा ग्रामीण पंचायती निकायों एवं विद्यालय शिक्षा समिति की सहभागिता की वकालत की थी।

भारतीय संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के तहत गठित पंचायती राज संस्थाओं को विद्यालयों के प्रबंधन एवं नियंत्रण में स्थानीय–स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका दी गई। परंतु विभिन्न प्रयासों के बावजूद समुदाय की सक्रिय भूमिका प्राथमिक एवं प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों के प्रबंधन में नहीं के बराबर देखी गई। वास्तविक रूप में भारत में विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में समुदाय की भूमिका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) एवं सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के क्रियान्वयन के दौरान विकसित हुई। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में गठित ग्राम शिक्षा समिति (वीईसी) ग्राम–स्तर पर गठित एक सामुदायिक संगठन था जिसका कार्य गांव में प्राथमिक शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा की आवश्यकताओं का आकलन कर समस्याओं की पहचान करना था एवं उनके समाधान के लिए गांव के स्तर पर एक व्यावहारिक विकास योजना का निर्माण करना था। गांव का सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया में सबसे छोटी इकाई होने के कारण ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा ग्राम–स्तर पर शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए तैयार शैक्षिक योजना बहुत महत्वपूर्ण मानी गई। लेकिन इन प्रयासों के बावजूद आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूप से पिछड़े इलाकों तक शिक्षा पूर्णतः नहीं पहुंच पाई।

शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 इन्हीं वंचित वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार की पहल है। संविधान के 86वें संशाधेन के तहत अनुच्छेद 21 में 6–14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने को बच्चों के मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया। हालांकि शिक्षा का अधिकार कानून पारित करने में सात वर्षों का समय लगा एवं तत् संबंधित कानून 2009 में संसद के द्वारा पारित किया गया। कानून में इस बात पर बल दिया गया है कि समुदाय की सक्रिय भूमिका एवं सहयोग से ही 'सभी को शिक्षा' उपलब्ध कराने के संकल्प को हासिल किया जा सकता है। समुदाय शिक्षा से न सिर्फ जुड़े बल्कि अग्रणी भूमिका निभाएं, इसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति की संकल्पना की गई है। कानून के तहत विद्यालय एवं समुदाय के रिश्ते को पुर्न–परिभाषित करने का भी प्रयास किया गया है, एवं विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना को लोकतांत्रिक एवं समतामूलक बनाया गया है तथा इसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालय में अभिभावक–उन्मुख विद्यालय शिक्षा प्रबंधन का गठन अनिवार्य किया गया है। इसके अंतर्गत अधिनियम में राज्यों

द्वारा प्रत्येक प्रारंभिक सरकारी विद्यालयों में एक विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है जिसमें विद्यालय में नामांकित बच्चों के अभिभावक प्रतिनिधि, शिक्षक प्रतिनिधि, छात्र प्रतिनिधि, स्थानीय प्राधिकारों के चयनित प्रतिनिधि एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि को शामिल करने की सलाह अधिनियम की संबंधित धारा में दी गई है।

शिक्षा के अधिकार कानून के निर्देशों के अनुसार माता–पिता/अभिभावक राज्यों में गठित विद्यालय प्रबंधन समिति के तीन–चौथाई का हिस्सा बनते हैं। समावेश को सुनिश्चित करते हुए राज्यों ने महिलाओं एवं माताओं के लिए सीटें आरक्षित की हैं। बिहार में गठित विद्यालय शिक्षा समिति में सभी 9 अभिभावक माताएं ही हैं। समिति में हेडमास्टर/प्रधान शिक्षक एवं वरिष्ठ शिक्षकों का भी प्रतिनिधित्व है। कई राज्यों ने शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में महिला शिक्षिका को चुना है। सभी राज्यों के लिए हेडमास्टर/प्रधान शिक्षक विद्यालय प्रबंधन समिति के संयोजक होते हैं और अध्यक्ष/सचिव के साथ एक संयुक्त खाता का संचालन करते हैं। स्थानीय निकाय के वार्ड/पंचायत सदस्यों के लिए भी सीटें आवंटित हैं। बिहार में वार्ड सदस्य विद्यालय शिक्षा समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कई राज्यों ने स्थानीय शिक्षा अधिकारियों के लिए सीटें रखी हैं।

विभिन्न विभागों के बीच अभिसरण को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों ने अलग–अलग सीटों का आरक्षण किया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, असम, झारखंड के राज्यों ने आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय एसएचजी के लिए सीटें आरक्षित की हैं। उत्तर प्रदेश में लेखापाल (जिला–स्तर का लेखाकार जो मुख्य रूप से भूमि रिकार्ड और संबंधित राजस्व का प्रबंधन करते हैं) के लिए सीट का प्रावधान किया है। आंध्र प्रदेश, बिहार एवं ओडिशा में कला एवं सांस्कृतिक अध्ययन में कुशल स्थानीय लोगों के बीच प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान है। बिहार में स्थानीय समुदाय से विद्यालय के लिए ज़मीनदाता के लिए भी सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ राज्यों में छात्रों का प्रतिनिधित्व भी समिति में है। अन्य राज्यों में छात्र प्रतिनिधि का प्रावधान नहीं है। सामाजिक समावेशन का ध्यान रखते हुए सभी राज्यों ने महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के समुदायों के लिए संख्यात्मक सीटें आरक्षित की हैं।

विद्यालय प्रबंधन समिति को इस तरह सभी वर्गों को सम्मिलित कर यह संभावना व्यक्त की गई कि विद्यालय के सर्वांगीण विकास में समिति सक्रिय भूमिका निभाएगी।

समिति के सदस्यों को उनकी भूमिका एवं जिम्मेदारियों से अवगत कराने के लिए पहले सर्व शिक्षा अभियान एवं बाद में समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा नियमित प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता रहा है। विभिन्न प्राथमिक एवं सहायक आंकड़ों के आधार पर यह परिलक्षित होता है कि कई विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय प्रबंधन एवं गुणवत्ता सुधार में सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रही है। परंतु सामान्यतः यह पाया जा रहा है कि अधिकतर विद्यालयों में समिति का कार्य संतोषप्रद नहीं है। खासतौर से विद्यालयों में गुणवत्ता सुधार के लिए शिक्षकों के उत्तरदायित्व की मॉनीटरिंग के सवाल पर यह स्थिति और भी विकट प्रतीत होती है।

राज्यों द्वारा शिक्षा के अधिकार कानून के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति को प्रदत्त अधिकारों में बच्चे का नामांकन सुनिश्चित करना, बच्चों की निरंतर उपस्थिति एवं बच्चों के सीखने की प्रक्रिया का अनुश्रवण सम्मिलित है। सदस्य यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि शिक्षक गैर– शैक्षणिक कार्यों से बोझिल न हो जाएं। विद्यालय में शिक्षा का अधिकार कानून के प्रावधानों के अनुरूप विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मानदंडों एवं मानकों के रखरखाव की निगरानी करना और मध्यान्ह् भोजन योजना का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी समिति की जिम्मेदारियों में सम्मिलित है। विद्यालय प्रबंधन समिति विद्यालय की आय और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। समिति विद्यालय विकास योजना का निर्माण करती हैं। कई राज्यों में समिति अन्य स्रोतों से विद्यालय विकास के लिए धन इकट्ठा कर सकती है।

विभिन्न राज्यों में समिति के द्वारा किए जा रहे कार्यों के आधार पर यह देखा गया है कि सदस्यों को कई चरणों में दिए गए प्रशिक्षणों के बावजूद सदस्य अपने वित्तीय अधिकारों के संबंध में जागरूक नहीं हो पाते हैं। विद्यालय अनुश्रवण के संबंध में अलग–अलग राज्य सदस्यों को प्रशिक्षित एवं प्रेरित कर रहे हैं। बिहार ऑपरेशन में शिक्षकों के प्रभाव को बढ़ाने से संबंधित विश्व बैंक संपोषित कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन समिति के सुदृढ़ीकरण का कंपोनेंट भी सम्मिलित किया गया है एवं इसके अंतर्गत विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को विद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्वों की बेहतर निगरानी के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। संभवतः बिहार पहला राज्य है जिसमें सदस्यों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के तहत विद्यालय की गुणवत्ता के विभिन्न सूचकों को समावेशित कर विकसित ट्रैफिक लाइट आधारित मोबाइल एप के माध्यम से वास्तविक समय–आधारित अनुश्रवण हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है और इसके बेहतर परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

राज्यों के द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के आलोक में बनाए गए नियमों के अनुसार विद्यालय शिक्षा समिति छात्रों के शिकायत निवारण संस्थान नहीं हैं हालांकि समिति शिक्षकों के शिकायत निवारण का प्रथम–स्तर है। विभिन्न राज्यों की विद्यालय प्रबंधन समितियों के कार्यों की समीक्षा से यह प्रतीत होता है कि आंध्र प्रदेश में शिक्षकों की शिकायतों का निवारण समिति के द्वारा सफलता से किया गया है जबकि अन्य राज्यों में यह उतनी प्रभावी नहीं हो सकी हैं।

लेकिन इन सभी उपलब्धियों के बावजूद विद्यालय प्रबंधन में

समुदाय की सक्रिय भूमिका का स्वतः निर्वहन एक चुनौती प्रतीत होता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ऐसे वातावरण का निर्माण करती है जो लोगों को विद्यालय के सही विकास के लिए सोचने से रोकती है। समाज और शिक्षा के बीच की दूरी इतनी बढ़ गई है कि जनमानस विद्यालय विकास की व्यवस्था को सरकार का ही दायित्व मान, विद्यालय की आधारभूत समस्याओं को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। परिणामस्वरूप धीरे–धीरे समुदाय की जिम्मेदारियों की अनदेखी से विद्यालय को समुदाय के सार्वजनिक संसाधन के रूप में स्वीकारोक्ति नहीं मिली। अनेक नियम, कानूनों के होने के बावजूद भी शिक्षा के अवसरों के असली हकदार (गरीब, पिछड़ा वर्ग) अभी भी इन अवसरों एवं अधिकारों से बुनियादी तौर पर वंचित हैं। वे अभी भी अपनी आवाज़ तथा विचार को समाज के प्रभावशाली लोगों के समक्ष नहीं रख पाते हैं।

इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने से यह बात उभर कर आती है कि समुदाय के लोगों को उचित अवसर मिले, जिससे वे अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करते हुए विद्यालय प्रबंधन में अपनी भागीदारी दर्ज कर सकें। अगर हम समुदाय के सदस्यों को विद्यालय प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी के प्रयासों के रूप में देखते हैं तो ज्ञात होता है कि लोगों को उनके अभिभावक होने के नाते विद्यालय प्रबंधन में उनकी अहम भूमिका के बारे में अवगत कराने की जरूरत है। उन्हें अपने बच्चे के विद्यालय को अपने तरीके से चलाने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, जिससे वे अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए कर सकें।

पिछले दो दशकों में भारत में शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी अधिकतर विधायी हस्तक्षेपों के माध्यम से ही संभव हो पायी है एवं संवैधानिक प्रावधानों और संबंधित दिशा–निर्देशों के माध्यम से लोगों को भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। संवैधानिक संशोधनों के बाद पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से शैक्षिक व्यवस्था को विकेंद्रीकृत करने के लिए राज्य सरकारों के द्वारा ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही, शिक्षा का अधिकार कानून के तहत विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का भी गठन किया गया है जिसमें समुदाय एवं पंचायती राज संस्थाओं दोनों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं।

सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के बावजूद अभी भी विद्यालय विकास में समुदाय की भूमिका नवजात अवस्था में है और इन्हें परिपक्व होने में अभी कुछ समय अवश्य लग सकता है। भागीदारी विकास की प्रक्रिया के अगले चरण में उम्मीद की जाती है कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से हाशिए पर रह रहे अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के संबंध में निर्णय लेने में समर्थ हो सकेंगे। सहभागी दृष्टिकोण अभिभावकों को अपने बच्चों की रुचि एवं स्थिति का विश्लेषण करने एवं उनके संबंध में सहमति तक पहुंचने में मदद करेगा ताकि वो बच्चों के संबंध में बेहतर निर्णय ले सकें।

(लेखक विश्व बैंक संपोषित योजना, बिहार की स्कूल प्रबंधन समिति में प्रबंधक हैं।)

ई–मेल : kamalnjha@gmail.com

उच्च शिक्षा के बेहतर परिणामों के लिए 'नीट' योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के बेहतर परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए एक नई पीपीपी योजना, नेशनल एजुकेशनल एलायंस फॉर टेक्नोलॉजी (नीट) की घोषणा की है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल करना है ताकि अध्ययन को विद्यार्थी की जरूरत के अनुसार अधिक व्यक्तिगत और रुचिकर बनाया जा सके। विद्यार्थियों को विविधता प्रदान करने और शिक्षा को उनके अनुरूप बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास की आवश्यकता है। अनेक स्टार्टअप कंपनियां इसे विकसित कर रही हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऐसे प्रयासों की पहचान करके उन्हें एक साझा मंच के तहत लाना चाहता है ताकि विद्यार्थी आसानी से इस तक पहुंच सकें। युवाओं को शिक्षित करना एक राष्ट्रीय प्रयास है और मंत्रालय का एक पीपीटी मॉडल के जरिए ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने वाली एडटेक कंपनियों के साथ राष्ट्रीय संबंध विकसित करने का प्रस्ताव है।

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करेगा कि आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को बड़ी संख्या में स्वतंत्र रूप से समाधान उपलब्ध हो। मंत्रालय एक राष्ट्रीय नीट मंच बनाएगा और उसका रखरखाव करेगा जहां एक स्थान पर तकनीकी समाधान उपलब्ध हों। एडटेक कंपनियां समाधान प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार होंगी और नीट पोर्टल के जरिए शिक्षार्थियों का पंजीकरण करेंगी। वे अपनी नीति के अनुसार शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र होंगी। राष्ट्रीय हित के लिए उनके योगदान के रूप में, उन्हें एनईएटी पोर्टल के जरिए समाधान के लिए कुल पंजीकरण का 25 प्रतिशत तक मुफ्त कूपन देने की पेशकश करनी होगी। मंत्रालय सामाजिक/आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़े छात्रों को अध्ययन के लिए मुफ्त कूपन वितरित करेगा।

एआईसीटीई एनईएटी कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। इस योजना को मंत्रालय द्वारा गठित एक सर्वोच्च समिति के मार्गदर्शन में चलाया जाएगा। एडटेक समाधानों के मूल्यांकन और चयन के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाएगा। तैयार संक्षिप्त सूची के एडटेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। शिक्षकों और छात्रों के लिए एनईएटी समाधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय द्वारा जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। मंत्रालय का नवंबर 2019 की शुरुआत में एनईएटी को शुरू करने और उसे चलाने का प्रस्ताव है।

दिल्ली पुस्तक मेला 2019

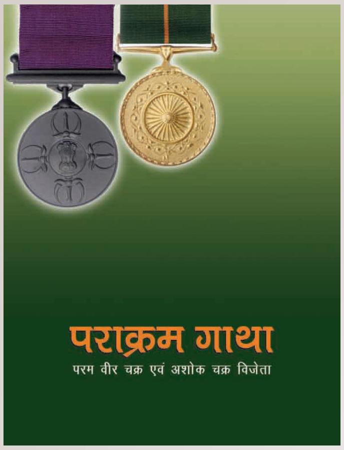

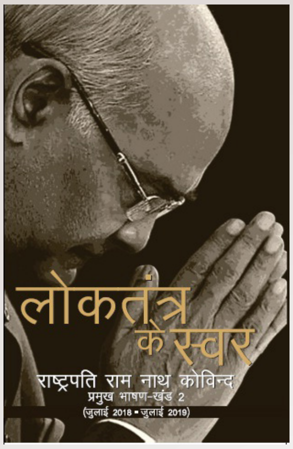

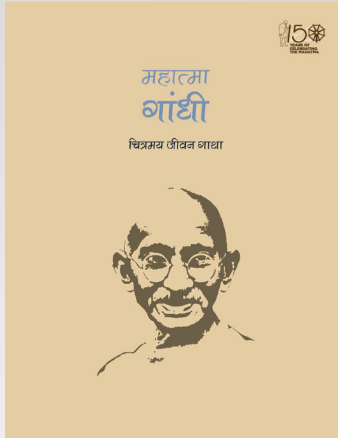

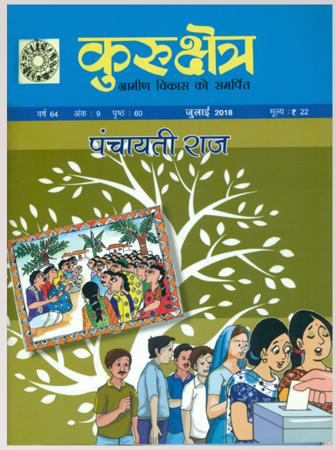

दिल्ली पुस्तक मेला 2019 में प्रकाशन विभाग को मिले 9 पुरस्कार

प्रकाशन विभाग ने दिल्ली पुस्तक मेला 2019 में विभिन्न श्रेणियों में 9 पुरस्कार जीते हैं। ये पुरस्कार भारतीय प्रकाशकों के शीर्ष संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स द्वारा 28 सितंबर, 2019 को दिए गए जोकि भारतीय प्रकाशकों का अग्रणी संघ है।

प्रकाशन विभाग ने वर्ष 2018 के लिए इन श्रेणियों में चार प्रथम पुरस्कार जीते हैं– सामान्य पेपरबैक पुस्तक (*पराक्रम गाथा* के लिए), कवर जैकेट (*लोकतंत्र के स्वर*– भारत के राष्ट्रपति के भाषणों का संकलन के लिए), पत्रिकाएं एवं हाउस पत्रिकाएं (*कुरुक्षेत्र* (हिंदी) जुलाई 2018 के लिए) और हिंदी कॉफी टेबल/आर्ट बुक्स (महात्मा गांधी चित्रमय जीवन गाथा के लिए)।

इसके अलावा, प्रकाशन विभाग ने इन श्रेणियों में चार द्वितीय पुरस्कार जीते हैं– कला/कॉफी टेबल बुक्स (*गुवाहाटी हाई कोर्ट– हिस्ट्री एंड हैरिटेज* के लिए), आयु वर्ग की दो श्रेणियों में बाल साहित्य (*कहो चिरैया* और *सरल पंचतंत्र भाग–1* के लिए) और कैटलॉग और ब्रोशर (महात्मा गांधी पर पुस्तकों के कैटलॉग के लिए)। प्रकाशन विभाग ने किशोर पाठकों के लिए अपनी पुस्तक *विमेन इन सत्याग्रह* के लिए प्रशस्ति–पत्र भी हासिल किया है।

इससे पहले वर्ष 2017 में भी प्रकाशन विभाग ने 11 पुरस्कार प्राप्त किए। इस वर्ष पुस्तक मेला 11–15 सितंबर, 2019 तक आयोजित हुआ जहां प्रकाशन विभाग ने हजारों पुस्तकें बिक्री के लिए प्रदर्शित की।

प्रकाशन विभाग अपनी पुस्तकों की विषय–सामग्री को लगातार अधिक समृद्ध बना रहा है तथा पुस्तकों की सुंदर सुसज्जा से पाठकों को आकर्षित कर रहा है। ❑

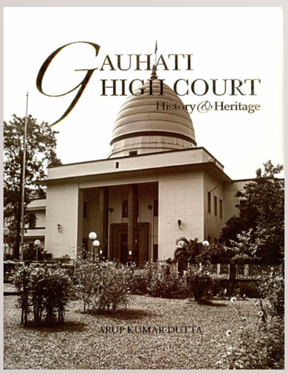

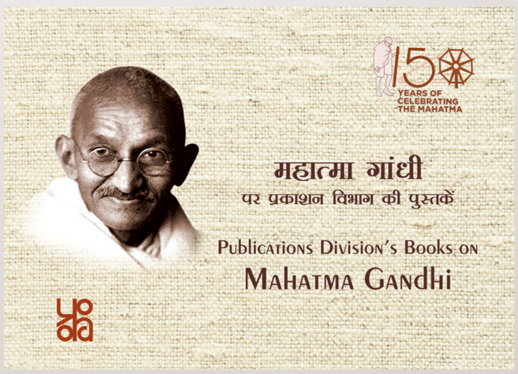

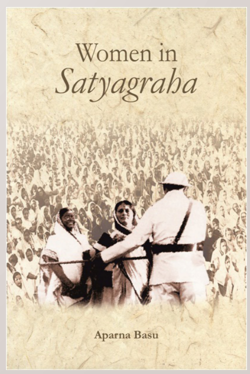

स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रधानमंत्री 'ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड' से सम्मानित

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा 24 सितंबर, 2019 को 'ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड' से सम्मानित किया गया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के सत्र से इतर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को इस सम्मान से नवाज़ा गया। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान स्वच्छ भारत अभियान को जनांदोलन में परिवर्तित करने वाले और इसे अपने दैनिक जीवन का अंग बनाने वाले भारतीयों को समर्पित किया।

सम्मान प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, "स्वच्छ भारत मिशन की कामयाबी भारत की जनता की बदौलत है। उन्होंने इसे अपना आंदोलन बना लिया और वांछित परिणामों की प्राप्ति सुनिश्चित की।"

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर इस सम्मान को प्राप्त करने को निजी–स्तर पर महत्वपूर्ण क्षण करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान इस बात का प्रमाण है कि जब 130 करोड़ भारतीय कोई शपथ लेते हैं तो किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "पिछले पांच वर्षों में 11 करोड़ की रिकॉर्ड संख्या में शौचालयों का निर्माण किया गया। इस मिशन से देश के गरीबों और महिलाओं को सबसे ज्यादा लाभ हुआ।" प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने के अलावा 11 करोड़ शौचालयों के निर्माण ने गांवों में आर्थिक कार्यकलापों को प्रोत्साहन भी दिया।

वैश्विक स्वच्छता कवरेज में सुधार लाने के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अन्य देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता और अनुभव साझा करने को तैयार है ताकि स्वच्छता की कवरेज बढ़ाने की दिशा में सामूहिक प्रयास किए जा सकें।

प्रधानमंत्री ने 'फिट इंडिया' मूवमेंट और जल जीवन मिशन जैसे मिशन मोड अभियानों के माध्यम से निवारक स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में किए गए भारत के प्रयासों का भी उल्लेख किया। ❑

(स्रोतः पीआईबी)

BYJU'S The Learning App | IAS

INDIA's #1 INSTITUTE
FOR CIVIL SERVICES PREPARATION

आईएएस 2018 मे श्रेष्ठ परिणाम

टॉप 50 में 11 चयन | टॉप 100 में 28 चयन | संपूर्ण परिणाम में कुल 183 चयन

BYJU'S का Tablet कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार उपयोगी है

वीडियो पाठ्यक्रम
प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु पाठ्यक्रम में उल्लेखित सभी विषयों /अध्यायों /मुद्दों से सुसज्जित 500 से अधिक घंटे के वीडियो व्याख्यान

छात्र पोर्टल
साप्ताहिक वेबिनार , चर्चित मुद्दे , समसामयिकी पत्र /पत्रिका और प्रैक्टिस सेट का रिकार्डेड सत्र उपलब्ध

नियमित टेस्ट
आपके ज्ञान उन्नयन के मूल्यांकन हेतु पाक्षिक टेस्ट सीरीज जिसमें छात्र के प्रदर्शन का विश्लेषण भी सम्मिलित है

समसामयिकी वेबिनार
पुनरीक्षण नोट्स के साथ समसामयिकी पर चर्चा हेतु साप्ताहिक लाइव क्लासेस

विस्तृत पाठ्य सामग्री
भारतीय राजव्यवस्था (लक्ष्मीकांत), भारत का प्राचीन इतिहास (राम शरण शर्मा) आधुनिक भारत का इतिहास (बिपिन चंद्र), नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा, एवं अभिवृत्ति (जी सुब्बाराव) तथा 16 अन्य पुस्तकें

नियमित मूल्यांकन
परीक्षा लेखन कौशल और ज्ञान का नियमित मूल्यांकन (वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ), प्रश्न पत्र चर्चा, उत्तर और उत्तर लेखन रणनीति के व्यक्तिगत विश्लेषण द्वारा संवर्धन

मेंटर सपोर्ट
हमारे मेंटर द्वारा व्यक्तिगत सुझाव और निर्देश

पाठ्यक्रम की विशेषताएँ

- द हिन्दू समाचार पत्र पर आधारित दैनिक समाचार विश्लेषण
- प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रवीणता हासिल करने हेतु अभ्यास
- मुख्य परीक्षा पश्चात् साक्षात्कार हेतु मार्गदर्शन

आईएएस टेबलेट कार्यक्रम अब हिंदी में भी उपलब्ध

हमारे कोर्स विशेषज्ञ के साथ सतर्क लिए संपर्क करें

9880031619

BYJU'S The Learning App

ANDROID APP ON Google play | Download on the App Store

उपलब्ध कार्यक्रम: Class 4-12 | JEE | NEET | IAS | CAT

आर. एन. आई./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2018-20
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2018-20
01 नवंबर, 2019 को प्रकाशित एवं 5-6 नवंबर, 2019 को डाक द्वारा जारी

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2018-20
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2018-20
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.

Think IAS... दृष्टि The Vision Think Drishti

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे 'दृष्टि' द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो दिल्ली आकर कक्षाएँ करने में असमर्थ हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा और राज्य सेवा (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड पी.सी.एस.) परीक्षाओं की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यह पाठ्य-सामग्री प्रत्येक परीक्षा के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) किया गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिये (हिंदी माध्यम में)

- सामान्य अध्ययन (प्रारंभिक परीक्षा) (19 बुकलेट्स)
- सामान्य अध्ययन (मुख्य परीक्षा) (26 बुकलेट्स)
- इतिहास (वैकल्पिक विषय) (12 बुकलेट्स)
- सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रारंभिक परीक्षा) (27 बुकलेट्स)
- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (31 बुकलेट्स)
- दर्शनशास्त्र (वैकल्पिक विषय) (4 बुकलेट्स)
- सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (39 बुकलेट्स)
- हिन्दी साहित्य (वैकल्पिक विषय) (13 बुकलेट्स)

उत्तर प्रदेश पी.सी.एस. (UPPCS) के लिये
- सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (33 + 10 बुकलेट्स)
- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (33 बुकलेट्स)

मध्य प्रदेश पी.सी.एस. (MPPCS) के लिये
- सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (28 + 8 बुकलेट्स)
- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (28 बुकलेट्स)

राजस्थान पी.सी.एस. (RAS/RTS) के लिये
- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (34 बुकलेट्स)

बिहार पी.सी.एस. (BPSC) के लिये
- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (25 बुकलेट्स)

उत्तराखंड पी.सी.एस. (UKPSC) के लिये
- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (28 बुकलेट्स)
- सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (28 + 8 बुकलेट्स)

छत्तीसगढ़ पी.सी.एस. (CGPSC) के लिये
- सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (35 बुकलेट्स)
- सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा) (35 + 6 बुकलेट्स)

दिल्ली शाखा
सामान्य अध्ययन
ओरिएन्टेशन क्लास के साथ बैच का प्रारंभ
14 नवंबर प्रातः 11:30 बजे

प्रयागराज शाखा
सामान्य अध्ययन
ओरिएन्टेशन क्लास के साथ बैच का प्रारंभ
24 नवंबर प्रातः 11:15 बजे

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें : 8448485520, 87501-87501, 011-47532596

प्रकाशक और मुद्रक: ईरा जोशी, प्रधान महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
मुद्रक : जे.के. ऑफसेट, बी-278, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-110020, वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना